सम्पादकीय

गैर बैंकिंग कंपनियों का वित्तीय निवेश

आय कर रिटर्न में नजर आने वाला समग्र कॉर्पोरेट डेटा दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के इस वर्ग की आय की संरचना में एक व्यवस्थित बदलाव आया है। अब इसमें कारोबारी आय कम हो रही है जबकि अन्य परोक्ष आय मसलन पूंजीगत लाभ और अन्य प्रकार की आय बढ़ रही है। इस रुझान को थोड़ा और समझने के लिए इस स्तंभ में बीएसई 500 कंपनियों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है ताकि नजर आ रहे रुझानों का परीक्षण किया जा सके। यह सही है कि ये कंपनियां देश में औसत उद्यमिता का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं लेकिन कारोबारी भारत के मूल्यवर्धन में उनकी अहम हिस्सेदारी है और इसलिए संभव है कि वे इस रुझान की वाहक बनी रहें। इस समस्या को दो तरह से देखा जा सकता है- पहला, क्या घोषित आय की संरचना में बदलाव आया है? और दूसरा, क्या परिसंपत्तियों की बनावट में बदलाव आया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के प्रॉवेस डेटाबेस का इस्तेमाल करके निहित रुझानों को समझने के लिए परिसंपत्तियों की बनावट पर नजर डाली गई है। चूंकि वित्तीय और गैर वित्तीय कंपनियों के मामले में कारोबारी गतिविधियों की प्रकृति अलग-अलग होती है इसलिए इन्हें कंपनियों की दो श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया है।

भौतिक निवेश को विशुद्ध अचल परिसंपत्तियों, प्रगतिशील पूंजी निर्माण और अमूर्त संपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि वित्तीय निवेश को दीर्घकालिक निवेश तथा दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में परिभाषित किया गया है। 500 कंपनियों में से 408 गैर वित्तीय कंपनियां हैं जबकि शेष वित्तीय क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। यहां हितों के प्रश्न को देखते हुए ध्यान गैर वित्तीय कंपनियों पर केंद्रित है। बीएसई 500 कंपनियों की शुद्ध अचल परिसंपत्तियों में इनकी हिस्सेदारी 94-95 फीसदी है। गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए अचल परिसंपत्ति की हिस्सेदारी समान अवधि में 66 फीसदी से कम होकर 59 फीसदी रह गई। अचल परिसंपत्ति में व्यवस्थित गिरावट बताती है कि इन कंपनियों की वित्तीय परिसंपत्तियों में इजाफा देखने को मिला। इस सूचना को देखने का एक और तरीका है कि विशुद्ध अचल परिसंपत्ति और वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुपात पर नजर डाली जाए।

समान अवधि में यह अनुपातन 1.95 से घटकर 1.45 रह गया है। इसके अलावा शुद्ध अचल परिसंपत्ति में प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों और अमूर्त पूंजी निर्माण की हिस्सेदारी 24 फीसदी से घटकर 14 फीसदी रह गई। यह भी दिखाता है कि इन कंपनियों में पूंजी निर्माण पर कम ध्यान दिया जा रहा है। कंपनियों की संख्या के आधार पर देखें तो 2014 और 2023 के बीच बीएसई 500 कंपनियों की तुलना की जाए तो 82 कंपनियां वित्तीय कंपनियां हैं जबकि 408 कंपनियां गैर वित्तीय कंपनियां हैं। गैर वित्तीय कंपनियों की बात करें तो पूरी अवधि के लिए 384 कंपनियों के आंकड़े उपलब्ध हैं, 248 कंपनियों ने कहा है कि उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों में इजाफा हुआ है। मार्च 2024 तक शुद्ध अचल परिसंपत्तियों में उसकी हिस्सेदारी 62 फीसदी थी।

भारत के जन-जन कि आत्मा है संविधान

भारतीय संविधान देश के सभी धर्म, जाति, वर्ग के नागरिकों को समान अधिकार व उनकी रक्षा तथा रोजगार आदि के अधिकार प्रदान करता है जिससे देश के नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके तथा वह प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर सकें इसलिए हमें भारतीय संविधान का आदर करना चाहिए, उसके नियमों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में अपनाने के साथ-साथ आत्मसात करने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान कि विशेषताएँ न केवल कानून के सामने बल्कि अवसरों के मामले में भी समानता की गारंटी देती हैं। यह आर्थिक और सामाजिक न्याय की भी गारंटी देता है। इसके अलावा, इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है।

राजेश कुमार मीना झोड़ा, करौली

हम 75वां संविधान दिवस(राष्ट्रीय विधि दिवस)2024में मनाने जा रहे हैं। 26 नवंबर1949 के दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अधिनियमित,आत्मार्पित,अंगीकृत किया था।जिस के उपलक्ष्य में 26नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है।इस दिन जब संविधान को अपनाया जा रहा था तो हल्की-हल्की बरसात हो रही थी जो एक शुभ संकेत माना गया । 26नवंबर को ही भारतीय संविधान सभा का नाम परिवर्तन करके भारतीय संसद कर दिया गया जो वी मावलंकर को प्रथम संसद का अध्यक्ष(स्पीकर)नियुक्त किया गया। 16अनुच्छेद5, 6,7,8,9,60,324,366,367,379,380,388,391,392,39 3,394 इसी दिन लागू कर दिए गये सन2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती से प्रतिवर्ष इस दिन से संविधान दिवस मनाना आरंभ हुआ। आज हम 21वीं सदी में हैं जहां पर लोकतंत्र'शासन का सर्वोत्कृष्ट रूप है लोकतंत्र की समझ विकसित करने के लिए संविधान के प्रति समझ विकसित करनी चाहिए।जिससे न केवल विद्यार्थी संविधान को समझेंगे बल्कि देश के लिए एक सुयोग्य नागरिक बनकर अपना योगदान राष्ट्र विकास में देंगे। विद्यालय स्तर पर संविधान के प्रति समझ विकसित करने के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं-

(1) विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर संविधान के प्रति शपथ का आयोजन करना।
(2)'संविधान को समझो'विषय पर विद्यार्थियों में प्रश्नोत्तरी,वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाना।
(3)'भारतीय संविधान एक आदर्श भी और ध्येय भी' इस विषय पर विद्यार्थियों में वार्ता प्रतियोगिता का आयोजन करना।
(4)'संविधान को जानो'विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना।
(5) क्लास रूम में विद्यार्थियों के द्वारा संसद की बैठक व्यवस्था, संसदीय कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण करना जिससे विद्यार्थियों में संसद की कार्यवाही को समझने में मदद मिलेगी और प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव प्राप्त होगा।
(6)संविधान में वर्णित जनप्रतिनिधि संस्थाओं के प्रति समझ विकसित करने के लिए विद्यालय में कक्षा मॉनिटर,अनुशासन मंत्री,सफाई मंत्री आदि का चुनाव पद्धति से विद्यार्थियों द्वारा करवाना जिससे विद्यार्थी निर्वाचन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।
(7)संविधान दिवस पर प्रभातफेरी, रन-फॉर-इकलिटी का आयोजन करना।
(8) नुक्कड़ नाटकों का आयोजन विद्यार्थियों द्वारा करना।

आज के युग में जहां हमारा उद्देश्य विद्यालयों में विद्या अध्ययन करवाना तो है ही,साथ ही देश के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करना भी हमारा प्रमुख लक्ष्य है।संविधान दिवस पर हम विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों की जानकारी,नागरिकों के कर्तव्यो की जानकारी भी दे सकते हैं। अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की जानकारी भी एक योग्य नागरिक के लिए महती आवश्यकता है।जैसा कि गांधी जी ने कहा था हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। संघीय विशेषता के अंतर्गत- द्वैध शासन प्रणाली, लिखित संविधान,शक्तियों का विभाजन,संविधान की सर्वोच्चता,कठोर एवम लचिला संविधान,स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यसथापिका जैसी सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। जिनका चुनाव जुलाई 1946 में सम्पन्न हुआ था। भारत के विभाजन के बाद कुल सदस्यों 389 में से भारत में 299 ही रह गए। जिनमे 229 चुने हुए थे। भारत की संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और कई कानूनों के निर्माण और अधिनियमन में प्रमुख भूमिका निभाई।हम सभी ने इस संविधान सभा के बारे में सुना है।लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ और इसके सदस्य क्या करते थे।

भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ : भारत की संविधान सभा मूल रूप से भारत का संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं ने ही इस समिति का चुनाव किया था। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एमएन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। इस विचार के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था।अप्रैल 1935 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग उठाई। हालांकि इस मांग को खारिज कर दिया गया। 1938 में पं. जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के संबंध में एक प्रभावशाली वक्तव्य दिया था 'स्वतंत्र भारत का संविधान,बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के,वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।' बाद में, सी. राजगोपालाचारी, जो एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता और साथ ही एक भारतीय राजनेता,लेखक और वकील ने 15 नवंबर 1939 को भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए आवाज उठाई। अंग्रेजों ने 1940 के अपने 'अगस्त प्रस्ताव' के माध्यम से संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहली बार सभा के लिए चुनाव हुए। अपने निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया और 16 मई 1946 को इसे लागू किया।

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ : प्रांतीय विधानसभा ने एकल, संक्रमणीय-मत प्रणाली द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इन सदस्यों में से 292 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे,93 रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे- दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर-मेरवाड़ा। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 296 सीटों के लिए चुनाव अगस्त 1946 तक पूरे हो गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 208 सीटें जीतीं। दूसरी तरफ, मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिलीं। इस चुनाव में हारने के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ काम करने से इनकार कर दिया तो राजनीतिक स्थिति और खराब हो गई। हिंदू-मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए अपनी अलग संविधान सभा की मांग की। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बाद में, ये एक संप्रभु निकाय के रूप में 14 अगस्त 1947 को फिर से एकत्रित हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के कारण 3 जून 1947 को पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। चूंकि नई विधानसभा का गठन किया गया था, इसलिए पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के लिए नए प्रांत हुए। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया।इस पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य 299 रह गए और उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया।9 दिसंबर 1946 को ये प्रतिनिधि 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक इस बात पर चर्चा करते रहे कि संविधान में क्या-क्या चीजें और कानून शामिल किए जाने चाहिए। इन दो सालों में संविधान सभा के 11 सत्र हुए। इस समिति की अध्यक्षता बीआर अंबेडकर ने की थी। क्योंकि इस संविधान सभा के सदस्यों को भारतीय जनता के द्वारा चुना गया था।

आज का राशिफल

कभी अनुभवी अधिकारियों की टीम के अनुसार आप कई विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करेंगे। लाभ उस कारण पाएंगे कि आपके जीवन के ऐसे क्षेत्रों को देख है, जहां आपके विकास कुशल लगेंगे और दूसरों तरफ, आपको जिस बातों में लापरवाह लगना चाहिए। लाभ न किसी हमारे साथ में और लापरवाह हुई को कुशलता लाभ लापरवाह ऊर्जा को साकृष्ट रहेंगे, बल्कि परस्पर्यक्ति लक्ष्यों में भी, जहां का लापरवाह हमें लाभ और कारोबार में लाभ प्राप्त रहेंगा

मेष
आज अचानक धन खर्च होने का योग है। यह खर्च स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है। व्यावहारिक या सामाजिक काम के लिए बाहर जाना हो सकता है। खान-पान में ध्यान रखें। क्रोध तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

वृष
अधिकारियों से काम का उचित फल भी मिल सकता है। भाई-बंधुओं के साथ कोई झगड़ा दूर होगा। विचार लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। आर्थिक विषय में सावधानी बरतनी आवश्यक है। नेगेटिव विचारों से मन परेशान रह सकता है।

मिथुन
आपका आज का दिन शुभफलदायी है। कई क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी हो सकता है। पर्यटन स्थल की सैर आपको रोमांचित करेगी। परिजनों से मुलाकात आनंददायी हो सकती है।

कर्क
सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। पेट दर्द से परेशानी हो सकती है। आज आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। उसमें सफलता भी प्राप्त भी करेंगे। पिता की ओर से आपको लाभ हो सकता है। व्यापार में बाधाएं उपस्थित होंगी।

सिंह
स्वस्थता का अनुभव नहीं करेंगे। निराशा और असंतोष की भावना से काम में मन नहीं लगेगा। कुटुंबजनों के साथ किसी विषय पर वाद-विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों को अभ्यास का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा।

कन्या
आपको उग्र स्वभाव पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। आज आप मानसिकरूप से सकात का अनुभव करेंगे। अधिक परिश्रम की तुलना में कम फल की प्राप्ति होगी। संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है। भाई-बंधुओं के साथ कोई झगड़ा दूर होगा।

तुला
रोमांस के लिए आज अनुकूल दिन है। आज का हर कार्य आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा करेंगे। प्रवास-पर्यटन की संभावनाएं है। अच्छा भोजन और नए वस्त्र मिलने का अवसर मिल सकता है। भागीदारी से लाभ होगा।

वृश्चिक
आज आपका स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है। शारीरिक रूप से आलस्य और अशक्ति का अनुभव करेंगे। मन में चिंता रह सकती है। गलत कामों से दूरी बनाए रखें। किसी भी योजना को सावधानीपूर्वक करें।

धनु
आप में आज आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। पिता तथा बड़ों की ओर से लाभ होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। वाणी में उग्रता ना रखें।

मकर
आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। उच्च अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। आप का हर काम आज सफलता से पूरा होगा। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है।

कुंभ
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी कामों में आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। संतान के लिए पूंजी निवेश करेंगे। नई योजना का आरंभ करने के लिए आज अनुकूल दिन है। सरकारी काम में लाभ होगा।

मीन
आज इगो के कारण किसी से बातचीत में मनमुटाव हो सकता है। मित्रों के साथ किसी बात विवाद हो सकता है। स्वभाव में आवेश और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। धार्मिक कामों में धन का खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सुख मिलेगा।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

श्री उम्मेदी लाल मीणा
(राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी)

नमस्कार मित्रों हमारे आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री उम्मेदीलाल मीणा। जोकि इस समय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ पद को सुशोभित कर रहे हैं। 3 जनवरी सन 1968 को दौसा जिले में जन्में उम्मेदीलाल मीणा शुरू से ही ग्रामीण परिवेश व मिट्टी के साथ जुड़े रहने वाले अधिकारियों में से हैं। कई विभागों में बड़े पदों पर भी रहे हैं इससे पूर्व भू-प्रबन्ध अधिकारी, टोंक। भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर। जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण, अलवर। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अलवर। सचिव नगर विकास न्यास, भरतपुर। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भरतपुर। उप सचिव नगर विकास न्यास, भिवाड़ी अलवर। भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास भिवाड़ी, अलवर। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम अलवर। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ बास अलवर। उपखण्ड अधिकारी, रामगढ अलवर। उपखण्ड अधिकारी, डेगाना नागौर। उप रजिस्ट्रार, दौसा। तहसीलदार, करौली। तहसीलदार, राजगढ़ अलवर। तहसीलदार, भीलवाड़ा। नायब तहसीलदार, करौली रहे। कोविड़ के दौरान इनकी बेहतरीन कार्यशैली और लोगों के प्रति भावनाए देखने को मिली जब ये अलवर एडीएम सिटी पद पर थे। बहुत सरल,सहज और ऊर्जावान अधिकारी के रूप में इन्हे देखा जाता है। जहां भी रहे तनावमुक्त रहकर कार्य किया और अपने अधिनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों को भी तनावमुक्त रहकर कार्य करने का संदेश दिया। आज भी जमीन से जुड़ाव व अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखकर सभ्यता व अपनी संस्कृति को बचाए रखने का संदेश देते हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

26 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- सन 1885 में पहली बार उल्कापिंड की तस्वीर ली गयी।
- देश के श्वेत क्रांति के जनक माने-जाने वाले वर्गीज कुरियन का 1921 में जन्म में हुआ।
- महान् क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन ने 1932 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दस हजार रन बनाये।
- नेशनल कैडेट कोर की 1948 में स्थापना हुई।
- देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान 1949 में अंगीकार किया गया।
- आजाद भारत के संविधान पर 1949 में संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया।
- ब्रिटेन के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्डस ने 1953 में आज ही के दिन में देश में व्यावसायिक टेलीविजन चैनल शुरू करने के लिए लाए गए पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
- भारत में 1960 में पहली बार कानपुर एवं लखनऊ के बीच एसटीडी सेवा शुरु हुई।
- लिस्बन में 1967 में बादल फटने से करीब 450 लोग मरे।
- इराक एवं अमेरिका ने 1984 में कूटनीतिक संबंधों को पुनः स्थापित किया।
- ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने 1990 में ब्रिटेन की महारानी को अपना इस्तीफा सौंपा था।
- सन 1992 में आज ही के दिन ब्रिटेन की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये तय कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को अपनी आय पर कर देना होगा।
- मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1996 में अंतरिक्ष यान 'मार्स ग्लोबल सर्वेयर' को अंतरिक्ष में भेजा (7 नवम्बर); संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के संदर्भ में 'आयल फॉर फुड डील' प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
- पाक सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने 1997 में मुख्य न्यायाधीश को निलम्बित किया।
- ब्रीवीसी के 2002 में सर्वेक्षण में विंस्टन चर्चिल महानतम ब्रिटिश नागरिक चुने गये।
- इराक में 2006 में हुए बम धमाके में 202 लोगों की जान गई।
- भारत के मुंबई नगर में 2008 में हुए आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने ताज होटल में घुसकर अनेक अतिथियों को बंधक बना लिया। इसे भारतीय सेना ने तीन दिनों की कार्यवाई के पश्चात् मुक्त करा लिया।
- मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले में 164 लोग मरे, 250 से अधिक घायल।
- सीरिया में 2012 में हुए हवाई हमले में दस बच्चों की मौत, 15 घायल।

26 नवंबर को जन्मे व्यक्ति

- प्रसिद्ध लेखक, कवि, भाषाविद और सम्पादक नाथूराम प्रेमी का जन्म 1881 में हुआ।
- भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद राम शरण शर्मा का जन्म 1919 में हुआ।
- प्रसिद्ध उद्योगपति एवं श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का जन्म 1921 में हुआ।
- अमेरिकी कार्टूनिस्ट चार्ल्स एम. शल्ज का जन्म 1922 में हुआ।
- हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर वी. के. मूर्ति का जन्म 1923 में हुआ।
- भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद यशपाल (वैज्ञानिक) का जन्म 1926 में हुआ।
- प्रसिद्ध राजनीतज्ञ, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का जन्म 1926 में हुआ।

राष्ट्रीय संविधान दिवस

हमारा संविधान, हमारा सम्मान

भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है। यह भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है, तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित किया जाता है।

संविधान का अर्थ

किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है, जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

भारत के संविधान का दर्शन

भारतीय संविधान अपने ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं की जड़ों के साथ लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। यह लेख भारतीय संविधान के अर्थ, संरचना, प्रमुख विशेषताओं, महत्त्व और अन्य पहलुओं को समझाने का प्रयास करता है।

भारत का संविधान

भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है।

किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है, जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ- साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है।

भारतीय संविधान की संरचना

भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की

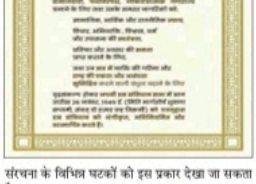

संरचना के विभिन्न घटकों को इस प्रकार देखा जा सकता है।

भाग:- संविधान में ''भाग'' का तात्पर्य समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है, प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलू से संबंधित है।

अनुच्छेद- अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है, जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है।संविधान के प्रत्येक भाग में क्रमानुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद होते हैं।

अनुसूचियाँ:- अनुसूची संविधान से सम्बंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशानिर्देशों का विवरण प्रदान करती है। अनुसूचियाँ स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती हैं, जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है।

भारतीय संविधान का अधिनियम और अंगीकरण

भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।

29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तदनुसार, बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की गई थी। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों का कुल समय लगा। कई विचार-विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद, संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। इसे भारत के संविधान की 'अंगीकृत तिथि' के रूप में जाना जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालांकि, संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इस तिथि को भारत के संविधान के 'अधिनियमन तिथि' के रूप में जाना जाता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* | प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 | ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 241

कमजोर परिणाम

अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप29) की 29वीं बैठक एक ऐसी जलवायु वित्त बैठक के रूप में आयोजित हुई जहां ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले विकसित देश विकासशील देशों के जलवायु अनुकूलन और उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2025 के आगे की नई वित्तीय प्रतिबद्धता तय करने वाले थे। परंतु तीव्र बहस के उपरांत रविवार को जब तय अवधि के दो दिन बाद जब यह बैठक समाप्त हुई तब वह एक ऐसे वित्तीय समझौते पर पहुंची, जिसका भारत, नाइजीरिया, बोलिविया और क्यूबा ने घोर विरोध किया। इसके अलावा जितनी राशि की प्रतिबद्धता जताई गई उसके विरोध में छोटे द्वीपीय देशों के समूह तथा जलवायु संकट झेल रहे अन्य देशों ने आयोजन का बहिष्कार भी किया। हालांकि नए समग्र मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) के अंतर्गत 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई गई है जो पहले जताई गई सालाना 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता से काफी अधिक है। लेकिन यह विकासशील देशों की 1.3 लाख करोड़ डॉलर की मांग से काफी कम है।

इस तमाम असंतोष के बीच वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि समझौता चाहे जितना भी अपूर्ण हो, परंतु नहीं होने से तो वह बेहतर ही होता है। महज दो माह पहले कॉप29 के पहले बाकू में वार्ताकारों की बैठक में सदस्य देश एनसीक्यूजी के अधीन किसी वित्तीय प्रतिबद्धता पर नहीं पहुंच पाए थे। परंतु जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील देशों के पास इस बात की अच्छी-खासी वजह है कि वे बाकू में हुए समझौते को लेकर मजबूत पूर्वाग्रह रखें।

अगर मौजूदा रुझानों को मानक माना जाए तो 300 अरब डॉलर की अपर्याप्त राशि जुटा पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। पहले जलवायु वित्त लक्ष्य के लिए 100 अरब डॉलर की राशि तय की गई थी। इस राशि पर कोपनहेगन में 2009 में आयोजित कॉप 15 में सहमति बनी थी। इस लक्ष्य को 2022 में यानी केवल एक बार हासिल किया जा सका था वह भी लक्षित वर्ष के दो साल बाद। दूसरी बात यह कि अधिक वित्तीय सहायता की मांग भी अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए कॉप 29 में 'बाकू से बेलेम' खाके पर सहमति बनी। ब्राजील के बेलेम शहर में अगले वर्ष कॉप30 का आयोजन होना है। वहां सभी पक्ष साथ मिलकर 'सभी सार्वजनिक और निजी स्रोतों' का इस्तेमाल करके 2035 तक सालाना 1.3 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे।

योजना यह है कि 2030 तक इस निर्णय पर नजर रखी जाए। इस बीच 2026 और 2027 में रिपोर्ट आएंगी। आखिर में समझौता विकासशील देशों से आग्रह करता है कि वे इस लक्ष्य को पाने के लिए स्वैच्छिक रूप से सहयोग करें। यह वैश्विक समूह देशों यानी ग्लोबल नॉर्थ के दायित्वों में महत्त्वपूर्ण कमी करने वाली बात है। एक सकारात्मक बात यह है कि करीब एक दशक की बातचीत के बाद कॉप 29 में करीब 200 देश इस बात पर सहमत हुए कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अधीन कार्बन बाजार के संचालन की दिशा में बढ़ा जाए। इसके बाद दो देशों के बीच व्यापार और कार्बन क्रेडिट प्रणाली के पूरी तरह काम करने की उम्मीद है। कार्बन ट्रेडिंग जलवायु वित्त का एक अहम स्वरूप है और ये नियम भारत को इस बाजार को परिचालित करने में मदद करेंगे।

भारत को उसके वार्ताकार द्वारा समझौते को नकारने तथा दुनिया के गरीब देशों की हिमायत करने का लाभ मिला है। परंतु तथ्य यह है कि विकासशील देशों की आपत्तियों को आसानी से खारिज कर दिया गया। यह बताता है कि इन वार्ताओं में काफी असमानता है और विकसित देश इस संकट में अपने ऐतिहासिक दायित्व से पीछे हट रहे हैं। जलवायु संकट की शंका की दृष्टि से देखने वाली ट्रंप सरकार के आगमन के बाद यह रुझान और बढ़ेगा। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में पेरिस समझौते को नकार चुके हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बाइडन प्रशासन के ठोस इरादों के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस लगातार जलवायु वित्त अनुरोधों पर उसे नकारती रही। भारत और विकासशील देशों के लिए बेहतर होगा कि वे अपनी अनुकूलन रणनीतियों पर ध्यान दें और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करें। ताप बिजली पर बढ़ती निर्भरता को कम करना अच्छी शुरुआत होगी।

विनय सिन्हा

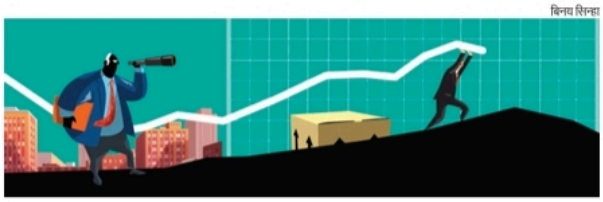

सौ संकेतकों के आधार पर वृद्धि की पड़ताल

यह सही है कि अर्थव्यवस्था का एक कमतर अनुपात एक तिमाही पहले की तुलना में सकारात्मक ढंग से बढ़ रहा है लेकिन वृद्धि भी अधिक व्यापक होती जा रही है। बता रही हैं प्रांजुल भंडारी

शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद हालात अपेक्षाकृत शांत नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में सामने आए आंकड़े मिलाजुला संदेश दे रहे हैं- कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। कुछ में सुधार होता नजर आता है और कुछ में गिरावट। इस बीच सभी आंकड़ों में श्रेष्ठ यानी जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों की अपनी जटिलताएं हैं। इसकी बात करें तो सही मूल्य अपस्फीति और सरकारी सब्सिडी में उतार-चढ़ाव को लेकर इस पर भी सवाल होते हैं। इन बातों के चलते देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में सही आंकड़े हासिल कर पाना मुश्किल होता है।

हम इस दिक्कत को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं कि उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाए जिनके आंकड़े विश्वसनीय हैं और जल्दी तथा मासिक तौर पर उपलब्ध हैं। हम वृद्धि के 100 संकेतकों को एक साथ लाते हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन (कृषि, उद्योग और सेवा), तथा व्यय (खपत, निवेश और निर्यात) के स्तर पर परखते हैं। हम सावधानीपूर्वक हर संकेतक की तिमाही गति का आकलन करते हैं ताकि तात्का रुझानों के बारे में जान सकें। उपलब्ध व्यापक आंकड़ों को देखते हुए इनसे वृद्धि के रुझानों की एक व्यापक तस्वीर सामने आनी चाहिए।

हम हर क्षेत्र को जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी के अनुसार आंकते हैं ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि अर्थव्यवस्था का कितना भाग या अर्थव्यवस्था में क्षेत्र विशेष का कितना भाग तेजी से विकसित हो रहा है। साथ ही यह भी कि अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा या कौन सा क्षेत्र धीमी गति से विकसित हो रहा है।

हम पाते हैं कि अर्थव्यवस्था का 55 फीसदी हिस्सा तेजी से विकसित हो रहा है जबकि 45 फीसदी का विस्तार नहीं हो रहा है। एक तिमाही पहले करीब 65 फीसदी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी। अब उसके 55 फीसदी हो जाने ने रुझानों पर असर डाला है।

क्षेत्रवार आधार पर देखें तो कुछ का प्रदर्शन पिछली तिमाहियों की तुलना में बेहतर रहा है। कृषि क्षेत्र लू और उतार-चढ़ाव वाली वर्षा से निपटकर अब धीरे-धीरे सुधार की राह पर बढ़ रहा है। जलाशयों के एक बार फिर वर्षा जल से भर जाने के बाद अगले कुछ महीनों में कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। चुनावों के बाद चालू और पूंजीगत व्यय दोनों खातों में सरकार का खर्च भी बढ़ा है। ऐसे में संभव है कि राज्य के पूंजीगत व्यय में आगे और सुधार हो। ऐसा इसलिए कि एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को फंड और ब्याज रहित पूंजीगत व्यय ऋण मुहैया कराया जाएगा। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में यह इजाफा निवेश वृद्धि को मजबूत कर रहा है जहां हम पाते हैं कि 60 फीसदी संकेतक अब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि एक तिमाही पहले यह आंकड़ा 40 फीसदी था।

बहरहाल इससे भी यह संकेत नहीं मिलता है कि निजी निवेश चक्र में खासकर, मशीनरी और उपकरणों के क्षेत्र में सुधार हुआ है। औद्योगिक ऋण तेजी से बढ़ा है लेकिन अधिकांश ऋण वृद्धि कार्यशील पूंजी में है, न कि सावधि ऋण में। सावधि ऋण आमतौर पर निजी क्षेत्र की निवेश मांग का परिचायक होता है।

आखिर में, निर्यात की विविधता पेशेवर सेवाओं की ओर झुकाव निर्यात को बनाए रखने में मददगार साबित हो रहा है। वास्तव में हर बार ऐसा प्रतीत होता है कि सेवा निर्यात में कमी आ रही है लेकिन उनमें पहले से भी तेज सुधार होता है। उदाहरण के लिए अक्टूबर में 17 अरब डॉलर मूल्य का रिकॉर्ड सेवा निर्यात हुआ। इसके बाद कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके पहले से अधिक खराब प्रदर्शन करने की आशंका है। मौसम के बेहतर होने के साथ ही बिजली की मांग और खनन तथा उपयोगिता में कमी आई है। व्यापार और परिवहन जैसे क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं जबकि पर्यटन जैसे क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर है।

आखिरी और सबसे उल्लेखनीय बात, खपत मांग अब पहले से अधिक कमजोर है। खासतौर पर शहरी खपत। वास्तव में विनिर्माण को अगर अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखें तो पता चलता है कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई है। हालांकि इस बीच निर्माण कार्यों के लिए जरूरी वस्तुओं की मांग मजबूत बनी रही है। ऋण के आंकड़ों को विभाजित करके देखा जाए तो पता चलता है कि औद्योगिक ऋण अभी भी मजबूत है, उपभोक्ता ऋण में भी पहले के मुकाबले कमी आई है। हालांकि यह डिजाइन का हिस्सा है क्योंकि केंद्रीय बैंक ने वित्तीय स्थिरता की तलाश में जोखिम भार बढ़ा दिया है। शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, पिछले कुछ वर्षों में खपत को बढ़ावा देने वाला मजबूत संपत्ति प्रभाव अपनी चमक खोता नजर आ रहा है।

ये तमाम बातें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बेहतर नजर आती हैं। उपकरों के मामले में समग्र जीएसटी वृद्धि की तुलना में वृद्धि में अपेक्षाकृत तेजी से धीमापन आया है। उपकरों में विलासिता की वस्तुओं मसलन महंगे वाहनों आदि पर उच्च कर लगाया जाता है।

कुल मिलाकर एक ओर जहां अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा, एक तिहाई पहले की तुलना में धीमी गति (65 फीसदी की तुलना में 55 फीसदी) से बढ़ रहा है, वहीं अधिकांश संकेतक सकारात्मक बने हुए हैं। एक ओर जहां निवेश गतिविधियां (खासकर निर्माण और सार्वजनिक क्षेत्र में) स्थगित नजर आ रही हैं, वहीं खपत संबंधी निवेश में धीमापन नजर आ रहा है।

हमने गतिविधि संकेतकों की बात कर ली और यह भी कि उनका प्रदर्शन कैसा है। परंतु हमने अब तक अंतर्निहित चालकों और भविष्य के बारे में बात नहीं की।

हम मानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में जो वृद्धि देखने को मिली है उसका अधिकांश हिस्सा नए भारत के उभार से जुड़ा है जिसमें कई उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य ऐसे विनिर्माण, वैश्विक क्षमता केंद्रों द्वारा दी जा रही पेशेवर सेवाओं का विस्तार और डिजिटल स्टार्टअप आदि के कारण पिरामिड के शीर्ष पर उच्च आय और वृद्धि बढ़ी है। बहरहाल, कुछ विपरीत वर्षों के बाद आधार बढ़ रहा है और इन क्षेत्रों में वृद्धि अधिक टिकाऊ और सामान्य हो रही है। उदाहरण के लिए सेवा निर्यात में सालाना वृद्धि वित्त वर्ष 22-23 के 27 फीसदी के बाद वित्त वर्ष 24 में 14 फीसदी पर है लेकिन यह फिर भी अच्छा स्तर है। कुल मिलाकर जीडीपी वृद्धि सात फीसदी से अधिक की दर से 6.5 फीसदी की अधिक टिकाऊ और मजबूत संभावित वृद्धि के स्तर पर पहुंच रही है। अगर कृषि सुधारों की संभावना मजबूत बनी रही तो वृद्धि का यह नया स्तर शायद समूची अर्थव्यवस्था में अधिक टिकाऊ ढंग से विस्तार हो सके।

लब्बोलुआब यह है कि भले ही एक तिमाही पहले जितनी तेजी से वृद्धि करने वाले गतिविधि संकेतकों का अनुपात कम है, लेकिन हम मानते हैं कि वृद्धि अधिक टिकाऊ और व्यापक ढंग से सामान्य हो रही है तथा अभी भी मजबूत स्तर पर है। स्पष्ट है कि हम स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं।

(लेखिका एचएसबीसी की प्रबंध निदेशक, वैश्विक अनुसंधान हैं)

अमेरिकी चुनाव और मुद्रास्फीति का भूत

दुनिया भर के निर्वाचित नेताओं को एक भूत सता रहा है और वह है मुद्रास्फीति का भूत। ऐसा प्रतीत होता है कि मतदाताओं को अगर कुछ सबसे अधिक नापसंद है तो वह है मुद्रास्फीति और इसकी वजह से दुनिया भर के कई नेताओं को दोबारा चुनावी जीत हासिल करने में नाकामी मिली। अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की भारी हार के लिए कई कारणों को वजह बताया जा रहा है जो हैं: निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन का दोबारा चुनाव लड़ने का गलत निर्णय जिसके बाद उन्हें आखिरकार बाहर होना पड़ा, रूढ़िवादी पुरुषों और प्रगतिशील महिलाओं के बीच बढ़ता अंतर और हिस्पैनिक (स्पेनिश बोलने वाले अथवा लातिनी अमेरिकी लोग) आबादी में मध्य-वाम को लेकर कम होता विश्वास। ये सभी प्रासंगिक हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रास्फीति प्रभाव ने मतदाताओं की प्राथमिकताओं को सबसे अधिक प्रभावित किया।

जैसा कि डेटा विश्लेषकों ने फाइनैंशियल टाइम्स में संकेत भी किया अमेरिका कोई विशिष्ट देश नहीं है। इस वर्ष चुनाव का सामना करने वाले किसी भी विकसित देश में हर सत्ताधारी दल को मत प्रतिशत में कमी का सामना करना पड़ा। 1905 से दर्ज रिकॉर्ड में यह पहली बार हुआ है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है सिवाय इसके कि महामारी के बाद दुनिया भर में मुद्रास्फीति में तेजी आई है।

मुद्रास्फीति को लेकर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के मामले में काफी कुछ किया जाना है लेकिन कुछ रुझान स्पष्ट हैं। इन्हें एक साथ रखकर देखें तो वे हमें यह याद दिलाते हैं कि मुद्रास्फीति को कम और स्थिर रखने के मामले में पारंपरिक अनुमानों का क्या महत्त्व है। पहली बात, जनता मूल्य स्तर पर परवाह करती है, इस बात की नहीं कि किसी खास बिंदु पर कीमतें ऊपर या नीचे तो नहीं जा रही हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बार-बार यह तर्क देते रहे कि मुद्रास्फीति में शुरुआती उछाल को नियंत्रित कर लिया गया है। परंतु मतदाताओं ने उन्हें इस उपलब्धि का श्रेय नहीं दिया। इसके बजाय, मतदाताओं ने 2020 और 2024 की कीमतों की तुलना की जो सत्ताधारी दल के खिलाफ गया। इसका अर्थ यह है कि अतीत की मुद्रास्फीति का राजनीतिक असर बरकरार रहा।

नीति नियम

मिहिर शर्मा

दूसरा, क्षेत्रीय मूल्य वृद्धि को संबोधित करने वाले तकनीकी समाधानों को लेकर जनता की प्रतिक्रिया काफी ठंडी सी रही है। ऐसे कदम अक्सर राजनीतिक लाभ नहीं देते। उदाहरण के लिए अमेरिका में कांग्रेस के प्रशासन और डेमोक्रेट्स ने इस बात की जांच की संभावना पर काफी ध्यान दिया है कि क्या उन क्षेत्रों में काम करने वाली कुछ कंपनियों ने अतिरिक्त लाभ अर्जित किया है जहां उनका एकाधिकार है और जहां कीमतों में इजाफा देखने को मिला। परंतु यह बात मतदाताओं तक नहीं पहुंची और उन्होंने कंपनियों को नहीं बल्कि नेताओं को ही जवाबदेह माना। इसके लिए लालच मुद्रास्फीति यानी 'ग्रीडफ्लेशन' का जुमला दिया गया लेकिन वह भी कारगर नहीं हुआ। इसका अर्थ है विक्रेताओं द्वारा तैयार मुद्रास्फीति।

तीसरा, समेकित आंकड़े काफी कुछ छिपा सकते हैं। अमेरिका में मतदाता नाराज थे, भले ही उनके वास्तविक मेहनताने में इजाफा हो रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो औसत वेतन में होने वाला इजाफा खुदरा मूल्य सूचकांक में हुए इजाफे से अधिक रहा। इसके बावजूद अगर लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? एक संभावना यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उस भार को सही ढंग से सामने नहीं रख पाया जो मतदाताओं के कुछ थड़े कुछ क्षेत्रों के बारे में रख रहे थे। उदाहरण के लिए कुछ अनुमानों के अनुसार अमेरिका में आवास और परिवहन की कीमत वेतन में हुए मामूली इजाफे की तुलना में तेजी से बढ़ा है। इसकी वजह से नाराजगी पैदा हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक मूल्य सूचकांक पर ध्यान केंद्रित करना जोखिम भरा हो सकता है। यह बात याद रखना आवश्यक है कि खुदरा मूल्य सूचकांक एक कृत्रिम संकेतक है न कि हकीकत।

चौथा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच का रिश्ता हकीकत में कैसा भी हो, वह राजनीति पर काफी अलग प्रभाव रखता है। प्रगतिशील अर्थशास्त्री इस बात को लेकर खुद को सराहते रहे हैं कि अमेरिकी श्रम बाजार के सख्त बने रहने के बावजूद मुद्रास्फीति में कमी आई है। यह सब तब है जबकि सार्वजनिक रूप से यह चिंता प्रकट की गई है कि मुद्रास्फीति में कमी के लिए उच्च बेरोजगारी को रोकना होगा। परंतु एक सख्त श्रम बाजार, खासतौर पर निचले स्तर पर ऐसा बाजार राजनीतिक रूप से उतना लाभदायक नहीं साबित हुआ जितनी कि उम्मीद की जा रही थी। यकीनन अकुशल श्रम की जरूरत वाली सेवाओं मसलन फूड डिलिवरी आदि में अपेक्षाकृत ऊंची कीमतों ने राजनीतिक तौर पर अधिक नुकसान पहुंचाया।

छठी और अंतिम बात, अमेरिका ने 21वीं सदी की औद्योगिक नीति के साथ जो साहसिक प्रयोग किए वे राजनीतिक रूप से विफल साबित हुए। डेमोक्रेट नेताओं ने लाखों करोड़ डॉलर की राशि इसलिए खर्च की ताकि बेहतर, औद्योगिक रोजगार वापस अमेरिका आ सकें लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम कुछ खास नहीं रहे। उन्होंने जिन समुदायों को लक्षित किया उन्होंने उनको कोई श्रेय नहीं दिया। यहां तक कि यूनियन भी राजनीतिक दलों को लेकर अनिश्चित रहे। पीछे मुड़कर देखें तो बाइडन की एक सबसे बड़ी चूक शायद यह थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी नीति बनाते समय टेस्ला के ईलॉन मस्क की अनदेखी की क्योंकि कंपनी बहुत हद तक असंघटित है। मस्क ने डॉनल्ड ट्रंप के अभियान को फंड किया और मीडिया में रिपब्लिकंस के अनुकूल माहौल बनाया।

अगर इन सबकों को एक साथ रखा जाए तो एक धुंधली तस्वीर उभरती है। पारंपरिक समझ यह है कि वृहद आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य मूल्य स्थिरता को बरकरार रखना होना चाहिए। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में इसे तरजीह दी गई। यह चकित करने वाली बात है लेकिन इससे उतना भी झटका नहीं लगना चाहिए। यह समझ घटनाओं से ही उभरी। सन 1970 के दशक से ही मूल्य स्थिरता पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि 1967 से 1977 के बीच मुद्रास्फीति के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था।

यह बात बहुत अहम प्रतीत होती है कि अगर लोकलुभावन ताकतों के उभार को सीमित करना है तो स्थिर वृहद आर्थिक नीति बहाल करनी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि घाटे को समझदारीपूर्वक नियंत्रित करना होगा, करों को बढ़ाना होगा और व्यय में कटौती करनी होगी। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को बरकरार रखना होगा। बजट संबंधी बाधा की अनुपस्थिति से उत्साहित राजनेता महामारी के बाद नशे में चूर हैं। बाजार ने हर मामले में अपनी प्रतिक्रिया में उन्हें असहज नहीं किया है। परंतु ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने ऐसा किया है। अब वक्त है कि वृहद आर्थिक स्तर पर संयम का परिचय दिया जाए।

आपका पक्ष

डिजिटल अरेस्ट पर सरकार लाए सख्त कानून

डिजिटल लेनदेन में जब से मोबाइल से भुगतान करने का चलन बढ़ा है तब से डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। इसमें पढ़े लिखे एवं समझदार लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। देश में ऑनलाइन ठगी करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह ठगी पहले की जानेवाली ठगी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। पहले खाते से जानकारी मांग कर पैसा निकाल लिया जाता था जिसमें इनाम का भी लालच दिया जाता था। लेकिन अब डिजिटल अरेस्ट से डरा धमका कर ठगी की जा रही है। अतः सरकार कड़े कानून बनाकर डिजिटल अरेस्ट से होने वाली ठगी पर रोक लगाए। केंद्र सरकार को इस विषय में संसद के शीतकालीन सत्र में सख्त कानून लाकर डिजिटल अरेस्ट को रोकना चाहिए।

एमएम राजाक्तराज, शाजापुर

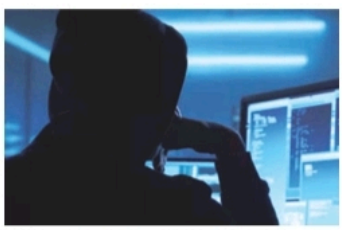

देश में साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपये ठगने के कई मामले आ चुके हैं

सावधानी व सतर्कता से आग हादसे रोकना संभव

आग हादसों को रोकने के लिए आवश्यक है कि भवन निर्माण के समय अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। यथासंभव स्थिति में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग करते हुए आपातकालीन निकासी मार्ग भी बनाया जाए। घर के विद्युत संयोजन में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हुए समय-समय पर विद्युत तारों का परीक्षण भी करते रहें। रसोईघर में खाना बनाते समय गैस सिलिंडर और गैस स्टोव का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हुए घर और कार्यस्थल पर आग बुझाने वाले उपकरण जरूर लगाएं।

हितेश कुमार ललवानी, खंडवा

अग्नि सुरक्षा उपकरणों पर निवेश जरूरी

हमें आग से बचाव के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए। अग्नि सुरक्षा उपकरणों में निवेश करना जरूरी है। कुछ उत्पाद विशेष रूप से आग को रोकने और जान बचाने के लिए बनाए गए हैं। चूंकि आप पूरे दिन घर में रहकर उस पर नजर नहीं रख सकते हैं। इसलिए इन स्मार्ट अग्नि रोकथाम उत्पादों पर भरोसा करना बहुत मददगार हो सकता है। आपदाओं को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सबसे अच्छा रखरखाव जो आप कर सकते हैं, वह है अपने स्मोक डिटेक्टरों की नियमित रूप से बैटरी बदलकर अपडेट करना चाहिए।

धीरेंद्र सोमानी, बेंगलूरु

विद्युत उपकरणों की नियमित जांच करनी होगी

आग हादसे को रोकने के लिए आग से सुरक्षा के नियमों का पालन करें और आग के खतरों से अवगत रहे। विद्युत उपकरणों को नियमित रूप से जांचें और क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलें। ज्वलनशील पदार्थ को आग से दूर रखना चाहिए। समय-समय पर फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, अग्निशामक यंत्र को जांचें। आग से सुरक्षा के उपकरण जैसे अग्निशामक यंत्र, आग रोधी कपड़ा, बालू और आधुनिक तकनीकी स्प्रिंकलर प्रणाली आदि का उपयोग करें। प्रशासन को भी आग के खतरों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।

सौरभ यादव, आंबेडकर नगर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में रोमानिया की राजदूत सना लतीफ (बाएं) का परिचय पत्र स्वीकार किया। इसके अलावा इथियोपिया के राजदूत फेसेहा शावेल गेबरे, जापान के ओनो केइची, दक्षिण कोरिया के ली सियोंग और ग्रेनाडा के उच्चायुक्त पी. गीता किशोर कुमार ने भी अपने परिचय पत्र राष्ट्रपति को सौंपे।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 26 नवंबर 2024

ग़लत हैं अमीर देश

अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रही 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-29) का जिस तीखी असहमति और कड़वे बयानों के साथ समापन हुआ, उसे किसी भी रूप में पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मसले पर विकासशील और विकसित देशों के बीच अविश्वास और संदेह का माहौल बनना भविष्य में सभी देशों की साझा पहल की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।

विकसित देशों का रवैया | विकासशील देशों में इस तरह से छले जाने का भाव पैदा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही विकसित देशों की कंजूसी। कहां तो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने वाले कदमों का खर्च उठाने में विकासशील देशों की मदद के लिए सालाना 1.3

कॉप-29 : असहमति में समापन

ट्रिलियन डॉलर तक के योगदान की बात थी और कहां विकसित देश सालाना 300 बिलियन डॉलर पर आकर ठहर गए।

टारगेट तय करने का अंदाज | जिस तरह से इस मामूली और नाकाफी टारगेट को तय किया गया - न तो इस पर दंग से चर्चा होने दी गई और न ही संबंधित राष्ट्रों को विरोध दर्ज करने का मौका दिया गया - उससे भी विकासशील देशों में नाराजगी पैदा हुई। यह रकम भी विकासशील देशों को पूरी तरह ग्रांट के रूप में नहीं मुहैया कराई जाएगी। इसे विभिन्न सरकारों के साथ ही प्राइवेट स्रोतों से भी जुटाने की बात है जिसमें मल्टिलैटरल डिवेलपमेंट बैंक भी शामिल हैं।

ट्रंप का साया | सम्मेलन के आखिर में बने इस माहौल से अलग हटकर देखा जाए तो दिलचस्प है कि अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का कार्यकाल अभी शुरू नहीं हुआ है, इसके बावजूद उनका साया महसूस होता रहा। यह बात सबके ध्यान में थी कि ट्रंप के दौर में क्लाइमेट चेंज पर US से किसी पॉजिटिव रुख की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में कई विकसित देशों के प्रतिनिधियों की दिलचस्पी यह सुनिश्चित करने में थी कि फंड कम हो या ज्यादा, पर क्लाइमेट चेंज को लेकर जिस तरह की वैश्विक सहमति हासिल की जा चुकी है, उसे आने वाले वर्षों में कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके।

भारत का रुख | भारत ने अपनी अब तक की भूमिका के अनुरूप ही विकसित देशों के नकारात्मक रुख का तीव्र विरोध करने में विकासशील देशों की अगुआई की और ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं का ख्याल न रखने वाले इस फैसले को गलत बताया। बहरहाल, असंतोष और नाराजगी के बावजूद यह ध्यान रखना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के वैश्विक संकल्प को कमजोर न पड़ने दिया जाए।

धूप-छांव

वाकी उलटी धार...

प्रणव प्रियदर्शी

'जिसके सरल आगोश में विपरीतता डूबती रही।' ऐसे लोग कम मिलते हैं जीवन में जिनके व्यक्तित्व को वर्णित करते हुए इस तरह की पंक्ति लिखी जाए और उन पर सटीक बैठती हुई भी लगे। जिनकी बात मैं कर रहा हूं, उन्हें आप नहीं जानते, इसलिए उस मामले में आप गवाही नहीं दे सकते, लेकिन बचपन में ऐसे ऋषि-मुनियों की कहानी तो आपने भी सुनी होगी जिनके पुण्य-प्रताप से आश्रम ही नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र में विपरीतताएं विलीन हो जाया करती थीं, कुछ इस तरह कि शेर और बकरी एक घाट पर साथ पानी पीते नजर आते थे। अगर यह सब कपोल-कल्पना लग रही हो तो जाने-माने समाज सेवक बाबा आमटे के बेटे डॉ. प्रकाश आमटे को देखें जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के ही हेमलकासा नाम की जगह पर आदिवासियों के बीच जीवन बिता रहे हैं। कुछ समय पहले कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के जरिए यह हम सबको बता चुके हैं कि उनके आश्रम में न केवल इंसान बल्कि कुत्ता, शेर, मगरमच्छ और सांप सभी साथ-साथ प्रेम से रहते हैं। इन सबकी विपरीतता को साधने वाले उनके मन की सरलता उनके इस कथन में झलकती है कि 'मैं खुद को खुशकिस्मत इसलिए मानता हूं कि मुझे इस जिंदगी में सिर्फ इंसानों का ही नहीं, बिल्कुल अलग-अलग किस्म के इन मूक प्राणियों का भी प्यार मिला।'

बड़ा सवाल यह है कि विपरीतताओं को आखिर किन स्थितियों में, किस हद तक और कितने समय के लिए साधा जा सकता है? क्या शोषक और शोषित के बीच की विपरीतता दूर हो सकती है? घोड़े और घास की यारी करवाई जा सकती है हमेशा के लिए? अगर किसी ने यह करामात किसी उपाय से कर भी दिखाई तो अंजाम क्या होगा सिवाय इसके कि घोड़ा उपवास करते हुए एक दिन दम तोड़ देगा और घास भीरु-भीरु जंगल का रूप लेती चली जाएगी? जाहिर है, विपरीतताओं की भी अपनी भूमिका है, संसार को चलाते रहने, संतुलन को बनाए रखने में। अक्सर हम साधने के बजाय विपरीतताओं को मिटाने में लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि इस कोशिश में विपरीतताओं के साथ-साथ उतनी ही मात्रा में जीवन भी नष्ट होता चलता है।

'अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं', की सीख के पीछे भी शायद मिटाने के बजाय साधने का ही दर्शन है जिसे अपराधियों का एनकाउंटर करने में बहादुरी मानने वाली सोच नहीं समझ पाती। जाहिर है, विपरीतताओं को मिटाना नहीं, उन्हें साधना ही लक्ष्य हो सकता है हमारा ताकि जिन अंशों में भी ये लक्ष्य हासिल हों, समग्रता में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएं। और हम खुसरो के शब्दों में प्रेम की महिमा गाते हुए विपरीतता को सधते देख सकें- 'खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उलटी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार।'

बोल वचन

बियाह-गौना का सीजन

राहुल पाण्डेय

शहरों में शादी-ब्याह का सीजन आ गया है तो गांवों में बियाह-गौना का। शादी-ब्याह का अर्थ एक ही है, लेकिन बियाह-गौना का नहीं। उत्तर भारत में कई जगहों पर शादी के साथ विदाई नहीं होती। विवाह के कुछ समय बाद, जो कि वर-वधू पक्ष ने तय कर रखा होता है, गौना होता है। गौना यानी बहू की विदाई। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती से महाशिवरात्रि के दिन शादी की थी, लेकिन गौना

AI image

रंगभरी एकादशी के दिन ही आया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल रंगभरी एकादशी पर माता पार्वती का गौना आता है। महिलाएं गौरा माता के विग्रह को गौने के लिए हल्दी लगाकर तैयार करती हैं। तरह-तरह के गौना गीत गाए जाते हैं। गौना एक सामाजिक व्यवस्था भी है, जिसके तहत बाल-विवाह को किसी न किसी रूप में मान्यता मिलती रही है। यह व्यवस्था हिंदी भाषी इलाकों की ही है, साउथ वाले इसे जानते तो हैं, मानते नहीं। उनके यहां विवाह चाहे जब हो, विदाई तुरंत होती है। लेकिन इस ओर शादी अगर बचपन में हो रही है तो गौना बालिग होने पर ही आएगा। वैसे, गांव में जिसका गौना ना आया हो, उसका मजाक भी खूब उड़ाते हैं और चिढ़ाते भी खूब हैं। बेचारा गली-गली शर्माते-लजाते घूमता है। अवधी-भोजपुरी का गौना शब्द कन्नौज पहुंचकर गौनो हो जाता है, तो ब्रज में लौनना। आंगिका, मगही और मैथिली में भी गौना चलता है। कहीं गवोना करके तो कहीं गवना या गवनचार। साउथ की तरह वेस्ट यानी अंग्रेजों में गौना की कोई परंपरा नहीं है तो अंग्रेजी में इसके लिए भला कोई शब्द कहां से होगा?

रियो में हुए G20 शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील ने भारत के ही डिक्लेरेशन को आगे बढ़ाया

भारत के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ा ब्राज़ील

हर्ष वी. पंत

आज दुनिया में जबरदस्त पोलराइजेशन है। बड़ी ताकतें एक-दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। चाहे पश्चिमी देश और रूस का सवाल हो या पश्चिमी देशों के चीन के साथ चल रहे तनाव का, हर तरफ गतिरोध जैसी स्थिति दिखती है। इससे मल्टिलैटरल इंस्टिट्यूशंस ठीक से काम नहीं कर पा रहे। UN हो या IMF, वर्ल्ड बैंक हो या रीजनल इंस्टिट्यूशंस, सब पर इस पोलराइजेशन का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए G20 की अहमियत बढ़ जाती है।

भारत का रोल | जिस तरह से भारत ने G20 की लीड किया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने उसे एक नई दिशा और दशा ही नहीं दी, एक मोमेंटम भी दिया है। उसे एक ऐसा प्लैटफॉर्म बनाया है, जिसमें नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट के बीच पुल बन सके। भारत ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, उससे G20 में जैसे जान आ गई है, और यह एक अहम मल्टिलैटरल प्लैटफॉर्म के तौर पर मजबूत हुआ है।

सुधार की बात | रियो समिट में इस बार ब्राजील के पास G20 की अध्यक्षता थी, जो भारत की G20 की अध्यक्षता के बाद आई। भारत ने कई बातें अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान रखी थीं, जिन्हें ब्राजील ने आगे बढ़ाया। चाहे वह मल्टिलैटरल गवर्नेंस इंस्टिट्यूशंस के रिफॉर्म की बात हो, एनर्जी

AI image

समिट की खास बातें
- भुखमरी पर साथ आए 81 देश
- अमीर लोगों पर टैक्स का प्रस्ताव
- अर्जेंटीना लगातार रहा विरोध में

ट्रांजिशन हो या सोशल इन्क्लूजन, इन्हें केंद्र में रखते हुए ब्राजील ने कहा कि मुख्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों मसलन- UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO वगैरह को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए, कैसे आज की वास्तविकता इन संस्थानों में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और कैसे एक भेदभावरहित सिस्टम बनाना चाहिए।

क्लीन क्लाइमेट | भारत ने अपनी अध्यक्षता में एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर जो बात कही थी, उसे भी ब्राजील ने आगे बढ़ाया है कि कैसे क्लाइमेट क्राइसिस बहुत बड़ा है। G20 के सदस्य देश, जहां से ज्यादातर कार्बन एमिशन होता है, उसे हम कैसे मैनेज करके एक सस्टेनेबल ग्लोबल इकॉनमिक फ्रेमवर्क की तरफ जा सकते हैं। ब्राजील ने पर्यावरण मसलों पर लीडरशिप दिखाने की कोशिश की है, चाहे वह स्थानीय हालात को माप कर आगे बढ़ाने की बात हो, या क्लीन एनर्जी के सोर्सेस को लेकर आगे बढ़ने की।

हंगर अलायंस | एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ब्राजील ने लॉन्च किया- ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। उसने भुखमरी और गरीबी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लामबंद करने की कोशिश की है। आज के हालात में देखें तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है, सामाजिक-आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है। इस अलायंस के जरिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने सबको लेकर आगे बढ़ने की बात रखी।

81 देशों का सपोर्ट | इस अलायंस को 81 देशों ने समर्थन दिया, बस अर्जेंटीना थोड़े विरोध में रहा। अर्जेंटीना में धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रपति हैं, जेवियर माइली। उनकी और प्रेसिडेंट लूला की तनातनी रहती है। लेकिन 81 देशों का सपोर्ट लूला के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाएगा।

अर्जेंटीना की समस्या | समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में कई मुद्दों पर काफी बातें हैं। जियोपॉलिटिक्स मतभेद, भूख, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोगों पर टैक्सेशन और ग्लोबल गवर्नेंस जैसी चीजों पर बात हुई। डिक्लेरेशन का दायरा व्यापक है, लेकिन यह पूरी तरह से इंडोर्स नहीं हुआ। खासकर अर्जेंटीना ने इसके कुछ हिस्सों का समर्थन करने से परहेज किया। अपनी अध्यक्षता में जिस तरह से भारत एक जॉइंट डिक्लेरेशन केंसेसस निकालकर लाया था, वैसा ब्राजील नहीं कर पाया। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद जैसा माहौल बन रहा है, उसे देखते भी कुछ समस्याएं बनी रहीं।

अमीरों पर टैक्स | वैसे बात तो यूक्रेन की भी हुई, लेकिन ल्लादिमीर पूतिन अनुपस्थित थे। G20 डिक्लेरेशन में यूक्रेन में लोग किस तरह से तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसकी बात हुई। इसमें काफी हद तक वही बातें आगे ले जाई गईं, जिन्हें भारत ने अपनी अध्यक्षता के डिक्लेरेशन में कही थीं। ब्राजील का प्रपोजल था कि अरबपतियों की आय पर कम से कम 2% टैक्स लगाया जाए। लेकिन इस पर भी अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच कुछ मतभेद थे। अर्जेंटीना ने डिक्लेरेशन ने साइन किया, लेकिन कुछ पहलुओं पर असहमति जताई।

कितना सफल G20 | कुल मिलाकर देखें तो जिन मुद्दों पर बात हुई, वे काफी हद तक वही थे जिन्हें भारत ने अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ाया था। चाहे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो या टिकाऊ विकास, तकनीक और सामाजिक-आर्थिक गैरबराबरी की, इनमें से कुछ मुद्दों को ब्राजील ने प्राइवेटाइज करके आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि ब्राजील को संयुक्त घोषणा के सिलसिले में भारत जितनी सफलता नहीं मिली। लेकिन भारत की अध्यक्षता के बाद से G20 में जो नई जान आई है, उसे ब्राजील आगे ले जाने में सफल हुआ है। अब आगे इसका मल्टिलैटरल इंस्टिट्यूशंस पर क्या असर होता है, यह देखने वाली बात होगी।

(लेखक लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

मचमच खल्लास, अबी काम पे लगने का!

दीपक पांचपोर

अबी तुम किसी को बी पूछने कूं सकाएच कि इंडिया का सबसे जास्ती इबकास आईटम कऊन सा होताए। जबी वो बोलेंगा क्रिकेट, तबी तुम 'नई' बोलने का! अईसा फुल टू नो नई बोलने कूं सकाताए। अबी उसका क्रेज बोले तो थोड़ा कमती होताए। जबी कूं टीम इंडिया जीतेगा तबी लोग टोटल टाइम टीवी का सामने बईठकर नई तो मोबाइल का भीतर घड़ी-घड़ी स्कोर चेक करेगा। बाकी टाइम पे खाली हाईलाईट्स देख लेगा।

जास्ती मचमच बोले तो पॉलिटिक्स का होताए। क्रिकेट अक्खा साल नई होताए। जबी होएगा खाली तबीच तुम बिजी होएगा। साल का भीतर दो-चार म्याच का वांदा नई। मूवी बी तुम कित्ता देखेगा? हत्ता का भीतर एक देखेगा, दो देखेगा। जास्ती जिगर वाला अऊर पईसा वाला होएगा तबी तीन देखेगा। अबी जास्ती मूवी देखने का वास्ते तुमारा खीसा का भीतर हरा पत्ती का गड्डी मांगताए कि नई? अबी वो जूना बखत गएला जबी तुमकूं पचीस-पचास का टिकिट मिलेगा। इंटरवल होएगा तबी दस-बीस रुपया का समोसा खाएंगा, चा पिएंगा। अबी आज का डेट का भीतर जित्ता का टिकिट होताए उसका फोर टाइम्स तुमारा पाकिट से नोट उड़ जाएंगा। मुर्गी से जास्ती महेंगा मसाला होताए, बॉस! अबी क्रिकेट होन दो कि मूवी- उसपे तुम टाइम खोटी करताए, रोकड़ा खरचा करताए तबी खाली उसपे फोकस करने का। वईसा बी तुमकूं फोकस करना पड़ेगा। तुम उदर बईठ के दूसरा म्याच नई तो दूसरा मूवी का मचमच करेंगा तबी आई शप्पथ पब्लिक तुमारा उदरईच स्लीलिड धुलाई करेंगा। हाफ साइज में होके धर कूं पहुंचेंगा।

AI image

खाली पीली

इस करके अपुन कैताए कि अबी एक फिल्टिम चलता होएंगा नई तो अबी खत्म होएंगा तबी तुम खाली उसीचका बात करने कूं सकताए। वईसाईच जबी तुम एक क्रिकेट का म्याच देखताए। सपोज करने का कि तुम अबी आस्ट्रेलिया-इंडिया का लाइव म्याच देखताए। तबी तुम वेस्टइंडीज-इंग्लैंड म्याच का बात करेंगा क्या? नई न?

बोले तो खाली पॉलिटिक्स का स्टोरी फुल टू अलग होताए। अबी कोई भाषण देताए तबी तुम उसकूं सुनताए पन दूसरा नेते का भाषण का बी बात करने कूं सकताए। एक जगा का इलेक्शन होताए तबी तुम दूसरा जगा का इलेक्शन का नाम लेके बी बोम मारने कूं सकताए। इदर बिहार का इलेक्शन चलता होएंगा तबी तुम राजस्थान का मचमच करने कूं सकताए। क्रिकेट म्याच अऊर मूवी का माफिक इदर कोई नाराज नई होएंगा। उल्टा, तुमकूं न्यूज चैनल वाला स्पेशलिस्ट समझेंगा। टीवी डिबेट तुम देखताए न कि एंकर जबी उसकूं पूछेंगा कि, 'भिड़ तुमारा पार्टी का इस-इस स्टेट का भीतर कईसा वाट लगेलाए?' तबी वो तुमकूं टोटल इंडिया का ए टू जेड स्टेट्स का राउंड लगाएंगा अऊर खोज के बताएंगा कि किदर कूं उसका पार्टी जितेलाए। तुम अबी का इलेक्शन का बात करेंगा, तबी वो पंद्रा-बीस साल पैले का इलेक्शन का बात करेंगा, नई तो पंद्रा-बीस साल बाद का इलेक्शन को लेके रैएंगा। कोई-कोई डेढ़ श्याणे लोग इदर अपना मुलुक का स्टोरी बाजू में रखके दूसरा कंट्री का बी बात करेंगा। इदर सब चलताए, बॉस! बोमाबोम पे बड़ा बोमाबोम करने का नामईच इलेक्शन होताए। खाली इगाईच देखने का कि कऊन बड़ा मचमच करने कूं सकताए। वोईच बोले तो सिर्फदर। अपुन का वेस्ट फ्रेंड बाबूराव कैताए कि 'कोई कूं बी सोचने का बखत नई देने का। एक मचमच खतम होताए उसका पैलेईच दूसरा शुरू कर देने का।'

अबी तुम जानताए कि कोई बी इलेक्शन होताए तबी नेते लोग का बीच सा पंटर बी काम पे लगताए। इलेक्शन होताए, नेता को जीतने दो कि हारने को, वो तुमकूं बोलेंगा कि 'भाई लोग, मचमच खतम। अबी काम पे लगने का!' अईसा नई समजने का कि वो तुमको तुमारा घर का काम, ऑफिस-कचेरी का काम करने का वास्ते बोलताए, छोकरा लोग को पढ़ाई करने कूं कैताए। वो बोलताए- 'अगला इलेक्शन का काम पे लगने का!'

शेयर करें अपने अनुभव

आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पेर, और सब्जेक्ट में लिखें- 'खाली पीली'

कांग्रेस कमज़ोर, क्या तीसरा मोर्चा बनेगा

नरेन्द्र नाथ

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और बढ़त पाई। लेकिन, कुछ महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक हार से पार्टी ने सारी बढ़त गंवा दी है और वह फिर से उसी संघर्ष जोन में पहुंच गई है, जहां वह पिछले 10 बरसों से फंसी हुई है। ऐसा जोन, जहां कांग्रेस न सिर्फ अपने सहयोगी और क्षेत्रीय दलों के निशाने पर रहती है बल्कि पार्टी के अंदर गुटबाजी से भी जूझती रहती है। साथ ही, अब पार्टी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां अगर भविष्य के मद्देनजर उसने ठोस और सख्त फैसले नहीं लिए, तो देश की राजनीति में नया समीकरण भी देखने को मिल सकता है।

कठिन फैसले लेने में देरी

पार्टी के एक नेता ने कहा कि लंबे समय से लंबित मसलों पर फैसला नहीं लेने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वह मानते हैं कि इससे कार्यकर्ताओं में हताशा बढ़ रही है। उनकी बात वाजिब लगती है। मिसाल देखें, पार्टी 11 साल पहले जिन-जिन राज्यों में जिन समस्याओं से जूझ रही थी, आज 11 साल बाद भी उन्हीं समस्याओं से दो-चार हो रही है। हरियाणा, राजस्थान से लेकर कई दूसरी जगह उसे गुटबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी नेतृत्व इस मसले पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया।

तो नेतृत्व से पूछे जाएंगे सवाल

बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस हाशिये पर पहुंच चुकी है, लेकिन अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए उसने कोई गंभीर कोशिश नहीं की। कार्यकर्ता मान रहे थे कि मल्लिकार्जुन खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद चीजें साफ होंगी, संगठन के स्तर पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और इसका विस्तार भी होगा।

लेकिन, बदलाव के नाम पर रस्मअदायगी कर दी गई। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने यथास्थितिवाद को इतना खींच दिया है कि अब अगर बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सीधे उसे ही सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

सीधे मुकाबलों में असफल

BJP के साथ सीधे मुकाबले में ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस टिक नहीं पाई। उसकी यह सियासी कमजोरी दूर ही नहीं हो रही। कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनावों में जीत और लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के जरिये कांग्रेस ने इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया था। हालांकि हरियाणा और अब महाराष्ट्र की हार ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है।

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

सहयोगी दलों में असंतोष

सहयोगी दलों का मानना है कि कांग्रेस फैसले से लेकर तमाम मसलों में न सिर्फ चीजों को उलझा कर रखती है बल्कि अपनी अव्यावहारिक शर्तें थोपती है। एक क्षेत्रीय दल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें कांग्रेस की बात मानना सियासी मजबूरी बन इससे कांग्रेस कुछ अधिक ही आक्रामक हो गई। लेकिन, पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में हार के बाद क्षेत्रीय दल एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे।

फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट

क्षेत्रीय दलों का मानना है कि अब कांग्रेस को सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी या बड़े भाई का हवाला देकर हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए, उसे पहले अपनी वैल्यू स्थापित करनी चाहिए। अगर कांग्रेस के रवैये में बदलाव नहीं आता, तो यह बात भी सामने आ रही है कि गैर-कांग्रेसी और गैर-BJP दल एकजुट होकर फिर से तीसरे मोर्चे की संभावना को टटोलें। इसका संकेत TMC के उस संदेश से मिलता है, जिसमें पार्टी ने कहा कि वह कांग्रेस के साथ जाने को बहुत इच्छुक नहीं है।

अगले एक साल अहम

जनवरी-फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, जहां मौजूदा हालात में AAP और BJP के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। अभी कांग्रेस उतनी मजबूत ताकत नहीं है। अगले साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस वहां RJD की जूनियर पार्टनर के रूप में रहेगी। इसके तुरंत बाद 2026 की शुरुआत में पार्टी असम और केरल में उतरेगी, जहां उसका अपने विरोधियों से सीधा मुकाबला होगा। ऐसे में पार्टी के सामने अगला एक साल मेक या ब्रेक का होगा।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

संतुलन साधकर ही सच तक पहुंचा जा सकता है

मुनि जयकुमार

अध्यात्म की आत्मा अहिंसा में बसती है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा से बचना, यानी किसी भी प्राणी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट न पहुंचाना। अहिंसा केवल शारीरिक चोट से संबंधित नहीं है, बल्कि यह विचारों, शब्दों और कर्मों से भी किसी को नुकसान न पहुंचाने की भावना को व्यक्त करती है। अहिंसा का अर्थ यह भी है कि हम सभी जीवों के अस्तित्व और स्वतंत्रता का सम्मान करें, किसी भी रूप में उसे कष्ट न पहुंचाएं। यह सिद्धांत हमें सबके साथ करुणा, दया और प्रेम से व्यवहार करने की प्रेरणा देता है।

अहिंसा के अलग-अलग पहलू हैं। जैसे मन की अहिंसा आत्मा की शुद्धि के लिए, विचारों की अहिंसा संबंधों की मजबूती के लिए, तो शरीर की अहिंसा प्रत्येक प्राणी के जीवन के सम्मान के लिए है। भगवान महावीर ने विचारों की अहिंसा को विस्तार देते हुए अनेकांत का महान सिद्धांत दिया। अनेकांत का मतलब है कि किसी भी वस्तु या स्थिति को केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, उसे अलग-अलग तरीके से देखना चाहिए। यानी सत्य एक ही होता है, लेकिन उसे देखने का नजरिया अलग-अलग।

वैचारिक अहिंसा या अनेकांत का सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही वस्तु में अनेक गुण होते हैं, उसके अलग-अलग स्वभाव होते हैं। यही अनेकांत है। विरोधी स्वभावों का एक साथ रहना प्रकृति का नियम है। अनेकांत के मूल रूप से दो रूप हैं - सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष यानी वास्तविक और सापेक्ष यानी व्यावहारिक। अस्तित्व के कुछ पहलू हमें दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते। कुछ स्पष्ट होते हैं, तो कुछ छिपे हुए। कुछ चीजें स्थायी होती हैं, जबकि कुछ अस्थायी और बदलने वाली। इन सभी पहलुओं को स्वीकार करना और समझना धर्म और विचारों के महत्व को समझना है।

विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ, दुनिया ने नए अवसर देखे हैं, लेकिन इसके साथ समस्याएं भी बढ़ रही हैं। यदि हम केवल एकतरफा विकास की ओर बढ़ते हैं, तो पर्यावरण की समस्या, शस्त्रों का बढ़ता निर्माण और युद्ध जैसे मुद्दे हमें भेर सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल सापेक्ष दृष्टिकोण, समग्र विकास और अहिंसा के विचार से ही संभव है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने यह बताया कि आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टियों में संतुलन जरूरी है। अगर हम भौतिक प्रगति और उपभोग के संयम को सही दंग से संतुलित नहीं करेंगे, तो हम पर्यावरण और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते।

अनेकांत दर्शन का मतलब है, एक ही समस्या को कई दृष्टिकोणों से समझना। जब हम केवल अपनी दृष्टि पर अडिग नहीं रहते और विरोधी विचारों को भी खुले मन से सुनते हैं, तो हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। यह दर्शन हमें समाज, राष्ट्र और दुनिया की समस्याओं का समाधान सुझाता है। आज के समय में, जब जाति, रंग, भाषा और धर्म जैसी समस्याएं बढ़ रही है, तो अनेकांत दर्शन हमें एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में ले जा सकता है। अगर इसे व्यवहार में उतारें, तो यह समाज के लिए एक बड़ी क्रांति की वजह बन सकता है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ **महाराष्ट्र में जीत**

25 नवंबर का संपादकीय 'जीत से क्या बदलेगा' पढ़ा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अब की बार ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रहे। इस अप्रत्याशित नतीजे ने सहयोगी दलों की भी नैया पार लगा दी। महाराष्ट्र के इन चुनावों में लाजवाब स्ट्राइक रेट रहा। BJP ने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा और 132 सीटों पर विजय प्राप्त की। जैसे BJP को हरियाणा में अप्रत्याशित जीत की उम्मीद नहीं थी, वैसे ही इतनी शानदार जीत की अपेक्षा उसे महाराष्ट्र में भी नहीं थी। यह एकतरफा जीत बताती है कि महायुति की शिंदे सरकार से जनता नाराज नहीं है। झारखंड में BJP की हार ने I.N.D.I.A. का मनोबल बढ़ाया है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग

■ **पॉलिटिक्स के मजे**

यह पत्र 12 नवंबर को 'खाली पीली' कॉलम में प्रकाशित लेख 'पॉलिटिक्स का

खाली पीली

इंटरनैशनल मजा लेने का' से संबंधित है। यह लेख भारतीय समाज में मीडिया और राजनीति के बदलते प्रभाव को दर्शाता है। अब सूचना की गति इतनी तेज हो गई है कि हर कोई अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से भी जुड़ा हुआ महसूस करता है। पॉलिटिक्स अब न सिर्फ एक राष्ट्रीय मुद्दा है, बल्कि यह एक वैश्विक मनोरंजन का हिस्सा बन चुका है।

जितेंद्र सिंह, ईमेल से

■ **बदल रही राजनीति**

झारखंड में हेमंत सोरेन की JMM की हालिया जीत भारत में राजनीतिक भविष्य के बारे में बड़े सवाल उठाती है। मतदाताओं से जुड़े कल्याणकारी प्रयासों पर BJP कैसी प्रतिक्रिया दे सकती है? क्या कांग्रेस को अपना सामाजिक आधार बढ़ाने के सोरेन के दृष्टिकोण से लाभ होगा? हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी जबर्दस्त बढ़त दर्शाई है। लेकिन फिर भी झारखंड में मिली INDIA की जीत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। देखना होगा कि झारखंड के चुनाव नतीजों का BJP की रणनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।

अंशु भारती, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

डेटिंग ऐप पर दिलों को जोड़ रही टेक्नॉलजी - एक खबर

- क्या रूठे हुए अजीज को भी टेक्नॉलजी ही मना लेगी।

करिश्मा राणा

[illegible]

कल्पमेधा

प्रत्येक इंसान जीनियस है। लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से आंकेंगे तो वह अपनी पूरी जिंदगी यह सोच कर जिएगी कि वह मूर्ख है।

- आइंस्टाइन

संकट बनाम सुविधा

इसमें कोई दोराय नहीं कि जलवायु संकट आज विश्व भर में सभी देशों की चिंता में सबसे ऊपर है और इसके खतरे को कम करने या इससे पूरी तरह निपटने के लिए सभी देशों को अपनी ईमानदार इच्छाशक्ति जाहिर करनी होगी। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि दिनोंदिन गहराते जा रहे इस संकट और इसके प्रभाव पर सभी देश विमर्श तो करते हैं, मगर इससे पार पाने के उपायों को लेकर वही देश अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, जिनकी भूमिका इस मुश्किल को बढ़ाने में ज्यादा रही है। विकसित देशों का यह रुख अपने आप में परेशान करने वाला है कि वे पृथ्वी के जलवायु पर बढ़ते संकट के सवाल पर हर बार दोहरा रवैया अपनाते हैं और इस मसले पर होने वाली तमाम बैठकों का हासिल अपने किसी मकसद तक नहीं पहुंच पाता। इस बार अजरबैजान के बाकू में भी सीओपी-29 की बैठक में उम्मीद जरूर की गई थी कि शायद ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से बढ़ते वैश्विक तापमान और उससे निपटने के उपायों को जमीन पर उतारने को लेकर विकसित देश वास्तव में कुछ ठोस पहल करेंगे। मगर यह अफसोस की बात है कि इस विश्वव्यापी संकट के सवाल पर विकसित देशों को अपनी सुविधा कायम रखना ज्यादा अहम लगता है।

गौरतलब है कि बाकू में संपन्न हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में समूह देशों ने जलवायु वित्त पोषण के रूप में हर वर्ष तीन सौ अरब डालर की सहायता देने पर समझौता किया, वह भी सन 2035 से। जबकि विकासशील देशों की मांग तेरह सौ अरब डालर की थी। यानी एक तरह से विकासशील देशों की मांगों को अनसुना कर दिया गया। विकसित देशों के रुख और सहायता राशि में इतने बड़े अंतर पर विकासशील देशों के बीच गहरी निराशा पैदा हुई और इस पर मतभेद उभरना स्वाभाविक था। भारत की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया कि वह इस प्रस्ताव को वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि प्रस्तावित राशि बहुत ही कम है और यह हमारे देश के अस्तित्व के लिए जरूरी जलवायु कार्रवाई को असंभव बनाएगी। भारत ने समझौते को अपनाने के तरीके को भी आपत्तिजनक और 'पूर्व नियोजित' बताया। समस्या के स्वरूप और उससे निपटने के उपायों के मद्देनजर भारत की आपत्ति को विकासशील देशों का समर्थन मिला, वहीं विकसित देशों के बीच एक विचित्र चुप्पी देखी गई।

यह सही है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से वैश्विक तापमान में इजाफा हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका दुनिया के समृद्ध या विकसित देश ही निभाते हैं। दूसरी ओर, 'ग्लोबल साउथ' के देशों की भूमिका में इसमें अपेक्षया कम है और विकास की निरंतरता को कायम रखने के लिए उनकी कुछ व्यावहारिक जरूरतें हैं। इसी के मद्देनजर विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से उपजने वाले संकट से पार पाने में मदद के लिए विकसित देशों का वित्तीय और तकनीकी संसाधन जुटाने का दायित्व है। इसी जिम्मेदारी के तहत विकसित देशों ने सन 2020 से हर वर्ष सौ अरब डालर जुटाने की पेशकश की थी। वह दावा कितना पूरा हुआ, यह सभी जानते हैं। मगर वक्त और जरूरत के मुताबिक तेरह सौ अरब डालर की मांग को सिर्फ तीन सौ अरब डालर तक समेट देने का औचित्य समझ से परे है। सवाल है कि अगर पृथ्वी के जलवायु पर बढ़ते संकट के मसले को विकसित देश वास्तव में गंभीर मानते हैं, तो उसके मुख्य कारकों और उसके हल के व्यावहारिक उपायों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने के बजाय वे अपने कदम पीछे क्यों खींच लेते हैं!

दावे के बरक्स

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जिस तरह हिंसा हुई, उससे साफ है कि राज्य में महज दावों में ही कानून व्यवस्था दिखती है, जमीनी हकीकत कुछ और है। वहां एक मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के एक अदालत के आदेश के बाद की स्थितियों का आकलन इतना मुश्किल नहीं था कि उससे निपटने के लिए पूर्व तैयारी न हो। मगर आए दिन कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सब कुछ दुरुस्त कर देने का दावा करने वाली सरकार ने यह साधारण-सी दूरदर्शिता दिखानी जरूरी नहीं समझी कि कैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसका नतीजा सामने आया। रविवार को सर्वेक्षण के दौरान धार्मिक स्थल के बाहर बड़ी संख्या में नागरिक जमा हो गए। इसके बाद तनाव बढ़ता चला गया। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई! दूसरी ओर, लोगों में भी यह धारणा क्यों बनी कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई। क्या इस मामले में कुछ जरूरी सावधानी नहीं बरती जा सकती थी? जिला प्रशासन को जहां सभी पक्षों को वस्तुस्थिति बता देना चाहिए था, वहां इतने संवेदनशील मामले में ढिलाई बरती गई और इस मसले पर सियासत करने का कुछ दलों को मौका मिल गया।

पुलिस और जिला प्रशासन की इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि संभल के जिस दीप सराय इलाके में सर्वेक्षण के सवाल पर तनाव और टकराव के हालात पैदा हुए और उसे संभालना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। लोगों को समझा-बुझा कर शांत करने का विकल्प अपनाया जा सकता था। मगर आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि तनाव पहले टकराव में तब्दील हो गया और उसके बाद कई लोगों की जान चली गई। निश्चित रूप से यह समय पर हालात को काबू में करने में नाकामी का नतीजा था। इससे उन दावों की हकीकत का भी पता चलता है कि सरकार किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होने देगी। सच यह है कि अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण मौके पर हालात बेकाबू हुए। मगर इस हिंसक झड़प में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसकी जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी? प्रशासन की सख्ती के बाद स्थिति नियंत्रण में जरूर दिखती है, लेकिन अगर मुद्दे और वक्त की संवेदनशीलता के मद्देनजर जरूरी कार्रवाई का ध्यान रखा जाता, सावधानी बरती जाती, तो वहां जो हुआ, उसे टाला जा सकता था।

खुदरा व्यवसाय का बढ़ता संकट

खुदरा व्यवसाय का वातावरण खरीदारी की अनुभूति प्रदान करता है। दुकान के माहौल से लेकर उत्पादों के विक्रेताओं के साथ बातचीत तक यह क्रेता और विक्रेता के जुड़ाव अनुभव कराता है। इसके विपरीत ई-कामर्स आधुनिक दौर में सुविधा का प्रतीक है।

अजय जोशी

वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य में पारंपरिक खुदरा और ई-कामर्स दोनों ही स्वरूप प्रचलित हैं। ई-कामर्स ने पिछले कुछ वर्षों से तेजी से प्रगति की है। इसका प्रचलन बढ़ रहा है। दोनों ही व्यावसायिक स्वरूपों की अपनी सुविधाएं और कमियां हैं। खुदरा क्रय में क्रेता और विक्रेता आमने सामने होते हैं। उनके बीच व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। जबकि ई-कामर्स में यह बात नहीं रहती, लेकिन आनलाइन खरीदारी ग्राहकों को घर बैठे वस्तुओं की प्राप्ति की सुविधा देती है और वैश्विक उत्पादों तक पहुंच आसान बनाती है। अब तो बिना ई-कामर्स के गांवों और छोटे शहरों में वैश्विक स्तर के ब्रांड और वस्तुओं का विविधता के साथ उपलब्ध होना मुश्किल है।

देश के दोनों तरह के व्यवसायों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि भारत का ई-कामर्स बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। वर्ष 2020 में भारतीय ई-कामर्स कारोबार 3,46,500 करोड़ रुपए का था। यह वर्ष 2026 तक बढ़ कर 10,23,525 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। ई-कामर्स गतिविधियां बढ़ रही हैं। डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के कारण इसमें और तेजी आई है। यों खुदरा व्यवसाय में भी तेजी आ रही है। कई नए खिलाड़ियों के प्रवेश के कारण भारतीय खुदरा व्यवसाय सबसे गतिशील और तेज गति वाले व्यवसायों में से एक के रूप में उभरा रहा है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दस फीसद से अधिक है। भारत में मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी अंतरराष्ट्रीय खुदरा दिग्गजों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है।

शहरी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ रही है। परिधान, सौंदर्य प्रसाधन, जूते, पढ़ियां, पेय पदार्थ, भोजन और यहां तक कि आभूषण जैसी श्रेणियों में 'ब्रांडेड सामान' शहरी भारतीय उपभोक्ताओं को बहुत पसंद आ रहे हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के एक नवीनतम विश्लेषण के अनुसार भारत के खुदरा क्षेत्र का कारोबार 2032 तक दो लाख करोड़ अमेरिकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। देश में खुदरा व्यवसाय का नया स्वरूप शापिंग माल के रूप में भी उभर रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा भारत के उपभोक्ता आधार का लाभ उठाने और बाजार में पहले प्रवेश करने की प्रबल इच्छा के कारण वर्ष 2023 से 2025 के दौरान लगभग साठ नए शापिंग माल चालू होने की संभावना है। भारत खुदरा क्षेत्र में निवेश करने के लिए सबसे अच्छे देशों में से एक है। भारत को इतना आकर्षक बनाने वाले कारकों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, मध्यम आय वर्ग की बड़ी संख्या, बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती घरेलू आय, नए जुड़ते ग्रामीण उपभोक्ता और उपभोक्ताओं का बढ़ता खर्च आदि कई घटक शामिल हैं।

खुदरा व्यवसाय बनाम ई-कामर्स की दृष्टि से दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि उपभोक्ता परिदृश्य में बदलाव के दौर में खुदरा और ई-कामर्स दो अलग-अलग माध्यम हैं। 'खुदरा स्टोर' एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं, जिनसे एक अनुभव प्राप्त होता है। किसी उत्पाद के रंग को स्पष्ट रूप से देखना, उसकी बनावट को महसूस करना और यहां तक कि उसकी खुशबू को सूंघना जैसी बातें वस्तुओं के क्रय में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रानिक कामर्स आधारी

विस्तार में होती है, जहां उत्पादों को छवियों, वीडियो और विवरणों आदि के माध्यम से उत्पाद को दर्शाया जाता है। खुदरा व्यवसाय का वातावरण खरीदारी की अनुभूति प्रदान करता है। स्टोर के माहौल से लेकर उत्पादों के विक्रेताओं के साथ बातचीत तक यह क्रेता और विक्रेता के जुड़ाव का

> **ई कामर्स के बढ़ते प्रचलन के कारण खुदरा दुकानें बंद होने की खबरें भी आती रहती हैं। 'यूबीएस' के विश्लेषकों के अनुसार आने वाले वर्षों में करीब पैंतालीस हजार खुदरा दुकानें बंद होने का अंदेशा है। इसको ध्यान में रखते हुए खुदरा व्यापारी अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शहरी व्यापारियों ने ई-कामर्स को चुनौती देने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। शहर के व्यापारी भी ग्राहकों को घर तक सामान पहुंचाने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के प्रमुख शहरों में दो से ढाई लाख लोगों को 'डिलीवरी ब्वाय' के रूप में नियुक्त किया है ताकि वे भी ई-कामर्स की तर्ज पर ग्राहकों के घर तक सामान उपलब्ध करवा सकें।**

अनुभव कराता है। इसके विपरीत ई-कामर्स आधुनिक दौर में सुविधा का प्रतीक है। यह सहज और परेशानी मुक्त खरीदारी का अवसर प्रदान करता है जो व्यस्त जीवनशैली जीने वालों या बिना किसी मेहनत के विकल्पों में व्यापकता तलाश करने वालों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लगता है।

इसी प्रकार डिजिटल क्षेत्र की विशालता भौतिक स्थान की बाधाओं से मुक्त होकर उत्पादों की विविधता प्रदर्शित कर सकती हैं। इतनी विविधता खुदरा विक्रेताओं के पास सामान्यतः नहीं मिल पाती। पारंपरिक खुदरा व्यापार में मानवीय संपर्कों पर जोर दिया जाता है। इसमें ग्राहक तुरंत अपनी चिंताओं पर चर्चा कर सकता है और सवाल पूछ कर शंकाओं को दूर कर सकता है। खुदरा व्यापार में भौतिक स्टोर चलाने की लागत, काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन और बहुत से अन्य खर्च आते हैं, जिन्हें उत्पाद के मूल्य में जोड़ा जाता है। इससे उत्पाद का विक्रय मूल्य बढ़ जाता है। जबकि ई-कामर्स में यह नहीं होता। उसकी डिजिटल प्रकृति के कारण यह हमेशा 'व्यापार के लिए खुला' रहता है। चाहे छुट्टी हो, आधी रात हो या सुबह, उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार जब चाहें खरीदारी कर सकते हैं। जबकि खुदरा व्यापार के स्टोर को समय, छुट्टियों और अन्य स्थानीय नियमों द्वारा नियंत्रित होना होता है।

ई-कामर्स में अलग अलग साइटें, ईमेल, सोशल मीडिया और लाइव चैट जैसे कई चैनलों के माध्यम से चौबीस घंटे सातों दिन ग्राहक सहायता उपलब्ध होती हैं। खुदरा स्टोर खोलने में तीन से छह महीने तक का समय लग सकता है, जबकि ई-कामर्स स्टोर को तीन महीने से भी कम समय में शुरू किया जा सकता है। खुदरा स्टोर में अगर कोई उत्पाद पोषपूर्ण लगता है, तो उसे तुरंत वापस किया जा सकता है, लेकिन ई-कामर्स में उत्पाद वापस करने और उसे बदलने में कई दिन और सप्ताह लग सकते हैं। कई बार वापस करने और बदलने की सुविधा नहीं मिलती। वापस करने पर मूल्य भुगतान में भी कभी-कभी आनाकानी होती है। ई-कामर्स में कई बार नकली ब्रांड उत्पाद विक्रय की समस्या भी आती है।

ई-कामर्स के बढ़ते प्रचलन के कारण खुदरा दुकानें बंद होने की खबरें भी आती रहती हैं। 'यूबीएस' के विश्लेषकों के अनुसार आने वाले वर्षों में करीब पैंतालीस हजार खुदरा स्टोर बंद होने का अंदेशा है। इसको ध्यान में रखते हुए खुदरा व्यापारी अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शहरी व्यापारियों ने ई-कामर्स को चुनौती देने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। शहर के व्यापारी भी ग्राहकों को घर तक सामान पहुंचाने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के प्रमुख शहरों में दो से ढाई लाख लोगों को 'डिलीवरी ब्वाय' के रूप में नियुक्त किया है, ताकि वे भी ई-कामर्स की तर्ज पर ग्राहकों के घर तक सामान उपलब्ध करवा सकें। स्थानीय बाजार और व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए कई ऐप भी शुरू किए जा चुके हैं। इन ऐप में हजारों व्यापारी अपने उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए जुड़ रहे हैं। आज के व्यवसायिक परिवेश में ई-कामर्स और खुदरा व्यवसाय दोनों माध्यमों का अस्तित्व रहेगा। इसलिए इन दोनों को अपनी चुनौतियों और समस्याओं को दूर करना होगा।

ई-कामर्स को अपने ग्राहकों की शिकायतों का समुचित समाधान करने की जरूरत है, साथ ही उसे अनुचित मूल्य प्रतिस्पर्धा से खुदरा व्यवसाय को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ग्राहकों को भी खुदरा व्यवसाय के संरक्षण की दृष्टि से अपनी खरीदारी में बदलाव लाने की जरूरत है। सामान्य जरूरत की वस्तुओं को आनलाइन खरीदने के बजाय स्थानीय व्यापारियों से खरीदना चाहिए। जहां जरूरी हो और वह उत्पाद स्थानीय स्तर पर नहीं मिल रहा हो, तभी आनलाइन खरीदना चाहिए।

स्वभाव का सांचा

शोभा गोयल

आम जन के बीच एक प्रचलित कहावत है कि स्वभाव और हस्ताक्षर, दोनों नहीं बदलते। यह इस अर्थ में सही है कि मानव स्वभाव व्यक्ति को जन्म के बाद परिवार और समाज में पालन-पोषण के दौरान मिलता है, यह प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। इसकी तासीर इंसान को ताउम्र नहीं छोड़ती। हालांकि परिस्थितियों की वजह से व्यवहार में बदलाव दिख सकता है, जिसे स्वभाव से जोड़ा जाता है, लेकिन यह भी एक आदर्श स्थिति है कि जो जैसा है, उसे वैसा ही रहना चाहिए। उसे खुद को जबरन नहीं बदलना चाहिए। खासतौर पर तब, जब उसका व्यक्तित्व किसी अन्य के जीवन में गैरजरूरी हस्तक्षेप न साबित हो रहा हो।

दरअसल, इंसान का स्वभाव इसकी विशेषता और पहचान है। स्वभाव वैसे भी हमेशा कायम रहने वाला गुण है। जैसे अग्नि का गुण दहन करना है। वह अपना स्वभाव किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ती है। उसी तरह इंसान अगर किसी अन्य के लिए या अपने लिए बाधक नहीं है, तो उसे भी तटस्थ रहना चाहिए। जल का स्वभाव शीतल होता है, लेकिन जैसे ही वह अग्नि के संपर्क में आता है, तो उसे भी अपने साथ ठंडा कर लेता है। यानी अग्नि को अपने जैसा बना लेता है। भले ही शुरू में उसका ताप बढ़ता हो। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, तारे-सितारे, खनिज, जीव-जंतु, पेड़-पौधे, हीरे-मोती आदि के भिन्न-भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं और इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण प्रकृति में अपनी-अपनी अलग पहचान रखते हैं।

पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, मीन जल में। यह इनकी पहचान है। किसी गोताखोर को हम आसानी से मछली की की तरह कह सकते हैं कि देखो... उसकी तैराकी बिल्कुल मछली की तरह है। उसी प्रकार शेर को प्रवृत्ति आक्रामकता होती है। वह किसी अन्य प्राणी को देखते ही भूख होने पर उस पर हमला कर सकता है। शेर के नाम से ही एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है। कई बार हम किसी के व्यक्तित्व में ताकतवर प्रभाव की वजह से उसकी तुलना शेर से कर सकते हैं।

'अवधूत गीता' में स्वभाव को ही ब्रह्म तत्त्व कहा गया है। कहने का आशय यह है कि संज्ञा सूचक वर्ण में ब्रह्म तत्त्व छिपा है। कोई मनुष्य दयालु है, कोई संवेदनशील, कोई गुस्सैल तो कोई स्वार्थी। कोई हरदम मदद के लिए तैयार रहता है तो कोई किसी को कष्ट पहुंचाने की फिराक में रहता है। यह सब मानवीय गुण है। मनुष्य के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव सरल और मिलनसार होता है, वह सभी का प्रिय होता है। सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं और आपसी अच्छा व्यवहार बनाना चाहते हैं। न केवल एक बार या कुछ समय को ध्यान में रख कर, बल्कि हमेशा के लिए। वैसे भी अच्छी दोस्तियों की उम्र बहुत लंबी होती है। अच्छे कर्म इंसान की पहचान बन जाते है। ईश्वर ने मानव को शरीर के साथ बुद्धि का वरदान दिया है। यही बुद्धि और मन इंसान को सही गलत में भेद करना सिखाते हैं।

इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव झगड़ालू है, तो आमतौर पर सब लोग उससे दूरी बनाकर चलते हैं। अगर वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में आसपास लोगों का साथ चाहता है तो उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हमारे भीतर सकारात्मक व्यवहार के आते ही हमारे व्यक्तित्व में निखार जाता है। हमारी प्रकृति चाहे कैसी भी हो, मगर व्यवहार हमेशा सही होना चाहिए। अगर हम सबके साथ सकारात्मक रहें तो हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसानी से हल हो सकती हैं।

इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि किसी महफिल में सुट-बूट पहनकर कोई व्यक्ति शिरकत करता है। सब उसके परिधान और आकर्षक चेहरे से प्रभावित होते हैं। महफिल में जमा लोग सब उससे हाथ मिलाते हैं। अपना परिचय देते हैं। उनमें कुछ लोग इस तरह प्रभावित होते हैं कि उन्हें घर आने का भी आग्रह करते हैं। कुछ लोग उसके साथ दोस्ती भी कर लेते हैं। मगर इस बात की कल्पना करें कि कुछ देर के बाद वही व्यक्ति अचानक उग्र हो जाए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। कारण सिर्फ यह हो कि खाना परोसने वाले वाले किसी बैरे के दिए गए नीबू पानी में नींबू के दो बीज तैरते पाए गए। वह व्यक्ति इसे अपनी शान के खिलाफ समझ ले और कांच का गिलास जमीन पर दे मारे। साथ ही बैरे को थप्पड़ भी जड़ दे। उसका आचरण असभ्य व्यवहार में बदल जाए। इसके बाद स्वाभाविक रूप से उसके बदले रूप और भाव भंगिमा को देखकर लोग उससे अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। बैरे का अपमान करके वह व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ समझ सकता है, लेकिन उसे शर्म तब महसूस होगी, जब महफिल जमाने वाला मेजबान बैरे से पूछे कि 'क्या तुम ठीक हो' और साथ ही झुक कर जमीन पर गिरे हुए कांच के टुकड़ों को उठाने में उसकी मदद करने लगे।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> **अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव झगड़ालू है, तो आमतौर पर सब लोग उससे दूरी बनाकर चलते हैं। अगर वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में आसपास लोगों का साथ चाहता है तो उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हमारे भीतर सकारात्मक व्यवहार के आते ही हमारे व्यक्तित्व में निखार जाता है।**

हम अपने से छोटे या कम हैसियत वाला माने जाने वाले लोगों के साथ मधुर व्यवहार अपनाते हैं तो इस तरह खुद को श्रेष्ठ बनने में अपनी मदद करते हैं। ऐसी बातें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यवहार से छोटी-बड़ी उलझनें भी सुलझ जाती हैं। मन शांत रहता है, जिससे इंसान खुश रहता है। इंसान के नैसर्गिक गुण ही उसे लोकप्रिय बनाते हैं। मनुष्य बने रहने के लिए सत्कर्म और सद्व्यवहार जरूरी है। वरना सब कुछ बिखरते देर नहीं लगती।

लोकतंत्र की सेहत

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। वहीं राज्यों के 47 विधानसभाओं के उप चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। चुनावी नतीजों से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों को एकजुट कर रखा था। मगर जनता ने कुछ के मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र की जनता ने राजग को और झारखंड में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए भी अच्छी है। अब पूर्ण बहुमत की सरकारें जनता के हितों के लिए काम करेंगी। दीर्घकालिक और लघु योजनाओं के माध्यम से प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। महाराष्ट्र की जीत पर कांग्रेस के नेताओं ने उपभोक्ता संरक्षति की जीत बताया है। यह कुछ हद तक सही है कि मुफ्त की योजनाएं जनता को बहुत लुभा रही हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन का जलवा कायम रहा। भाजपा द्वारा चंपई सोरेन और सीता सोरेन को शामिल करने के बावजूद भी झारखंड उसके हाथ में नहीं आया है, यह उसके लिए चिंता का सबब रहेगा।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

तकनीक की लत

'भविष्य की फिक्र' (संपादकीय, 22 नवंबर) पढ़ा। दुनिया भर में जहां आम लोगों को मोबाइल की लत पड़ गई है, वहीं बच्चे भी अछूते नहीं रहे। मोबाइल उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। वे सोते जागते उसी को देखने में खोए रहते हैं और अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं। माता-पिता उनको सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। मगर वे माता -पिता से छुप कर स्मार्टफोन देखते रहते हैं। मोबाइल फोन जहां सभी के लिए आवश्यक बन गया है, वहीं दूसरी ओर उससे लाभ भी हैं। परंतु यह भी सच है कि सोशल मीडिया की लत मानसिक रोहत के लिए हानिकारक होती जा रही है। नाबालिग बच्चे स्मार्टफोन में मादक पदार्थों का सेवन, हिंसा, खान-पान की बुरी आदतों एवं अस्लीलता को देख कर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। चिंता की बात है उनकी यह बुरी लत पढ़ाई में बाधक बनती है। उनकी नींद पूरी नहीं होने से स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है।

- बीरसैन सरल, गाजियाबाद

इलाज की राह

हाल ही में सोशल मीडिया पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी के पौधे चरण का कैंसर सिर्फ खानपान में बदलाव करने से ठीक होने का दावा किया। मगर कैंसर विशेषज्ञों ने अप्रमाणित उपचारों पर भरोसा न करने का आग्रह किया है। प्रमुख कैंसर अस्पतालों और चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि सिद्धू के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, जो पिछले दिनों प्रेस कांफ्रेंस में किए गए। इस तरह का दावा करने से तो देश और दुनिया भर के कैंसर मरीज भ्रमित होंगे और अस्पताल का इलाज छोड़ कर जान का खतरा मोल लेंगे। यह सही है कि भारतीय परंपरा में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत महत्त्व प्राप्त है। इससे लाभ भी होता है। मगर आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अपना महत्त्व है। संवेदनशील और ज्यादा जोखिम वाली बीमारियों के मामले में चिकित्सा को लेकर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

मुश्किल में बच्चे

आनलाइन पढ़ाई को लेकर मनोचिकित्सकों का यही कहना है कि लंबे समय तक चलने वाली इस तरह की कक्षाओं से बच्चों के कोमल मन पर मानसिक असर पड़ सकता है। इसलिए प्रदूषण पर एहतियात बरतते हुए और अब ज्यादा समय न लगाते हुए स्कूलों को खोलने पर विचार करना चाहिए। छोटे बच्चों को स्कूल परिसर में ही शिक्षा का वातावरण देना बेहतर हो सकता है, ताकि वे गैजेट से देर तक दूर रहें और अपनी कक्षाओं में ही पढ़ें। स्कूलों में दोस्तों के साथ खेलना बंद होने से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर असर पड़ता है। ज्यादा अकेलापन बच्चों लिए उचित नहीं है। घर में रह कर वे चिड़चिड़े होने लगते हैं। फिर भूख न लगना और सर दर्द, ये सब भी उनको परेशान कर सकता है। आनलाइन पढ़ाई अल्पकालिक विकल्प ही है। आफलाइन पढ़ाई से ही वे सक्रिय रहते हैं।

- एमएम राजाथताज, शाजापुर

चिंतन

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बिलकुल सही

देश की सर्वोच्च अदालत ने वही किया जो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर अपने तेवर तेवर बरकरार रखते हुए साफ शब्दों में कहा कि अभी प्रेप-4 लागू रहेगा। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा। यह सही भी है। बिना सख्ती के प्रदूषण का समाधान होता नजर भी नहीं आ रहा। जिस सरकारी तंत्र के भरोसे हम बैठे थे वो दिल्ली और देश के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाले वायु प्रदूषण से निपटने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि हल तलाशने की बजाए नाकामी को छिपाने की कोशिश होती रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के सही आंकड़े को सार्वजनिक न करने के भी प्रयास होते रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी यह दलील देता रहा कि 500 से अधिक एक्यूआई के आंकड़े को इसलिए प्रकट नहीं किया जाता, क्योंकि यह स्पष्ट ही होता है कि वायु की गुणवत्ता में इससे ज्यादा कमी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसका क्या मतलब समझा जाए, क्या यह देखा जा रहा था कि एक्यूई 800 और 1000 कैसे होता है। इसी से ही हमारे तंत्र की गंभीरता का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। कितनी चिंताजनक स्थिति है कि देश के दस बड़े शहरों में हर दिन होने वाली मौतों में सात फीसदी से अधिक का मुख्य कारण प्रदूषण है। वहीं दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा साढ़े ग्यारह प्रतिशत के आसपास है। पिछले दिनों चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका लासेंट के अध्ययन में ये आंकड़े सामने आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन शहरों में निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण है, वहां भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र द्वारा आवंटित राशि का बड़ा हिस्सा खर्च तक नहीं हो पाता है। विडंबना देखिए कि 131 शहरों को आवंटित राशि का महज 60 फीसदी ही खर्च हो पाया है। यह स्थिति तब है जब देश के अधिकांश शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। केंद्र सरकार ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम का ऐलान 2019 में किया था। जिसका उद्देश्य प्रदूषण से नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना था। कोशिश थी कि देश के चुनिंदा एक सौ तीस शहरों में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2024 तक घातक धूल कणों की उपस्थिति बीस से तीस फीसदी कम हो सके। दरअसल, इस अभियान के तहत वायु स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाता है। जिसमें सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहन, शहरों में पौधरोपण, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, इलेक्ट्रानिक वाहनों को प्रोत्साहन शामिल है। इस योजना का प्रचार तो खूब हुआ, लेकिन धरातल में कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है तो स्थानीय प्रशासन भी डीजल के 10 और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों पर नकेल कसने में जुटा है। पूरे उत्तरी भारत में हजारों की संख्या में ऐसे वाहन जब्त किए जा चुके हैं। आखिर प्रशासन जागा तो सही। जो प्रयास अब हो रहे हैं, यही होते रहे तो जल्द ही हवा में घुल रहा जहर कम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है।

संविधान दिवस
नरेन्द्र सिंह तोमर

सशक्त-समर्थ लोकतंत्र का प्रतिबिंब

हमारा संविधान जन-जन की भावनाओं, आकांक्षाओं का प्रतीक रहा है। संविधान ने राष्ट्र को राह दिखाई है और समय-समय पर स्वयं में परिवर्तन करके लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त भी किया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और लंबे अध्ययन- मंथन-चिंतन के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। यह समय उसी पवित्र दस्तावेज को स्मरण करने का है जिसने न केवल दशकों से हमारे गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन किया, अपितु कई अन्य देशों को भी अपने संविधान तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। संविधान सभा, राष्ट्र के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्यों से बनी थी। इन सदस्यों का हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान तो रहा ही है, साथ ही संविधान रूपी महत्वपूर्ण दस्तावेज की रचना करके भविष्य के भारत को दिशा दिखाने का महान कार्य भी उन्होंने किया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर की दूरदर्शिता, राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं जन कल्याण की भावना हमारे संविधान में परिलक्षित होती है। हमें इस बात पर भी गर्व करना चाहिए कि संविधान सभा के 389 सदस्यों में 15 महिलाएं भी थीं। यह वह समय था जब दुनिया के तथाकथित प्रगतिशील राष्ट्रों में महिला अधिकारों पर खींच-तान मची थी, हमारे यहां महिलाएं संविधान निर्माण जैसे महान और महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा थीं। हमारे संविधान का आधार स्तंभ इसकी प्रस्तावना है। हमारा संविधान ही प्रारंभ होता है- 'हम भारत के लोग' वाक्य के साथ, अर्थात यहां मैं नहीं हम की भावना के साथ राष्ट्र का एक-एक जन गणतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान की प्रस्तावना में ही जन कल्याण का ध्येय है और इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पूरी तरह से निहित है।

हमारे संविधान की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह जितना कठोर है उतना ही लचीला भी है। समय-समय पर काल, परिस्थितियों, राष्ट्र तथा जन कल्याण को दृष्टगित रखते हुए संविधान स्वयं में संशोधन की क्षमता भी रखता है। सितम्बर 2024 तक हमारे संविधान में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं और इन संशोधनों ने संविधान की शक्ति को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में विगत दस वर्षों में सरकार ने संविधान में पूर्ण निष्ठा के साथ जन कल्याण की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया है। यह दशक संविधान के लोकहित में सशक्त होने का समय था। संविधान में इस दौरान किए गए संशोधन न केवल ऐतिहासिक हैं अपितु राष्ट्र की प्रगति एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण की गति प्रदान करने वाले भी रहे हैं। संविधान का 106वां

संशोधन, इस देश की आधी आबादी अर्थात नारी शक्ति के सशक्तिकरण को समर्पित है। दशकों से लंबित महिलाओं के हक की एक मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्तिवंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से साकार किया है। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण भारत में महिला नेतृत्व को एक नया आयाम देता है। 5 अगस्त 2019 को संविधान में हुआ संशोधन स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए संविधान में प्रावधानित अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाए जाने से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान' का संकल्प स्वतंत्रता के 70 वर्ष उपरांत पूर्ण हो पाया। यह पीएम नरेंद्र मोदी की दृढ़ निर्णय शक्ति का ही परिणाम है कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

तीन आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू करके भारत सरकार ने दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारा है। अंग्रेजों के समय के कानूनों को समाप्त करके उनके स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से समकालीन चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने और लोक आशाओं को ज्यादा पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिंतन में सदैव पहली प्राथमिकता कमजोर वर्ग को सशक्त कर उसे समाज की मुख्यधारा में लाने की रही है। संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 2019 में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के कमजोर आर्थिक वर्ग वाले परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण में मील का पत्थर है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने भारतीय मुस्लिम बहनों के जीवन में रोशनी का एक नया सूरज उगाया है। तीन तलाक जैसी कुप्रथा के अंत से मुस्लिम महिलाओं को अब समाज में बराबरी का अधिकार मिला है। संविधान में यह संशोधन मोदी की दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही जीएसटी के माध्यम से एक देश एक कर की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान का 101वां संशोधन, वर्ष 2019 में संविधान के 104वें संशोधन के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था को 10 वर्ष और बढ़ाने जैसे कदम सरकार की जन कल्याण और प्रगति में गहरी निष्ठा को स्थापित करते हैं। बता दें कि 1951 से अब तक संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान में पहला संशोधन 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया था, उस समय राज्यसभा नहीं थी। भारत के संविधान को विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधानों में से एक माना जाता है। 7 जून, 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने मोदी-3 सरकार की शुरुआत करते हुए संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान की पवित्र पुस्तक को माथे से लगाकर नमन किया था। यही दृश्य पांच साल पहले मोदी-2 के समय भी दृष्टिगत हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की भारतीय संविधान में आस्था न केवल इन दृश्यों से अपितु उनके हर निर्णय से स्वतः परिलक्षित हो रही है। हम सभी को देश के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य पालन में संविधान के प्रति आस्था रखते हुए कार्य करना चाहिए। हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन और अधिकारों का यथोचित उपयोग करना चाहिए। अमृतकाल में विकसित भारत की ओर अग्रसर हमारे राष्ट्र को हमारे संवैधानिक मूल्य सशक्त और समृद्ध करते हैं।

(लेखक मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये उनके अपने विचार हैं)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष

प्रो. बिपिन तिवारी

भारतीय संविधान के 75 वर्ष की गौरव यात्रा

संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान है। यह नियम-कानूनों का दस्तावेज भर नहीं है बल्कि यह वह पवित्र ग्रंथ है जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का संचालन होता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा का गठन छह दिसंबर 1946 को किया गया था। इस सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। इन 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। भारतीय संविधान का प्रारूप डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में बनी सात प्रशासनिक और क़ानूनी विशेषज्ञों की एक प्रारूप समिति ने बनाया। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और विश्व के विभिन्न संविधानों में जो कुछ भारत हेतु उपयुक्त लगा, उसे भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया। विस्तृत चर्चा के बाद भारतीय संविधान का मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष लाया गया एवं संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने। भारतीय संविधान की रचना पर बात होने पर डॉ. अम्बेडकर के साथ-साथ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राऊ का नाम भी आता है, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2015 से वर्तमान सरकार ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मानने का निर्णय किया। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 26 नवंबर 2024 से साल्भर स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अतः यह वर्ष विशिष्ट है। इस दिवस का उद्देश्य संविधान के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है। संविधान को अपनाने का स्मरण कर रहे हैं, जिसने न केवल दशकों से गणतंत्र की यात्रा को निर्देशित किया है, बल्कि कई अन्य देशों के संविधानों को भी प्रेरित किया है। वर्ष भर चलने वाले इस स्मरणोत्सव को 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' के थीम के रूप में मनाया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा का वास है। प्रस्तावना संविधान का प्राण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त और व्यापक परिचय है जो संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को रेखांकित करती है। पूरे विश्व में यदि किसी संविधान की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना मानी गई है, तो वह हमारे देश की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट है कि संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। इसीलिए हमारे संविधान का प्रारंभ ही 'हम भारत के लोग' शब्दों से होता है। संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसे संविधान उद्देशिका के 'हम भारत के लोग' शब्दों से स्पष्ट समझा जा सकता है। यह केवल शब्द नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन देता है तथा बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसे अंगीकृत किए जाने के समय, संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और इसमें लगभग 145,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान माना जाता है। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिनकी संविधान के निर्माण के लिए अंतिम प्रारूप को पूरा करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस अवधि में 11 सत्रों में और 167 दिनों की बैठक हुई। भारत का संविधान न तो मुद्रित है और न ही टंकित। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। पूरे संविधान को हाथ से लिखने में उन्हें 6 महीने लगे और इस दौरान 432 निब घिस गई। यह मूल प्रतियां संसद में रखी हुई हैं। देश का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य का पालन करना हम भूल जाते हैं। हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन कर एक जिम्मेदार नागरिक बनें तो भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

श्रावण मास का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

संकलित
दर्शन

भारतीय मनीषियों ने काल गणना के प्रसंग में संस्कृत के 12 मासों को वैज्ञानिकता की पृष्ठभूमि में निर्धारित किया है, जिसमें श्रावण मास चैत्रादि मासों के क्रम में पांचवें मास के क्रम में स्वीकार किया है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से श्रवण नक्षत्र में अण् प्रत्यय के योग से श्रावण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है श्रवण से संबंधित। ध्यातव्य है कि ज्योतिष शास्त्र में श्रवण नक्षत्र का स्वामी भगवान विष्णु को माना गया है। जिस महीने में श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा होती है, उसे ही श्रावण मास कहते हैं। कुछ विद्वानों के मत से सृष्टि का प्रारंभ जल से हुआ है और सावन मास जल के लिए जाना जाता है। अतः यह सृष्टि का पहला महीना है। वेद कहते हैं- 'अप एव ससर्जादौ' अर्थात विधाता ने सर्वप्रथम जल का निर्माण किया। महाकवि कालिदास जी कहते हैं- 'या सृष्टिः स्त्रष्टुराद्या अर्थात ब्रह्मा की पहली सृष्टि जल ही है। सावन मास में सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। कर्क राशि का सूर्य ही सावन मास है। इस महीने भगवान विष्णु जल का आश्रय लेकर क्षीरसागर में शयन करने चले जाते हैं। जल वृष्टि अधिक होने से पृथ्वी में कणों के भभौंकुर फूट पड़ते हैं। गर्मी का ताप शांत हो जाता है। हृदयहारी वायु बहने लगती है। सभी चराचर जड़ चेतन जीव-जंतु हर्षित हो जाते हैं। प्रकृति का वातावरण सुरम्य हो जाता है। संपूर्ण जीव-जगत उल्लास से भर जाता है। ऊष्णता से संतप्त प्राणियों को शरण देने वाला श्रावण मास का शुभागमन परम आह्लाद देने वाला हो जाता है। सरिताएं, नद, तालाब, नवीन जल से परिपूर्ण हो जाते हैं।

सेवा का समर्पण भाव

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक राजा भोजन कर रहा था, अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्यौरियां चढ़ गयीं। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज! पहले आपका गुस्सा देखकर मैनें समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी। लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे की राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैनें सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं। ताकि दुनिया आपको बदनाम न करे। और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो, या परिवार का कोई सदस्य, ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज न होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये ही लोग हमारे सच्चे हितैषी और सेवक होते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

भाजपा-कांग्रेस के लिए खट्टे-मीठे नतीजे

महाराष्ट्र में भाजपा की शानदार जीत, लेकिन झारखंड में आईएनडीआईए के पाले में गेंद आना भाजपा और कांग्रेस के लिए इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे कुछ खट्टे और कुछ मीठे रहे। बेशक महाराष्ट्र में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा लेकिन भाजपा को भी झारखंड में मिली हार का गंभीरता से मंथन करना चाहिए। आखिर वहां क्यों नहीं मोदी मैजिक चला? वहां क्यों नहीं मोदी का 'एक रहोगे तो सेफ रहोगे' का मंत्र काम आया? क्या महाराष्ट्र धर्म और जाति की भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कीमती मत का प्रयोग करता है? दोनों दलों के लिए ये चुनाव मंथन के विषय छोड़ गए हैं। दोनों दलों को ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी जिससे दोबारा हार का सामना न करना पड़े।

- मंजीत बहल, रायगढ़

ट्रेंड

सहकार से समृद्धि

भारत ने हाशिये पर पड़े वर्ग के उत्थान के लिए सहकारी समितियों के आगे सहकार इकियाने को पुरजोरीति किया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी जी का 'सहकार से समृद्धि' का दृष्टिकोण दुनिया के लिए एक मिसाल बनाकर है।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

सर्वे के नाम पर तनाव

सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश कर 'सर्वोच्च न्यायालय' तुरंत संज्ञान ले और जो अपने तथा सामाजिक लाभ बनाने के उद्देश्य से भाईचारे को ले जाये, उनके खिलाफ सख्त और सीख बनाने का मुकाम दर्ज हो, दंडात्मक कार्यवाई करे।

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित

एक नेता को सदा सहना चाहिए और परिणाम से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन की इसी अवस्था को योग कहते हैं। परिणाम के बारे में सोचे बिना कर्म करते रहो।

-अनिल अंबानी, उद्योगपति

बच्चों को शोभा नहीं देता

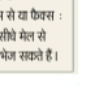

शिक्षितजन के शिक्षाग्रा टोलिया ने देखने को मिला कि छोटी उम्र के बच्चों से फैशल चलना कर्म ये शक्ति करने की नई कोशिश की गई कि शिक्षितजन अब बूढ़ा हो गया है। अपने ही देश के पहले सुपर हीरो को बूढ़ा बताना आज के बच्चों को शोभा नहीं देता।

-मुकेश खन्ना, अभिनेता

करंट अफेयर

हर दिन औसतन 140 महिलाओं की हत्या

महिलाओं के लिए घर ही सबसे घातक जगह बन गए हैं और संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने सोमवार को बताया कि पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन 140 महिलाओं तथा लड़कियों की हत्या उनके घरों में ही अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन वूमन) और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम) ने कहा कि वैश्विक स्तर पर, 2023 के दौरान लगभग 51,100 महिलाओं और लड़कियों की मौत के लिए उनका अंतरंग साथी या परिवार का सदस्य जिम्मेदार रहा, जबकि 2022 में यह आंकड़ा अनुमानित तौर पर 48,800 था। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि हत्याओं के अधिक होने का नहीं बल्कि मुख्य रूप से देशों से अधिक आंकड़े उपलब्ध होने का परिणाम है। दोनों एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया कि 'हर जगह महिलाएं और लड़कियां लिंग आधारित हिंसा के इस चरम रूप से प्रभावित हो रही हैं और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। घर महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे खतरनाक जगह है।'

ऑफ बीट

हिमखंड समुद्र की सतह में ला सकते हैं उथल-पुथल

हिमखंड तब बनते हैं जब ग्लेशियरों और तैरती बर्फ की परतों से बर्फ के टुकड़े टूटते हैं। वे कई आकारों में मौजूद होते हैं, छोटी संरचनाएं जिन्हें 'ग्रोलर' कहा जाता है और 'बर्गी बिट्स' (जो समुद्र स्तर से 5 मीटर तक बढ़ी हुई होती हैं) के रूप में जाना जाता है, से लेकर बड़े हिमखंडों तक जिन्हें उपयुक्त रूप से 'विशालकाय' कहा जाता है। वर्ष 2000 में, अंटार्कटिका के सबसे बड़े हिमखंडों में से एक, जिसे बी-15 कहा जाता है, का सतह क्षेत्र लगभग जमैका के समान आकार का था। तब से, बी-15 कई छोटे टुकड़ों में टूट गया है और अधिकांश पिघल गए हैं। पहले से ही तैरती बर्फ की शेल्फ से टूटने वाले हिमखंड पिघलने पर समुद्र के पानी को विस्थापित नहीं करते हैं, जैसे बर्फ के टुकड़े पिघलने से एक गिलास में तरल स्तर नहीं बढ़ता है। लेकिन जब एक बर्फ की शेल्फ ढह जाती है, तो यह अंतर्देशीय हिमनदी बर्फ को रोक नहीं पाती है। यह अंतर्देशीय बर्फ तब तेजी से आगे बढ़ेगी और तेजी से नए हिमखंडों को छोड़ सकती है, जो समुद्र के पानी को विस्थापित करते हैं और समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान करते हैं। 2022 में, अंटार्कटिका का कांगर बर्फ शेल्फ ढह गया।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

संवाद
जनसत्ता | 26 नवंबर, 2024

आराम

कोलकाता के अलीपुर प्राणी उद्यान में सोमवार को आराम करते हाथी।

बोल

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने पर मुझे 'दुख' हुआ। मुझे याद है कि उनके साथ हर भेंट एक प्रतियोगिता की तरह होती थी। ट्रंप दुनिया में बहुपक्षवाद के लिए एक बड़ी चुनौती हैं।
-एंजेला मर्केल, जर्मनी की पूर्व चांसलर

बोल

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि कड़ी सजा का वारंट जारी होना चाहिए। इजराइली शासन ने गाजा और लेबनान में लोगों पर बमबारी कर भयंकर अपराध किया है। -अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता

सम-सामयिक

यूक्रेन संघर्ष : अमेरिका के फैसले से सहमत नहीं जर्मनी

जनसत्ता संवाद

रूस और यूक्रेन की जंग अब और तेज हो सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली अपनी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। यूक्रेन इन मिसाइलों के जरिए रूस के भीतर हमले कर सकता है। अमेरिका यूरोपीय देशों पर भी दबाव बना रहा है कि वे यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत दें। मगर, अमेरिका के इस फैसले से जर्मनी सहमत नहीं है। उसका तर्क है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने से युद्ध के हालात और बिगड़ने का खतरा है।

यूक्रेन और रूस की जंग में पश्चिम के देश खुलकर यूक्रेन के साथ हैं। मगर, निकट भविष्य में इस युद्ध का कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है और यूक्रेन को मिलने वाली मदद पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हालांकि, युद्ध कैसे खत्म होगा, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है।

यूक्रेन पिछले लंबे समय से अमेरिका और यूरोपीय देशों से मांग कर रहा था कि उसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। अमेरिका इस मांग को टालता रहा है, मगर पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी नीति में बदलाव किया है। हाल ही में अमेरिका ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की यूक्रेन को अनुमति दे दी। इससे यूक्रेन के लिए रूस पर प्रभावी पलटवार करने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका के इस रुख पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई है। रूस ने कहा है कि अमेरिकी मिसाइलें रूस के भीतर आएंगी तो यह रूस पर उसका सीधा हमला माना जाएगा। इसी के मद्देनजर रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव की घोषणा की है। रूस ने कहा है कि अगर किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के समर्थन से यूक्रेन हमला करता है तो इसे साझे हमले के रूप में देखा जाएगा और रूस प्रतिक्रिया में परमाणु हमले पर भी विचार कर सकता है।

समस्या और बढ़ेगी

जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि वह यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने के पक्ष में नहीं हैं, जिनसे वह रूस के भीतर हमला कर सके। उनका मानना है कि इससे समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि समस्या और बढ़ेगी। जर्मन चांसलर के इस रुख को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और जर्मनी में इस तरह के मतभेद डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद सामने आए हैं।

जर्मनी के थिंकटैंक संस्थान किएल इंस्टिट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक, यूक्रेन को अमेरिका अब तक 61 अरब डालर की मदद कर चुका है। वहीं, जर्मनी भी यूक्रेन को 11 अरब डालर की युद्ध सामग्री दे चुका है। इनमें सैनिकों के लिए प्रशिक्षण, टैंक, मिसाइल, तोप और गोला-बारूद शामिल हैं।

इस बीच, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि वह यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने के पक्ष में नहीं हैं, जिनसे रूस के भीतर हमला किया जा सके। जर्मन चांसलर का मानना है कि इससे समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या और बढ़ेगी। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और जर्मनी में इस तरह के मतभेद डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद सामने आए हैं।

शोध

प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों से मौसम पर असर

जनसत्ता संवाद

पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए नए अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण बादलों के निर्माण से लेकर बारिश और यहां तक की जलवायु व मौसम प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। पहली बार जापानी वैज्ञानिकों को बादलों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों की मौजूदगी के सबूत मिले थे। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलाजी: एयर में प्रकाशित हुए हैं।

प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों (माइक्रोप्लास्टिक) से दुनिया भर में एक नया खतरा पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों से लेकर माउंट एवरेस्ट पर भी इनकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। ये सूक्ष्म कण भोजन, पानी और हवा में भी घुल चुके हैं। अब एक नए शोध में सामने आया है कि इन सूक्ष्म कणों के कारण मौसम प्रणाली में भी बाधा पैदा हो रही है। इनकी वजह से बादल बनने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। इसके प्रभाव को जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में भी देखा जा रहा है।

पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए इस नए अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक के ये कण बादलों के निर्माण से लेकर बारिश और यहां तक की जलवायु व मौसम प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। पहली बार जापानी वैज्ञानिकों को बादलों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों की मौजूदगी के सबूत मिले थे। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलाजी: एयर में प्रकाशित हुए हैं। शोध से पता चला है कि प्लास्टिक के यह महीन कण बर्फ के नाभिकीय कणों के रूप में व्यवहार करते देखे गए हैं। बर्फ के ये नाभिकीय कण बेहद महीन एरोसोल होते हैं, जो बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण में सहायता करते हैं।

अध्ययन से जुड़ी प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर मिरियम फ्रीडमैन ने इस बात को रेखांकित किया है कि वातावरण में मौजूद बर्फ के जो क्रिस्टल बादलों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्लास्टिक के सूक्ष्म के कण कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये सूक्ष्म कण बादलों के निर्माण ही नहीं, बल्कि बारिश के क्रम, मौसम पूर्वानुमान और यहां तक कि विमानों की सुरक्षा पर भी असर डाल सकते हैं। फ्रीडमैन के मुताबिक, पिछले दो दशकों के दौरान शोधों से पता चला है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हर जगह मौजूद हैं। वहीं, नए अध्ययन में यह साबित हो चुका है कि ये कण बादलों के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं।

ऐसे में अब यह समझने की आवश्यकता है कि ये कण हमारी जलवायु प्रणाली के साथ कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने चार प्रकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कणों की जांच की, ताकि यह समझा जा सके कि ये बर्फ के जमने को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इनमें कम घनत्व वाली पालीइथिलीन, पालीप्रोपाइलीन, पालीविनाइल क्लोराइड और पालीइथिलीन टेरेफ्थेलेट शामिल हैं। प्रयोग के दौरान शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को पानी की बूंदों में लटकाया और बर्फ बनने का अध्ययन करने के लिए उन्हें धीरे-धीरे ठंडा किया। नतीजे से पता चला कि जिस औसत तापमान पर बूंदें जमीं, वह प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों से रहित बूंदों की तुलना में पांच से दस डिग्री ज्यादा गर्म था।

विश्व परिक्रमा

जलवायु परिवर्तन : वित्तीय मदद पर तकरार बढ़ी

जनसत्ता संवाद

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर तैयार की गई योजना पर अमल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तय लक्ष्य के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में आर्थिक संकट सबसे बड़ी बाधा बन रही है। विकसित देशों ने पेरिस जलवायु समझौते के दौरान विकासशील देशों को वित्तीय मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके अनुरूप आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है।

इसको लेकर विकसित व विकासशील देशों के बीच तकरार बढ़ने लगी है। बाकू में हाल में हुए जलवायु परिवर्तन पर काप-29 सम्मेलन में इसकी तस्वीर साफ नजर आई। भारत समेत कई देशों ने सम्मेलन में पेश किए गए जलवायु

कोष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस सम्मेलन के समापन अवसर पर विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक 100 अरब अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 250 अरब अमेरिकी डालर प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा, जो बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए जरूरी खरबों डालर से काफी कम है। विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पैकेज पर इस नए मसविदे में पहली बार विकसित देशों की ओर से कुछ आंकड़े भी पेश किए गए। मसविदे में कहा गया है कि सभी विकासशील देशों द्वारा मांगे जा रहे 1.3 हजार अरब अमेरिकी डालर प्रति वर्ष सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से जुटाए जाएंगे। मगर, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विकसित देशों पर नहीं डाली जाएगी।

मसविदे के मुताबिक, वर्ष 2035 तक प्रति वर्ष 250 अरब अमेरिकी डालर की धनराशि विकसित देशों द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाई जाएगी, जिनमें सार्वजनिक और निजी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, साथ ही वैकल्पिक स्रोत भी शामिल हैं।

जानें-समझें

भारत-चीन

संबंधों में सुधार के लिए एक और अहम कदम

जनसत्ता संवाद

भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन में उनके समकक्ष वांग यी की ब्राजील में हाल में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत से नई उम्मीद जगी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान बातचीत में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने, दोनों देशों से गुजरने वाली नदियों से जुड़े आंकड़े साझा करने और भारत-चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू करने को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देश अपने रिश्तों में पुरानी कड़वाहट को भुलाकर रिश्तों को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बैठक कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता का सिलसिला निकट भविष्य में सही दिशा में आगे बढ़ेगा।

आपसी सहमति से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता

ब्राजील में चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, हमने सीमा पर विवाद वाले क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की है। हमने द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदमों पर विचार साझा किए और कई मसलों पर आपसी सहमति से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई है। बैठक के दौरान वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन ने सैन्य तनाव कम करने की एक जटिल प्रक्रिया में केवल पहला कदम उठाया है, लेकिन चीन पहले से ही अपनी राजनीतिक और व्यापारिक मांगों को लेकर दबाव डाल रहा है। वर्ष 2017 में बाढ़ से आंकड़े इकट्ठा करने वाले केंद्रों को हुए नुकसान का कारण बताकर चीन ने हाइड्रोलाजिकल (जल विज्ञान संबंधी) आंकड़े साझा करने की प्रक्रिया रोक दी थी। हालांकि, बीच-बीच में कुछ समय के लिए इससे संबंधित जानकारियां दी गईं, लेकिन सीमा पर तनाव होने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ व येल यूनिवर्सिटी के व्याख्याता सुशांत सिंह का कहना है कि चीन पर सी फीसद विश्वास करना मुश्किल है। ब्राजील में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के एक दिन बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह भारत के लिए बहुत दोस्ताना नहीं है। चीन ने वार्ता के दौरान जो प्रतिबद्ध जताई है, उसे वह व्यावहारिक रूप देगा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

चीन के विदेश मंत्री के साथ सीमा पर विवाद वाले क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की गई है। हमने द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदमों पर विचार साझा किए और कई मसलों पर आपसी सहमति से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई है। बैठक के दौरान वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। चीन के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हों, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले दोनों देशों की सीमा पर शांति कायम होना जरूरी है।

- एस जयशंकर, विदेश मंत्री

ब्राजील में भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान हमने एक-दूसरे के मूल हितों का सम्मान करने, बातचीत व संवाद के माध्यम से आपसी विश्वास बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द पटरी पर लाने पर जोर दिया है। दोनों पक्षों को अधिक सकारात्मक संकेत भेजने चाहिए और सीधी उड़ानें फिर शुरू करने व वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे मुद्दों पर व्यावहारिक रूप से काम करने की जरूरत है।

- वांग यी, चीन के विदेश मंत्री

दोनों पक्षों के बयानों में अंतर क्यों

भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से जो बयान जारी किए गए, उनमें कुछ अंतर भी नजर आया। हालांकि, रक्षा विशेषज्ञ बयानों के इस अंतर के पक्ष में एक तर्क यह भी दे रहे हैं कि ऐसे बयान अक्सर संयुक्त नहीं होते हैं। कूटनीतिक मामलों में संयुक्त बयान में सब कुछ शब्दशः एक जैसा होता है। भारत ने अपने बयान की शुरुआत सीमा की वापसी से शांति और स्थिरता बताकर की है, जबकि चीन की तरफ से जारी बयान में सीमा और सैनिकों की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में सहमति पर जोर दिया गया है। साथ ही बातचीत के दौरान कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने, दोनों देशों से गुजरने वाली नदियों से जुड़े आंकड़े साझा करने और भारत-चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू करने को लेकर सार्थक चर्चा होने की बात कही गई है। वहीं, चीन ने कोरोना महामारी के दौरान स्थगित कर दी गई दोनों देशों के बीच उड़ानों को फिर शुरू करने की बात तो कही है, लेकिन नदियों से जुड़े आंकड़े साझा करने व कैलाश मानसरोवर यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया है। चीन ने अपने बयान में जल्द से जल्द वीजा की सुविधा देने में व्यावहारिक प्रगति करने की बात कही है।

भारत एकतरफा दृष्टिकोण के खिलाफ

चीन ने अपने बयान में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को महत्व दिया है, जबकि भारत का ध्यान पहले रिश्ते सामान्य करने पर ज्यादा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि भारत प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एकतरफा दृष्टिकोण के खिलाफ है और अपने संबंधों को अन्य देशों के नजरिए से नहीं देखता है। शिव नादर यूनिवर्सिटी में से जुड़े चीनी मामलों के विशेषज्ञ जाबिन टी जैकब जयशंकर के इस बयान को चीनी प्रभुत्व को कमतर करने का प्रयास मानते हैं। उनके मुताबिक, चीन का मानना है कि भारत को अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते कम कर देने चाहिए। चीन चाहता है कि अमेरिका के खिलाफ उसकी लड़ाई में भारत साथ दे, पर भारत को यह किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा।

व्यक्तित्व

हर्षित राणा : भारतीय गेंदबाजी में रफ्तार का नया चेहरा

जनसत्ता संवाद

भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर्थ में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में पदार्पण कर रहे हैं। पहले ही मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने आस्ट्रेलिया की तीन विकेट लेकर सबको चौंका दिया है। भारतीय गेंदबाजी में वह रफ्तार का नया चेहरा हैं।

दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने अप्रैल, 2022 में आइपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ट्वेंटी20 मुकाबले में पदार्पण किया था। हर्षित ने अब तक कुल 10 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 43 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक रणजी ट्राफी मैच में असम के खिलाफ खेलते हुए पांच विकेट लिए थे और बल्लेबाजी में अर्धशतक भी बनाया था।

हर्षित राणा को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी और वह दोस्तों के साथ गलियों में क्रिकेट खेला करते थे। वर्ष 2012 में जब हर्षित सातवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपने स्कूल में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। वह सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करते थे, दिन में स्कूल जाते थे और शाम को अपने पिता के साथ फिर से अभ्यास करते थे। हालांकि, अभ्यास के दौरान उनकी पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट के कारण वह दिल्ली अंडर-14 और दिल्ली अंडर-16 टीमों के लिए खेलने से चूक गए। चोटों से उबरने के बाद वह दिल्ली अंडर-19 टीम के लिए खेले। हर्षित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह कई बार अभ्यास करते वक्त बहुत थक जाते थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक दिन भारतीय टीम में शामिल होने का था।

हर्षित राणा ने जून 2023 में दलीप ट्राफी में हैदराबाद के खिलाफ 75 गेंदों में अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया था। जुलाई 2023 में उन्हें इंडिया ए टीम के लिए चुना गया और एशिया कप टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला। उन्होंने अब तक सात प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28 विकेट लिए हैं।

केकेआर ने हर्षित राणा को 2024 आइपीएल सीजन के लिए 20 लाख रुपए में दोबारा चुना था। वह तब चर्चा में आए, जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के पहले मैच में हेनरिक क्लासेन को आउट किया और आखिरी ओवर में 13 रन बचाकर अपनी टीम को जीत दिलाई।

समाज के भीतर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता और व्यवस्था के लिए कानून आवश्यक आधार है। -जे विलियम फुलब्राइट

उत्तर प्रदेश के संभल स्थित मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पड़ताल हो, दोषियों को सजा मिले और यह भी सुनिश्चित हो कि इसकी आड़ में समाज विरोधी तत्व फायदा न उठा सकें।

संभल में संभलकर

उत्तर प्रदेश के संभल स्थित मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे यह भी उजागर होता है कि एक बेहद संवेदनशील इलाके में किए जा रहे सर्वे को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां उस स्तर की नहीं थीं, जैसी होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि स्थानीय अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया कि जिस जगह पर मस्जिद है, वहां पहले एक मंदिर था। अदालत के आदेश से ही सर्वे टीम मस्जिद पहुंची थी। हालांकि यह भी है कि कुछ दिन पूर्व जब यहां प्रारंभिक सर्वे किया गया था, तभी तनाव के कुछ संकेत मिले थे। इसके बावजूद अगर व्यापक सर्वे के दौरान एहतियाती उपाय नहीं किए गए, तो इसमें गलती पुलिस प्रशासन की ही है। दूसरी बात, सर्वे का जिस तैयारी के साथ विरोध हुआ, हथियारबंद उपद्रवियों ने पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा, ताकि उनकी पहचान न हो सके, उससे तो यही लगता है कि इसकी तैयारी पहले से ही थी। लेकिन स्थानीय खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लग सकी, जिससे सवाल तो पैदा होते ही हैं। पहले भी कई मामलों में अलग-अलग प्रदेशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब भीड़ ने प्रशासनिक अमले द्वारा की जा रही कानूनी कार्रवाई में दखल देने की कोशिश की और हिंसक स्थितियां बनीं। संभल प्रशासन ने उनसे कोई सबक नहीं लिया। यह पूरी घटना इसलिए भी क्षोभकारी है कि उपद्रवी तत्व अगर इस तरह सुनियोजित हिंसा को अंजाम दे सकते हैं, तो वे इसे सामाजिक सद्भाव नष्ट करने की सीमा तक ले जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा इस तरह की घटनाएं सामाजिक व सांस्कृतिक एकता और एकजुटता की भावना के लिए भी गंभीर खतरा हो सकती हैं। विपक्षी दल भले ही इसका दोष किसी पर भी मढ़ें, लेकिन तथ्य यही है कि अदालत के आदेश पर ही टीम सर्वे करने गई थी, जो एक नियमित विधिसम्मत प्रक्रिया है। 1991 का पूजा

स्थल अधिनियम भी ऐसी जगहों के सर्वेक्षण की अनुमति देता है। अगर कोई समुदाय इसे अपने अधिकारों में हस्तक्षेप मानता है, तो उसके लिए भी कानूनी रास्ते खुले हैं, क्योंकि संविधान हर नागरिक को समानता, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार देता है। लेकिन पत्थरबाजी का अधिकार किसी को नहीं है। दोषियों को सजा मिले, साथ ही, उपचुनावों के नतीजे सामने आने के दो दिन बाद हुई इस घटना के बहाने सामाजिक ताना-बाना नष्ट करने की ताक में बैठे असामाजिक तत्व कामयाब न हो पाएं, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सियासी भंवर में बांग्लादेश

बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि शेख हसीना का कोई त्यागपत्र उनके पास नहीं है। बेगम जिया चाहेंगी कि अवामी लीग के फिर से पांव जमाने से पहले चुनाव हो जाएं। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बार-बार हो रहे 'बर्बर हमलों' और ट्रंप की निंदा ने मोहम्मद यूनुस की स्थिति को कमजोर कर दिया है।

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

अपनी सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन के बीच जब बीते अगस्त में शेख हसीना बांग्लादेश से भाग गईं, तो उनकी धुर राजनीतिक विरोधी और दो बार की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की प्रतिक्रिया थी, 'हमें लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाना होगा।' इससे बांग्लादेश पर नजर रखने वाले लोग हैरान रह गए, जिन्हें यह उम्मीद थी कि जिया शेख हसीना के मुल्क भागने पर खुश होंगी, जिन्होंने उन्हें 2018 से जेल में रखा और कथित रूप से उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित रखा था। शायद, पीड़ा ने जिया को इतना समझदार बना दिया है कि अब वह फिर से राजनीतिक गतिविधि शुरू कर सकती हैं, और एक निष्पक्ष चुनाव में जीत की भी उम्मीद कर सकती हैं।

चार दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रहने के कारण, वह जानती होंगी कि राजनीति और चुनाव उनके देश में व्यावहारिक रूप से हर चीज को संचालित करते हैं। उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने मांग की कि भारत में निर्वासन में रह रहीं हसीना को वापस लाया जाए और उनके शासन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मौत और भ्रष्टाचार के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन न तो जिया और न ही बीएनपी इस मांग का समर्थन करते हैं कि हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसे चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए। राजनीतिक तर्क बताता है कि बेगम जिया चाहेंगी कि अवामी लीग के फिर से पांव जमाने से पहले चुनाव हो जाएं। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने कहा कि अवामी लीग राजनीतिक दल है और अगर वे चुनाव लड़ते हैं, तो जनता फैसला करेगी।

वास्तव में इस मुद्दे पर बीएनपी का रुख जमात-ए इस्लामी और अन्य इस्लामी समूहों से अलग है। इस्लामी समूह चाहते हैं कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन छात्र नेताओं के विचारों से अलग है, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और वर्तमान में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में प्रमुख पदों पर हैं। सरकार ने चुनाव सुधारों का

अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की है, जो दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यह मोहम्मद यूनुस के लिए दुविधा की स्थिति है, जो सुधारों के लिए उत्सुक हैं, लेकिन इसे प्रमुख खिलाड़ियों के बीच 'आम सहमति' के लिए छोड़ने पर तैयार हैं। उन्होंने द डेली स्टार अखबार से कहा, 'हम कुछ भी थोप नहीं रहे हैं। हम सिर्फ व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और अगर राजनीतिक दल तय करते हैं कि सुधार जरूरी नहीं हैं, तो चुनाव और भी जल्दी हो सकते हैं। हम शासकों की तरह काम नहीं कर रहे हैं। हम यहां सिर्फ सुविधाकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं।'

साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सुधारों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करते हुए सरकार पार्टी के 'आकार' के अनुसार पक्ष और विपक्ष का फैसला करेगी। छात्र और इस्लामी समूह, खासकर जमात, इसे किस तरह से लेते हैं, यह देखना होगा। जमात के लोगों ने 1971 में बांग्लादेश के उदय का विरोध किया था। मुल्क की आजादी के बाद जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे सैन्य शासन के दौरान हटा लिया गया, लेकिन बाद में फिर हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। एक और पहलू यह है कि जमात बीएनपी की सहयोगी थी और वर्ष 2001-2006 के दौरान जिया की सरकार में उसके दो नेता महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर थे। रिकॉर्ड पर आधारित एक सीधा आकलन यह दर्शाता है कि अवामी लीग को हराने के लिए बीएनपी को जमात एवं अन्य इस्लामी समूहों के साथ हाथ मिलाना होगा। क्या जिया उनके साथ हाथ मिलाने के लिए राजी होंगी?

इससे उन्हें अवामी लीग के मुकाबले कम लाभ होगा, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। हसीना के पलायन के बाद अवामी लीग को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके कई कार्यकर्ताओं को मार दिया गया या उन्हें घरों और दफ्तरों से भगा दिया गया। लीग ने पहले भी ऐसी स्थितियों का सामना किया है। हसीना की गैर-मौजूदगी और किसी परिजन के सक्षम नेतृत्व के अभाव के बावजूद अवामी लीग खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि हाल में बैठकें आयोजित करने के इसके प्रयासों को अनुमति नहीं दी गई। जहां तक हसीना का सवाल है, यूनुस सरकार ने दबाव बनाए रखने की कोशिश की है। यूनुस और उनके अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि वे उनके प्रत्यर्पण की मांग करेंगे।

भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, लेकिन उसमें एक प्रावधान है, जो किसी पक्ष को 'राजनीतिक कारणों से' प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देता है। हसीना के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप में कई मामले दर्ज किए गए हैं। उन पर 'युद्ध अपराधों' के लिए मुकदमा चलाने की भी मांग की गई है, ठीक उसी तरह, जैसे उनकी सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण ने 1971 के आंदोलन के दौरान पाकिस्तानी सेना का सहयोग करने के आरोप में जमात के कई लोगों और एक वरिष्ठ बीएनपी नेता पर मुकदमा चलाकर दोषी ठहराया था और फांसी पर लटका दिया था। ढाका ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) और इंटरपोल से भी संपर्क किया है। यह मानते हुए कि भारत उन्हें वापस भेजने पर सहमत हो जाएगा या उनका प्रत्यर्पण आईसीटी या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से हो जाएगा, हसीना की बांग्लादेश वापसी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दे सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह अवामी लीग को उत्साहित कर सकता है। क्या ऐसी स्थिति में भी बीएनपी चुनाव करवाना चाहेगी, यह स्पष्ट नहीं है।

बांग्लादेश की नाजुक राजनीतिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने खुलासा किया कि हसीना का कोई त्यागपत्र उनके पास नहीं है। इससे सभी संबंधित लोग परेशान हो गए और राष्ट्रपति को हटाने तक की मांग करने लगे। लेकिन उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए संसद ही मौजूद नहीं है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनका सम्मान किया था और उन्होंने अपने अमेरिकी तौरे में रिपब्लिकन पार्टी के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप यूनुस के शासन के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर 'बर्बर हमलों' की कड़ी निंदा करते हुए ट्वीट करने के लिए मजबूर हुए। यूनुस ने इसे 'निराधार' और 'प्रचार' बताते हुए कहा कि यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कही गई थी। लेकिन ऐसी घटनाओं के जारी रहने की खबरों के कारण उनकी स्थिति कमजोर है। समय से पहले चुनाव की मांग उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय

नए देशों में क्या देखा, क्या पाया, यह जितना उन देशों पर निर्भर करता है, उतना ही देखने वाले पर भी। जीवन की संपूर्णता हासिल करनी है, तो घूमना जरूरी है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है।

देशाटन करें और हृदय की धड़कन सुनें

घुमक्कड़ी एक प्रवृत्ति ही नहीं, एक कला भी है। देशाटन करते हुए नए देशों में क्या देखा, क्या पाया, यह जितना देश पर निर्भर करता है, उतना ही देखने वाले पर भी। एक नजर डालो है, जिसके सामने देश भूगोल की किताब के नक्शे जैसे या रेल और जहाज के टाइम टेबल जैसे बिछे रहते हैं। एक दूसरी होती है, जिसके स्पर्श से देश एक प्राणवान प्रतिमा-सा आपके सामने आ खड़ा होता है। आप उसकी धोली ही नहीं, हृदय की धड़कन तक सुन सकते हैं।

ज्ञान-वृद्धि और अनुभव-संचय के लिए देशाटन उपयोगी है। एक समय था, जब कवि के लिए और क्योंकि काव्यकार ही एकमात्र कृतिकार था, इसलिए समझ लीजिए कि अपने अर्थ में साहित्यकार मात्र के लिए देशाटन अनिवार्य समझा जाता था। किंतु देशाटन कैसे किया जाए, इसकी कोई विशेष पद्धति शास्त्रकारों ने नहीं बताई। तीर्थटन की परंपरा थी, लेकिन उसका उद्देश्य अनुभव संचय नहीं, बल्कि पुण्य संचय था, और वह भी भवानुभव से मुक्ति पाने के लिए। यात्रा हमें वह सब कुछ सिखाती है, जो हमें पुस्तक नहीं सिखा पाती। यात्रा करने वाले कुछ ऐसे भी हैं, जो अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषाएं जानते हैं और हिंदी भी पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो कोई विदेशी भाषा नहीं जानते या हिंदी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा नहीं जानते। उनमें ऐसे लोग हैं, जो अनेक बार पश्चिम और पूर्व के विभिन्न देशों की सैर कर आए हैं। जब हम किसी यात्रा पर होते हैं, वहां अकेले बैठना, चुप बैठना-इस प्रश्न की चिंता से मुक्त होकर बैठना कि 'क्या सोच रहे हो?'-यह भी एक सुख है। सोचने से ही सब कुछ नहीं होता-न सोचते हुए मन की चुप्पचाप खुला छोड़ देने से भी कुछ होता है-यह भी सृजन का पक्ष है। यह वैसे ही है, जैसे हमेशा कपड़े पहनने ही के लिए नहीं हैं-उतारकर रखना भी होता है-ताकि धुल सकें।

देशाटन तुम्हारी तुम्हें से पहचान और गहरी करता है। तुम्हारी संवेदना की परतें उधेड़ता है, जिससे तुम्हारा जीना अधिक जीवंत होता है और यह सहारा देशाटन दे सकता है, उससे अलग कोई साहित्यकार व्यक्ति नहीं है, जो रास्ता बता सके। मानव जीवन का मुक्ति का एक साधन तो घूमना है। जीवन की संपूर्णता हासिल करनी है, तो घूमना जरूरी है। दुनिया में अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान महत्वपूर्ण समझा जाता है। एक तो यह है कि आप पूरे मन से ध्यानपूर्वक पढ़ने लग जाएं। दूसरा तरीका यह है कि विपुल पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल जाएं और यह चिंता छोड़ दें कि कब लौटना होगा या कब यात्रा पूरी होगी। मुझे यूरोप-भ्रमण के लिए छह मास का समय दिया गया, जिसे खींच-खांचकर मैंने दस मास तक बढ़ाया, लेकिन इतना समय भी केवल यही जानने भर पर्याप्त होता है कि कुछ भी जानने के लिए वह कितना अपर्याप्त है। लेकिन जानना ही सब कुछ नहीं है। देखना और जो देखा उसके बारे में सोचना बड़ी बात है। कभी-कभी यह भी हुआ कि विदेशी शहरों में जो बातें विशेष जान पड़ी थीं, भारत लौटकर पाया कि वे यहां भी पहुंच गई हैं।

एक पृष्ठ नहीं, पूरी किताब पढ़ें

सूत्र

दुनिया एक किताब है और जो लोग यात्रा नहीं करते, वे केवल एक पृष्ठ ही पढ़ते हैं। जब आप अपने हिस्से के पृष्ठ को पलटते हैं, यानी यात्रा करते हैं, तो यह आपको एक कहानीकार में बदल देती है। इसलिए जरूरी है कि आप एक पृष्ठ नहीं, बल्कि पूरी किताब पढ़ें, यों कहें तो पर्यटक न बनें, यात्री बनें। अंत में बहुत दूर तक यात्रा करें, आप स्वयं से मिलेंगे।

दूसरा पहलू

बाकू में कॉप-29 सम्मेलन में एनिमेटेड फिल्म *मोआना* पर आधारित मंडप ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया।

जलवायु संघर्ष और वह युवा लड़की

बाकू में हुए कॉप-29 सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडलों के मंडप से गुजरते हुए मोआना ब्लू पैसिफिक मंडप ने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान आकर्षित किया। इस मंडप का नाम एनिमेटेड फिल्म *मोआना* की उत्साही युवा लड़की के नाम पर रखा गया था। वह प्रशांत द्वीपवासियों व युवा पीढ़ी के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जो अपने द्वीप को पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए लंबी यात्रा पर जाती है। वास्तविक दुनिया में भी ऐसी ही लड़ाई चल रही है, जहां छोटे द्वीपीय विकासशील देश और युवा कार्यकर्ता जलवायु कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं- मैं इसे 'मोआना प्रभाव' कहती हूं।

सुसान एन सैमुअल

मंडप में वानुआतु के एक प्रतिनिधि ने बताया कि 'हम अब तक की वार्ताओं से थक चुके हैं।' ये वे शब्द जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में मौजूद देशों की थकावट को दर्शाते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के एक साल बाद रिलीज हुई पहली *मोआना* फिल्म पर्यावरण की पैरोकारी की भावना को जगाती है। *मोआना-2* 29 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। छोटे द्वीपीय विकासशील देश जलवायु परिणामों का भारी खामियाजा भुगतते हैं। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उनके न्यूनतम योगदान के बावजूद उन्हें अन्य चुनौतियों के अलावा बढ़ते समुद्री स्तर से लेकर चरम मौसम व जैव विविधता की हानि जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

अपर्याप्त वैश्विक समर्थन के कारण इन देशों में निराशा बढ़ रही है। यही कारण है कि पापुआ न्यू गिनी के प्रतिनिधि ने कॉप-29 में भाग नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद आशंका है कि अमेरिका फिर से अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं से पीछे हट सकता है। दो दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जलवायु परिवर्तन पर सलाहकार की राय पर अपनी सार्वजनिक सुनवाई शुरू करेगा। इस पहल की शुरुआत 2019 में वानुआतु के 27 कानून के छात्रों ने की थी, जिन्होंने एक कक्षा से आंदोलन की अगुवाई की थी। युवा कार्यकर्ताओं की बदौलत यह अदालती फैसला दुनिया में छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के अधिकारों को प्राथमिकता देने के तरीके को बदल सकता है। ये लोग अन्य लोगों व संगठनों को एक अधिक लचीले भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे-जैसे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा जरूरी कार्रवाई की जरूरत है। कॉप-29 व उसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण 'किसी को पीछे न छोड़ना' सम्भवेशिता से शुरू होता है। *(द कन्वर्सेशन से)*

आंकड़े

बैंकों में तकनीक

तकनीक अब लगभग हर कामकाज में शामिल हो गई है। भारतीय बैंक पूरी तरह तकनीक को अपनाने की ओर अग्रसर हैं।

मोबाइल व नेट बैंकिंग	100%
ऑनलाइन खाता	75%
डिजिटल ऋण प्रस्ताव	60%
सामूहिक भुगतान	50%
चैटबॉट का उपयोग	41%

आंकड़े सरकारी व निजी बैंकों में तकनीक प्रयोग के, प्रतिशत में | स्रोत : RBI

निजानंदाचार्य महाराज ने ध्यान के दौरान माता यशोदा के दर्शन किए। माता यशोदा ने उनको मिठाई दी। जब ध्यान टूटा, तो देखा कि महाराज के हाथों में मिठाई थी।

संत निजानंदाचार्य

उमरकोट (मारवाड़) में रहने वाले मत्तू मेहता और कुंपरबाई के बेटे का नाम देवचंद्र था। देवचंद्र की बचपन से ही भगवान में आस्था थी, जो आगे चलकर संत निजानंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए।

एक बार निजानंदाचार्य ध्यान लगा रहे थे। ध्यान में वह ब्रज में पहुंच गए और माता यशोदा के दर्शन किए। माता यशोदा ने निजानंदाचार्य को अपने गले लगा लिया। उन्होंने पूछा, मां! श्रीकृष्ण जी कहां हैं? माता यशोदा ने कहा कि वह तो अभी वन में गायों को चराने के लिए गए हैं। यह सुनकर निजानंदाचार्य भी वन के लिए चल दिए। माता यशोदा ने कहा, 'वन जा रहे हो, तो यह कलेऊ लेते जाओ। वहां श्रीकृष्ण और ग्वालों के साथ तुम भी खा लेना।' इस कलेऊ में माता ने मिठाई भी रखी थी। वन में जाकर निजानंदाचार्य महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और सभी ग्वालों के साथ बैठकर कलेऊ करने लगे। इसी बीच जब ध्यान टूटा, तो देखते हैं कि निजानंदाचार्य महाराज के हाथों में वही मिठाई थी, जो माता यशोदा ने उन्हें दी। वह सात वर्ष की आयु में ही ब्रह्म जिज्ञासा में कच्छ की ओर निकल गए थे। इसी बीच उन्होंने कई संतों के सान्निध्य में सत्संग किया। वह जब 24 वर्ष के हुए, तो जामनगर में आकर चौदह वर्ष तक एकांत में तपस्या की। बताया जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकट होकर निजानंदाचार्य महाराज को दर्शन दिए और तारकमंत्र की दीक्षा भी दी।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 06 जुलाई, 1962

अल्जीरिया के नेताओं में मेल कराना कठिन

अल्जीरियाकेनेताओं में मेल कराना कठिन
फूट खतरनाक सिद्ध होगी
श्री पी.सी. सेन

संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने नेशनल कांग्रेस में भाषण देते हुए कहा कि अल्जीरिया के नेताओं के बीच मेल कराना कठिन है। उन्होंने कहा कि हम उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

सुधियों के विलोप का समय

हजारों साल की विकास यात्रा में जो गुण अर्जित किए, वे 30 सेकंड की रील के जमाने में कितनी तेजी से क्षरित हो रहे हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है।

मनोज मिश्र | **दृष्टिभाव**

साहित्यकारों से खतों-किताब की अभ्यस्त पुरानी पीढ़ी के लोगों की फाइलों में बच्चन जी के पत्रों की यह इबारत आज भी मिल जाएगी-'प के लिए भ.' 'पत्र के लिए भन्यवाद' के संक्षिप्तीकरण की इस शैली का हरिवंश राय बच्चन ने कई दशक पहले जब श्रीगणेश किया था, तब शायद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले दिनों में यह विशिष्ट किस्म की भाषा बन जाएगी।

कुछ बरस पहले जब फोन में एसएमएस की सुविधा आई, तो लोगों ने अनायास ही इसे अपनाना शुरू किया। काट्सएप आने के बाद यह और विकसित हुई। इस दौर में लिखे हुए शब्दों की जगह फोन में पहले से उपलब्ध नाना प्रकार की इमोजी ने ले ली। हंसना, मुस्कराना, प्यार जताना या फिर किसी को चिढ़ाना, हर किस्म की इमोजी उपलब्ध है। कुछ कहने के लिए शब्दों के चयन की जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं रह गई। आज रील्स की हाहाकारी दुनिया ने तो अभिव्यक्ति की इस फटाफट शैली को नए आयाम दे दिए हैं।

ज्यादा घातक बात यह है कि रील्स के नशे के शिकार 15 से 35 साल के युवा ज्यादा हो रहे हैं। *डायरेक्ट साइंस मैगजीन और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू* जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में हाल ही में प्रकाशित अध्ययनों में विशेषज्ञों ने अवसाद, अकेलेपन और ध्यान न मिलने पर उपजी गहरी निराशा को लेकर तो चिंता जताई ही है, यहां तक कह दिया कि ये मनोविकार वर्चुअल आर्टिज्म का कारण बन रहे हैं। दुर्भाग्य से यह सब अब हमें बेहद सुविधाजनक और सामान्य लगने लगा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बिना किसी मानसिक श्रम के संदेश भेजने या झटपट कुछ नया रच देने के चक्कर में हम क्या-क्या खोते चले जा रहे हैं।

मनुष्य ने ध्वनियों से अक्षरों और अक्षरों से शब्दों की यात्रा ऐसे ही नहीं पूरी की है। इसके पीछे उसका हजारों साल का अथक परिश्रम है। पीछे पलटकर देखें, तो गुफाचित्र मनुष्य की अपनी कहानी कहने की इसी बेचैनी को उजागर करते हैं। जाहिर है, इस बेचैनी को रास्ता आसानी से नहीं मिला होगा। विभिन्न प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अलग-अलग ध्वनियां विकसित करने के लिए हमारे पुरखों ने न जाने कितने उपक्रम किए होंगे। और इस क्रम में मनुष्य ने भाषा ही नहीं, और भी बहुत कुछ सीखा। मानसिक स्थिरता और धैर्य जैसे गुण उसे भाषा अर्जित करने की इसी विकास यात्रा में हासिल हुए होंगे। शिकार पर निशाना लगाने और भावना की सटीक अभिव्यक्ति के लिए शब्द के चयन में समान एकाग्रता की जरूरत मनुष्य को पड़ी होगी। बाद में इन्हीं गुणों ने कलाओं के विकास से लेकर विभिन्न प्रकार के आविष्कार तक में अहम भूमिका निभाई।

लेकिन हजारों साल की विकास यात्रा में हमने जो गुण अर्जित किए, वे 30 सेकंड की रील के इस जमाने में कितनी तेजी से क्षरित हो रहे हैं, इसका शायद हमें एहसास भी नहीं है। रील एक किस्म का नशा तो है ही, हमारी चेतना की बुनियादी संरचना पर चोट भी है। हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है कि इस वजह से हम आने वाले दौर में क्या-क्या गंवाने जा रहे हैं। कहानी सुनाना इन्सान की बुनियादी प्रवृत्ति है। कहानी के बहाने इन्सान अपनी पूरी यात्रा अगली पीढ़ी को सौंपता है। क्या यह माना जा सकता है कि जिस पीढ़ी में 30 सेकंड से ज्यादा कुछ सुनने-देखने का धैर्य नहीं बचा है, वह गंभीर सिनेमा, साहित्य या संगीत में दिलचस्पी लेगी? क्या टॉल्स्टॉय के *युद्ध और शांति* तथा दोस्तोयव्स्की के *अपराध और दंड* जैसे मोटे व उत्कृष्ट उपन्यास पढ़ने का धीरज उसके पास होगा? क्या प्रेमचंद के *गोदान* और रेणु के *मैला आंचल* जैसे कालजयी उपन्यासों के लिए इस दौर में कोई जगह है? यह मानकर चलना कि भीमसेन जोशी और कुमार गंधर्व के लंबे आलाप युवा पीढ़ी की सुरुचियों में सहायक बनेंगे, उन्हें भीतर से परिष्कृत और सुसंस्कृत करेंगे, खामख्वाह ही ज्यादा कुछ भी नहीं लगता।

सोचकर देखिए, तो डर लगता है, भित्तिचित्रों और महाकाव्यों से होती हुई जो स्मृतियां हम तक पहुंची हैं, उनके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। स्मृतियां सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होतीं। वे सामाजिक और सामूहिक, दोनों स्तरों पर मनुष्यता को समृद्ध करती हैं। यह कह देना बेमानी है कि तकनीकी बदलाव अपरिहार्य है, इसे स्वीकार किया ही जाना चाहिए। मान कि डिजिटल लॉकर में बहुत कुछ सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लाउड मेमोरी में अनंत स्पेस होता है, लिहाजा स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब सृजन का धीरज ही नहीं बचेगा, तो क्या सृजन होगा और क्या डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखा जाएगा? कोई भी क्लाउड तकनीकी सृजन की स्मृतियों को सुरक्षित रखने का साधन नहीं हो सकती। यह स्मृतियों के विलोप का समय है और हम सब इसे ऐसे ही स्वीकार करने के लिए अभिशप्त हैं।

6 प्रमुख यूरोपीय देशों- इटली, फ्रिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक गणराज्य में राष्ट्रवादी सरकारें हैं, जबकि कई अन्य देशों में राष्ट्रवादी पार्टियां शक्तिशाली हो रही हैं। वहीं, स्वीडन और नीदरलैंड में राष्ट्रवादी दल महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।

ब्र. अश्विनी मलजन
पूर्व प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

ट्रंप की जीत का प्रभाव

अमेरिका की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां

आतंकवाद, वैश्वीकरण, युद्ध एवं आर्थिक उथल-पुथल के कारण आज लगभग पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद उभार पर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम भी उसी तर्ज पर माने जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने चुनाव से पहले और उसके बाद भी बार बार यह कहा था कि वह चीनी वस्तुओं के अंधाधुंध आयात को रोकने का प्रयास करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से समूचे विश्व में अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में बदलाव की चर्चा है, जिसका असर भारत पर भी हो सकता है

हालिया संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा सर्वाधिक हावी दिखा है। फाइल

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इसके बाद से दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में किस तरह के बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने नीतियों में बड़े फेरबदल किए थे। वस्तुतः डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की अप्रवासी नीतियों में भी आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, ताकि अमेरिकावासियों के रोजगार की रक्षा हो सके। उनका इस बात पर जोर रहा था कि अमेरिका को दूरदराज के देशों में सरासर दखल रोकना है, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। अमेरिका फर्स्ट ट्रंप का मंत्र रहा है। ट्रंप के राष्ट्रवाद का जादू सर चढ़कर बोल रहा है।

यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उभार : उधर यूरोप में भी राष्ट्रवाद पुनः उभार ले रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोपीय देशों में पहले उदारवाद और बाद में भूमंडलीकरण और यहां तक कि खुली अप्रवासी नीति भी अपनाई जाने लगी थी। लेकिन आज यूरोपीय देश राष्ट्रवाद पर सवार हो कर अपनी अर्थव्यवस्था और समाज की चिंता कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट के माध्यम से स्वयं को यूरोपीय समुदाय से अलग किया। हालांकि ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय समुदाय के सभी देश भी समुदाय में बने हुए हैं, लेकिन सभी देशों में जहां पूर्व में उदारवादी सरकारों का बोलबाला था, अब राष्ट्रवाद का ज्वार बढ़ता दिख रहा है। छह प्रमुख यूरोपीय देशों इटली, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक गणराज्य में तो राष्ट्रवादी सरकारें पहले से ही स्थापित हो चुकी हैं, कई अन्य देशों में राष्ट्रवादी पार्टियां काफी ताकतवर हो रही हैं। स्वीडन में सरकार का अस्तित्व राष्ट्रवादी दल नेशनलिस्ट स्वीडेन डेमोक्रेट के समर्थन पर टिका है। नीदरलैंड में इस्लाम विरोधी ग्रेट वाइल्डर का दल सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका में है।

जर्मनी और फ्रांस में भी राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों का प्रभाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है और वह सत्ता के काफी नजदीक पहुंच रहे हैं। पंथनिरपेक्षता के नाम पर जैसे जैसे अल्पसंख्यक समुदायों का तुष्टीकरण बढ़ा और तुष्टीकरण के साथ ही साथ अतिवाद भी बढ़ा। साथ ही, हाल ही में फ्रांस और इंग्लैंड में इस अतिवाद के भयानक दृश्य भी सामने आए। इन सब घटनाओं से भी यूरोप और अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में जनमानस का मूड बदला है।

हिंदुओं की प्रशंसा : चाहे यूरोप हो या अमेरिका, राष्ट्रवाद की जीत के कई निहितार्थ हैं। सबसे पहले समझना होगा कि यह अतिवादी ताकतों की एक बड़ी हार है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में हिंदुओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है और अमेरिका में उनकी भूमिका को सराहा है। यहां तक कि स्वयं को हिंदुओं का बड़ा प्रशंसक तक बताया है। इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। उधर हालांकि ट्रंप मुस्लिमों के विरुद्ध तो नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो मुस्लिम अप्रवासी हमास का समर्थन करेंगे, वे उन्हें अमेरिका से बाहर कर देंगे। यानी ट्रंप किसी भी प्रकार के अतिवाद के विरोधी हैं। गौरतलब है कि बाइडन प्रशासन ने अतिवादी ताकतों का समर्थन करने वाली कनाडा सरकार का समर्थन किया था, आने वाला ट्रंप प्रशासन ऐसा नहीं करेगा।

जहां अतिवादी, वामपंथी, वोक, समलैंगिक मानवाधिकार समर्थक एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं, ट्रंप ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी राष्ट्रवाद (अमेरिका प्रथम) का जो नारा दिया और जीत हासिल की वह इस बात का प्रमाण है कि ट्रंप की जीत, एक प्रकार से अतिवादी, वामपंथी आदि ताकतों की भी हार है। हम समझते हैं कि यह चुनाव आर्थिक मुद्दों के अलावा अतिवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सेंसरशिप के मुद्दों पर लड़ा गया था, जहां ट्रंप घरेलू व्यवसायों की रक्षा और बढ़ावा देकर, अप्रवास को प्रतिबंधित करके और अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को निर्वासित करके, अमेरिकावासियों के लिए नौकरियों की रक्षा के लिए अमेरिका में काम करके अमेरिका को फिर से महान बनाने की अपने संकल्प की दोहरा रहे थे। लेकिन ट्रंप की जीत का भारत के लिए क्या मतलब है, यह एक बड़ा सवाल है। अमेरिका-चीन तनाव को देखते हुए, जिसके बढ़ने की आशंका है, ट्रंप के सत्ता में आने पर विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देखते हैं। इससे भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से अपने घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

हालांकि ट्रंप के संरक्षणवादी रुख और टैरिफ बढ़ाने के कारण भारत की अमेरिका को निर्यात में नुकसान होने की भी चिंता हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर व्यक्तियों और व्यवसायों पर करों में संभावित कमी से अमेरिका के विकास में सुधार हो सकता है, जिससे भारत के निर्यात को लाभ होगा। अमेरिका एच1बी वीजा को सख्त कर सकता है, जिससे भारतीय प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे में उनके संचालन की लागत बढ़ सकती है। कुछ आलोचक जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख से भी चिंतित हैं, जिससे 'नेट जीरो' लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है। लेकिन हमें भू-राजनीति के बड़े सवाल और दो मजबूत मित्रों (कूटनीतिक रूप से) अमेरिका और रूस के साथ दुनिया में भारत की स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि नए भू-राजनीतिक परिदृश्य से दुनिया में लंबे समय तक शांति स्थापित होगी जिससे वैश्विक मूल्य शृंखलाएं सुविधाजनक हो सकती हैं। इसके साथ ही ट्रंप के सत्ता में आने से उग्रवाद और आतंकवाद भी हतोत्साहित होगा।

अमेरिकी राजनीति में महिलाओं का संघर्ष

गजेंद्र सिंह
सामाजिक चिंतक

अमेरिका में अब तक एक विचित्र विरोधाभास बना हुआ है। एक ऐसा देश जो समानता का समर्थक है, लेकिन जिसने कभी महिला राष्ट्रपति को नहीं देखा। जिस देश में महिलाएं कारपोरेट जगत में शीर्ष पदों पर पहुंच रही हैं, खेल में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, प्रमुख मीडिया संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं, यहां तक कि उपराष्ट्रपति भी बन रही हैं, वहीं राष्ट्रपति का पद अभी भी उनकी पहुंच से दूर है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, अमेरिका के 248 वर्षों के इतिहास में केवल दो महिलाएं प्रमुख दलों से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनीं। वर्ष 2016 में हिलेरी क्लिंटन और इस बार कमला हैरिस। दुर्भाग्यवश, दोनों का सामना डोनाल्ड ट्रंप से हुआ, जो अक्सर अवरोध तोड़ने के बजाय परंपरागत राजनीतिक नियमों को तोड़ने में अधिक रुचि रखते थे।

वैसे विश्व का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। भारत में इंदिरा गांधी दशकों पहले प्रधानमंत्री बनीं और लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो ने दो बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली। बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना ने बारी-बारी से सत्ता संभाली। श्रीलंका में सिरिमावो भंडारनायके ने विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। हां, इनमें से कई को परिवार का नाम और राजनीतिक विरासत मिली, परंतु कम से कम उन्होंने शीर्ष पद संभाला और सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।

वहीं महिला उम्मीदवारों को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें न केवल अपनी नीतियों और योजनाओं को लेकर, बल्कि अपनी व्यक्तिगत छवि, पहनावे, बोलने के लहजे और यहां तक कि पारिवारिक जीवन को लेकर भी निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है। मीडिया कवरेज में अक्सर उनके व्यक्तित्व पर नीतिगत मुद्दों से अधिक ध्यान दिया जाता है। परंतु अमेरिका में स्थिति जटिल है। यहां की राजनीति में महिला उम्मीदवारों से विरोधाभासी अपेक्षाएं की जाती हैं। वे सक्षम हों, पर बहुत अधिक नहीं, ताकि पुरुष मतदाताओं को असहज न करें। मुखर हों, पर आक्रामक नहीं, ताकि 'अतिआत्मविश्वासी' न लगें। अनुभवी हों, पर बहुत अधिक नहीं, ताकि 'स्थापित व्यवस्था' का हिस्सा न मानी जाएं। यह एक जटिल संतुलन है, जिसे बनाए रखना लगभग असंभव है। युवा पीढ़ी में बदलाव की आशा दिखाई देती है। नए मतदाताओं में लैंगिक समानता को लेकर अधिक जागरूकता है। वे नेतृत्व क्षमता को लिंग के बजाय योग्यता से आंकते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि जेन-जेड में महिला राष्ट्रपति की स्वीकार्यता अधिक है।

वैसे मनोरंजन जगत में अमेरिका महिला राष्ट्रपतियों की कल्पना करने में माहिर है। वहां के अनेक टीवी शो इसके उदाहरण हैं। इन कार्यक्रमों में दिखाया जाता है कि कैसे एक महिला राष्ट्रपति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करती है। लेकिन वास्तविक जीवन में मतदाता अभी भी इस विचार से संकोच करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दलों को चाहिए कि वे महिला नेताओं को अधिक अवसर दें, उनके लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं और फंडिंग में समानता सुनिश्चित करें। इस लिहाज से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि अमेरिका धीरे-धीरे बदल रहा है। कहा जा सकता है कि अमेरिका जो स्वयं को समानता और लोकतंत्र का प्रतीक मानता है, वह महिला राष्ट्रपति के मामले में विश्व से पीछे है। परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी है, लेकिन आशा की किरणें दिखाई देती हैं। नई पीढ़ी के सेंच, बढ़ती जागरूकता और संस्थागत प्रयासों से यह अदृश्य अवरोध एक दिन अक्ष्य टूटेगा। तब तक यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम प्रगति की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाते रहें।

खरी-खरी

मौके लपकने के उस्ताद

रेखा शाह आरबी

आजकल पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम और सभ्य होते जा रहे हैं या असभ्य होते जा रहे हैं। हम विकास में आगे की और बढ़ते जा रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। आज की दुनिया में यदि लोगों को इंसान कहा जाता है तो आदिम युग के लोगों को तो भगवान कहा जाना चाहिए। कम से कम उनके पास इतनी तमीज थी कि कहां पर रोना है, कहां पर हंसना है, कहां पर कैसे व्यवहार करना है। पहले के लोग अगर किसी का दुख देख लेते थे तो स्वयं भी दुखी होकर उस पर संवेदना व्यक्त करते थे। आजकल वीडियो बनाते हैं।

संवेदना और ढोंढस पाकर इंसान अपने दुख से बाहर तो नहीं आ पाता था, लेकिन कम से कम उस समय उसे अपना दुख रोने के लिए कंधा मिल जाता था। अब तो लगता है सुख-दुख पर सहारा देना और दिल से संवेदना व्यक्त करना इंसानी आदत नहीं, केवल जानवरों की आदत रह गई है। हम इंसान तो किसी के दुख में केवल फोटो खींचना जानते हैं।

वैसे आज के समय में कोई दुख से दब जाए तो हम यह सोचते हैं कि इतना कम दुख क्यों है। कुछ और यूनिक किस्म का दुख इसके ऊपर आना चाहिए, ताकि उसके दुख पर बना वीडियो वायरल हो जाए। मतलब हर जगह अपने स्वार्थ की जीभ लपलपाते रहते हैं। इंसान इतना विकसित हो चुका है कि किसी अन्य जीव से उसकी तुलना करने पर डर लगता है कि उस जीव का आत्मा बुरा मान जाएगा।

आजकल तो हालात यह है कि यदि हमारा कोई सैनिक सीमा पर बलिदान भी होता है, तो लोग उसके परिवार से सहानुभूति जताने के बजाय रील बनाने में जुट जाते हैं। परिवार के लिए यह एक घोर दुख का कारण होता है। नेताओं के मामले में तो यह और भी दुखद है। वे तो मौके को लपक ही लेते हैं, पहुंच जाते हैं चेक लेकर फोटो खिंचवाने के लिए। मौका पहचानने की इनकी कला को दाद देनी चाहिए। यूं ही थोड़े न मंत्री बन जाते हैं। अपना जमीर साइड में रख बहुत सारे ऐसे मौके वो वे पहचान लेते हैं और उसे अपने पक्ष में भुनाने पहुंच जाते हैं।

पोस्ट

महाराष्ट्र में महायुति को लाडकी बहिन योजना का फायदा हुआ, वहीं मंडया सम्मान योजना का फायदा हेमंत सोरेन को मिला। महाराष्ट्र में योगी जी का नारा काम आया, तो झारखंड ने धुव्रीकरण के नारों को नकार दिया।
आदेश रावल@AadeshRawal

दिल्ली की लड़ाई के लिए कांग्रेस को खुद को तैयार करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कमजोर रणनीति और आप के साथ गठबंधन को लेकर दुविधा वाली पुरानी कमजोरियों से ही जुझती रहेगी। यह उस पार्टी की स्थिति है, जिसने दिल्ली को उसकी सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री दी।
पल्लवी घोष@_pallavighosh

रनों के अंतर को किनारे रख भी दिया जाए तो याद नहीं आता कि अपनी धरती पर आस्ट्रेलियाई टीम को टेस्ट मैच में कब इतनी निर्ममता से कुचला गया जैसा पर्थ में भारतीय टीम ने किया।
निखिल नाज@NikhilNaz

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अश्विन, जडेजा और शमी की अनुपस्थिति के बावजूद भारत ने आस्ट्रेलिया की दमदार टीम को पर्थ में हरा दिया। यह भारत की सबसे महान विजय में से एक या उससे भी बढ़कर भारतीय क्रिकेट की बड़ी जीत है।
संजय मांजरेकर@sanjaymanjrekar

जागरण जनमत कल का परिणाम

भारतीय टीम के आस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने की संभावनाएं बढ़ गई हैं?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या महाराष्ट्र में भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

हारे जब वे वोट से भड़काए तब आग,
चालू होता हर जगह सभल जैसा राग।
सभल जैसा राग लोग जाते हैं मरे,
नेता करता मौज चहे जीते या हारे।
खुराफात कर लोग रूप पीड़ित का धारे,
खुद भी मरे जाय पुलिस को जब वे मारे।
– ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
रूपए थूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

मुस्लिम-लाभार्थी जोड़ से मजबूत हुईं ममता

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या कांड को लेकर ढाई माह से अधिक समय तक जनांदोलन हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों से लेकर तमाम छोटे कस्बों तक से स्वतःस्फूर्त प्रस्फुटित हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 13 वर्षों के शासनकाल में उनके विरुद्ध पहली बार ऐसा जनाक्रोश दिखा था, लेकिन इसका बंगाल की छह विधानसभा सीटों के उपचुनावों पर प्रभाव नहीं दिखा। सभी छह सीटें भारी मतों के अंतर से तृणमूल कांग्रेस जीत गईं। दो सीटें तो ऐसी रहीं, जहां किसी भी प्रतिद्वंद्वी दल की जमानत तक नहीं बची। शिक्षक भर्ती, नगरपालिकाओं में नियुक्ति और राशन घोटाले के बावजूद यह जीत काफी कुछ कह रही है।

उत्तर 24 परगना जिले की हारोआ में तो तृणमूल प्रत्याशी ने 1.31 लाख से अधिक और कूचबिहार की सितांई सीट पर 1.3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव परिणाम के बाद प्रश्न उठ रहा है कि 75 दिनों से अधिक समय तक जो जनक्रोश सड़कों पर दिखा था, उसका असर उपचुनावों में ईवीएम में क्यों नहीं दिखा? इसका सरल और सीधा जवाब है कि मुस्लिम और नकदी पाने वाले लाभार्थियों के जोड़ ने ममता को अजेय बना दिया है। यही वजह है कि वह हर चुनाव और उपचुनाव आसानी से जीत जा रही हैं। जिन दो सीटों पर तृणमूल ने 1.3 लाख से अधिक वोट के अंतर जीत दर्ज की, उनमें से हारोआ में 80 प्रतिशत से अधिक और सितांई में 40 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, जिन्होंने ममता के पक्ष में एकतरफा मतदान किया है। वहीं लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक हजार रुपये और एससी, एसटी महिलाओं को 1,200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। कन्याश्री में लड़कियों को 750 रुपये प्रति वर्ष और 18-19 वर्ष के बीच एकमुश्त 25 हजार रुपये दिए जाते हैं। रूपश्री योजना में बेटी की शादी के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एकमुश्त 25 हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं कक्षा 11 व 12 के छात्र-छात्राओं को दस-दस हजार रुपये टैबलेट व मोबाइल खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही, हजारों क्लबों को दो-दो लाख, दुर्गापूजा का आयोजन करने वाले 43 हजार से अधिक क्लबों व समितियों को 85-85 हजार रुपये नकद और बिजली बिल में 75 प्रतिशत की छूट के अलावा सरकार की होर्डिंग लगाने के लिए भी रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों को भत्ता भी दिए जाते हैं। ऐसी नकदी देने वाली योजनाएं और मुसलमानों का एकतरफा वोट ममता की जीत का अहम हथियार बन चुका है।

उपचुनाव में जीत के बाद अबीर-गुलाल उड़ाती तृणमूल की महिला कार्यकर्ता और समर्थक। फाइल

इस लाभार्थी वर्ग और मुस्लिम वोटरों का गठजोड़ ऐसा है कि जिन छह निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं, उनमें से नैहाटी और मेदिनीपुर दो शहरी सीटें थीं। नैहाटी कोलकाता से अधिक दूर नहीं है। इतना ही नहीं, नैहाटी आरजी कर कांड में मृत महिला डाक्टर के घर से 15 किलोमीटर के दायरे में है। विपक्ष यहां भी टिक नहीं सका। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीट वार विश्लेषण में नैहाटी में जो अंतर था, उससे अधिक वोटों के अंतर से तृणमूल ने उपचुनाव जीता है। 2021 में मेदिनीपुर सीट पर तृणमूल प्रत्याशी ने 24 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन वहां लोकसभा चुनाव में तृणमूल की बढ़त महज दो हजार से कुछ ज्यादा रही थी, परंतु उपचुनाव में यह अंतर बढ़कर 33 हजार हो गया।

आरजी कर कांड को लेकर वामदलों के नेता अधिक सक्रिय थे, लेकिन देखा गया कि उपचुनाव में वामपंथियों की सभी सीटों पर जमानत भी नहीं बची। इस आंदोलन का विपक्षियों को उपचुनाव में कोई लाभ नहीं मिला। इसे लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल का दावा है कि भाजपा और माकपा द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ किए गए झूठे प्रचार को बंगाल के मतदाताओं ने नकार दिया है। भाजपा सहित विपक्षी दलों ने भी माना है कि ये नतीजे विभिन्न मुद्दों पर तृणमूल के खिलाफ 'बढ़ते जन असंतोष' को नहीं दर्शा रहे हैं। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'आगामी चुनावों में लोगों के असंतोष को वोटों में बदलने के लिए भाजपा को अपने संगठनात्मक आधार को और मजबूत करने की जरूरत है।'

माकपा नेता सृजन भट्टाचार्य के अनुसार, उपचुनाव में लोग विभिन्न समीकरणों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। इस चुनाव में वोट देने से सरकार नहीं बदलती है, इसलिए अभी आरजी कर आंदोलन के प्रभाव को मापना सही नहीं होगा। यह भी सच है कि बंगाल में आम तौर पर उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल की जीत होती रही है।

संविधान

नागरिक अधिकारों का संरक्षक

आज हमारे देश में हर जगह 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की बात जोर-शोर से हो रही है। इसके पीछे संविधान की अपनी शक्ति का विशेष योगदान है

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
चेयर प्रोफेसर, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। हमारे देश का संविधान 75 वर्ष का हो चुका है। आजादी के बाद संविधान स्वीकृति एक अभूतपूर्व घटना थी। आज जब भारत के लोग 21वीं सदी में संविधान की ताकत के साथ जी रहे हैं तो वे इस बारे में जागरूक हैं कि यह संविधान हमारे जीवन का रक्षवाला है, हमारे अधिकारों का संरक्षक है और हमारी गरिमा इससे सुरक्षित रहेगी।

संविधान की इस विश्वसनीयता में भारतीय प्राच्य परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय केवल संविधान से नहीं जीते हैं। वे जीते हैं अपने आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक मूल्यों की भी जो हमारे संविधान में वर्णित मूल्यों को सुरक्षित करने और उसे संवर्धित करने में सहयोगी साबित हुए हैं। यह भारत का सौभाग्य है कि हम अपने उन मूल्यों को जोड़कर अपने जीवन-धर्म तय करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक परंपरा में यही मूल्य ही श्रेयस्कर साबित हुए हैं जिससे हम विश्व के समक्ष गर्व के साथ खड़े होते हैं।

भारत की महान परंपरा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कह चुके हैं कि हमारा संविधान केवल अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, यह सहस्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारे लिए संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान के प्रति हमारा आदर पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। यह हमलोगों का दायित्व है। इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह संविधान के प्रकाश में है। हर वर्ष संविधान दिवस मनाकर हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए।

संविधान को उत्सव के रूप में मनाने के साथ ही अब इसके प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। सहज जीवन जीने वाले लोग अभी भी इस पुस्तक के बारे में नहीं जानते। वे पुलिस, कोर्ट, वकील, जज आदि को ही अपने जीवन का रक्षक मानते हैं। वास्तव में ये लोग भारत के संविधान नहीं हैं, ये इस संविधान के दायरे में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निर्वाहकर्ता हैं। संविधान में निहित शक्तियों को समझकर आमजन के हितों की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। मोदी सरकार आने के बाद इस ओर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन केवल एक आंकड़ा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ही हम लें कि इस आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर कितने मामले दर्ज किए तो भी हम यह कहने के योग्य नहीं हैं कि देश में सभी लोग समान गरिमा के साथ जी रहे हैं। न्यायालयों में लंबित मामले की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है और समाज में हाशिये पर रहने वाले लोग अपने अधिकारों को इस संविधान के माध्यम से कैसे सुरक्षित करेंगे, यह उन्हें पता नहीं है। भारतीय सभ्यता के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

ऐसे में संविधान के उत्सव के साथ देश के प्रत्येक नागरिक के हित-उत्सव के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। निस्संदेह वर्तमान सरकार द्वारा पीएम आवास योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया योजना, मुद्रा योजना आदि के माध्यम से देश की जनता को सुरक्षित व गरिमामय बनाने का संकल्प दोहराया गया है। सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मानों को सुरक्षित किया जिसमें 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। ऐसी अनेक योजनाओं के साथ भारतीय संविधान के आलोक में सरकार ने कल्याणकारी होने के प्रयत्न किए हैं और 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के साथ संवाद करने की भी कोशिश की है। इससे हमारे लोकतंत्र को बहुत बल मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे न्याय की सुगमता हो और संविधान की भूमिका को धरातल स्तर तक ले जाया जाए, जिससे लोग जागरूक हों और भारत की 75 वर्षों की शैक्षणिकारी यात्रा को विशिष्ट बनाएं।

अमृत पर्व : जागरूक समाज ही सशक्त भारत बन सकता है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए इस 75वीं वर्षगांठ पर संपूर्ण भारत से यह अपेक्षा है कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सजग हों जिससे भारत की वैश्विक छवि और अच्छी बन सके। भारत का सच में संविधान उत्सव हो तो अपने पद का दुरुपयोग करने वाले लोग कम से कम अपनी सीमाओं में हो संविधान के मूल्यों के साथ भारतीय जनमानस को उनके न्याय दिलाएंगे तो निस्संदेह हमारे देश की सशक्त लोकतंत्रीय को भी मदद मिलेगी। इससे देश भी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सकेगा। यह संविधान लागू होने का अमृत पर्व है, इसलिए भारत को अमृत देश बनने के लिए अपने अमृत मूल्यों के साथ जीना होगा।

भारतीय संविधान के समक्ष नतमस्तक होकर उसके प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते पीएम नरेन्द्र मोदी। फाइल

****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 26 नवम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

तर्क से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। मूर्ख लोग तर्क करते हैं, जबकि बुद्धिमान विचार करते हैं
-श्री परमहंस योगानंद

उकसावे की राजनीति

पश्चिमी उप्र के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और तीन लोगों की मौत वाकई चिंता की बात है। पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ने व लाठी चार्ज के बावजूद उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक डाला तथा पुलिस बल पर पथराव किया। इसमें पुलिस वालों समेत तकरीबन बीस लोग घायल भी हो गए। ज्ञात है कि स्थानीय अदालत के आदेश के बाद जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था। स्थानीय मंदिर के महंत का दावा है कि जिस जगह जामा मस्जिद है, वहां पहले हरिहर मंदिर था। उसी याचिका पर अदालत ने वीडियो व फोटोग्राफी समेत रिपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया था। पथराव के आरोप में दो महिलाओं समेत पंद्रह लोगों को हिरासत में लिया गया। मामले में याचिकाकर्ता के वकील ही वाराणसी की

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी वकील हैं। इससे समझा जा सकता है, इन लोगों की मंशा लंबी कानूनी लड़ाई की है। हालांकि इन लोगों का दावा है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दूसरे, सर्वे के दौरान मस्जिद कमेटी के सदस्यों समेत उनके वकील भी मौजूद थे। घटना से पहली रात में सारा सर्वे शांतिपूर्ण निपट चुका था। स्थानीय अधिकारियों को अंदेशा है, भीड़ किसी उकसावे के बाद जमा हुई। यह मस्जिद कब बनी, इसे लेकर भी विवाद है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी मरम्मत का काम बाबर द्वारा कराया गया था। क्योंकि इसकी निर्माण शैली मुगलकालीन नहीं है। संभावनाएं हैं कि यह तुगलक काल में बनी हो। फिलहाल यह संरक्षित इमारत पुरातत्व सर्वे की निगरानी में है पर यह विवादित स्थल है। कुछ समय पहले हिन्दू समुदाय यहां जबरन पूजा करने भी जा चुका है, परंतु पहली बार मामला अदालत में ले जाने को राजनीतिक विवाद बनाकर सुर्खियां समेटने का काम अधिक लगता है। मस्जिद के सामने की तरफ हिन्दू तो पिछवाड़े मुसलमानों की बस्ती है। जहां हमेशा नियमित नमाज पढ़ी जाती रही है। मामूली विवाद बने रहने के बावजूद कभी इस तरह का कोई तनाव नहीं हुआ। अयोध्या में विवादित स्थान पर मंदिर बनने के बाद से राजनीतिक लाभ के लोभ में इसे फॉमूले के तौर पर प्रयोग किए जाने की मंशा अधिक लग रही है। राज्य सरकार या विपक्ष को यह शोभा नहीं देता। शांति-व्यवस्था बनाए रखने और सभी नागरिकों को सुरक्षा देने का जिम्मा निभाने में उसे कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इस तरह के धार्मिक विवादों से देश की छवि बिगड़ती है।

भारत की आपत्ति जायज

भारत का 'ग्लोबल साउथ' ((विकासशील, कम विकसित या अविकसित देश) के लिए सालाना 250 अरब अमेरिकी डॉलर जलवायु वित्त पैकेज को खारिज करना बिल्कुल जायज कदम है। जलवायु खतरों से निपटने के लिए यह रकम काफी कम है और भारत के साथ ही विशेषज्ञों ने इसे अनुचित बताया है। विशेषज्ञों ने इसके तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि राशि जुटाने की अवधि 2035 की बजाय 2030 होनी चाहिए। साथ ही यह रकम ज्यादा होनी चाहिए। जलवायु खतरा किस कदर गंभीर हो चला है, यह बताने की जरूरत नहीं है। विश्व के लगभग तमाम देश इस खतरे से जूझ रहे हैं और इससे लड़ने की जुगत में दिन-रात एक किए हुए हैं। लाजिमी है कि इस बड़ी लड़ाई से लड़ने के वास्ते महज हर वर्ष 250 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि बेहद कम है और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसके लिए तत्काल 500 अरब डॉलर

जुटाए जाने की जरूरत है। चिंता की बात यह भी है कि मौजूदा जलवायु कोष महज 100 अरब डॉलर का है। जबकि इसके लिए समग्र तौर पर 1.3 अरब डॉलर की वास्तविक जरूरत है। बहरहाल, भारत की आपत्ति का कई देशों (नाइजीरिया, मलावी, बोलीविया) ने भले समर्थन किया है, मगर ये छोटे देश हैं जिनकी आवाज को हमेशा से अनसुना किया गया है। दरअसल, विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा से पीछे हटते रहे हैं, जबकि पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति इन्होंने ही पहुंचाई है। विकसित देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में विफल रहे हैं। इसके उलट वे ग्लोबल साउथ पर अनर्गल बोझ डालने का दबाव बनाते रहते हैं। स्वाभाविक है कि अगर इतने बड़े मंच में अनैतिक तरीके से समझौते को अंगीकार करने की साजिश रची जाएगी तो जलवायु परिवर्तन से निपटने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सिर्फ अपनी बात रखने और उसे मनवाने की संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-29) की कवायद वाकई अगंभीर नजरिये को परिलक्षित करती है। भारत जैसे विशाल देश को इस मंच पर अपनी बात नहीं रखने देना कहीं से भी ईमानदार और पारदर्शी आचरण नहीं कहा जाएगा। अगर सभी देशों को जलवायु खतरे से वाकई सच्चे दिल से लड़ना है तो उन्हें ऐसे घृत् कर्म करने से बचना होगा। विकसित देशों को बड़ा दिल दिखाने से ही समस्या का समाधान होगा।

चर्चा/राजेश कुमार चौहान

संविधान का सम्मान

वर्ष 1949 की 26 नवम्बर को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान की मर्यादा का ख्याल रखना भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा करेगा कौन?

राजनेताओं को कुर्सी का मोह है और आमजन को सरकारों से मुफ्त योजनाओं की सौगात, अगर ऐसा नहीं होता तो न तो देश की राजनीति दागदार होती, न देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती और न ही देश में कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित रहता, न कोई गरीब महंगी इलाज कारण दम तोड़ता और न ही कोई दो वक्त की रोटी को तरसता। सत सत प्रणाम है उन महान शहीद देशभक्तों को जिनकी बदौलत आज हम सभी एक गणतंत्र राज्य में आजादी से रह रहे हैं। आज सबको कुर्सी और धन दौलत की भूख है? आज गण के भ्रष्टतंत्र में आमजन को जरा भी अहसास नहीं होता है कि यह उनका तंत्र है या उनकी सेवा के लिए संविधान में गण के लिए तंत्र का प्रावधान किया गया था। गण पर तंत्र का हावी होना यह भी दर्शाता है कि देश की राजनीति और नौकरशाही में स्वार्थी-लालची लोगों की बढ़ोतरी हो रही है और देशभक्तों की कमी। भारत के गण के तंत्र में आए खोट का आधार है राजनीति का खोट। गणतंत्र की आन-बान और शान के लिए देश के हरेक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म-संप्रदाय का क्यों न हो; अपने अंदर देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए, संविधान में मिले अधिकारों के प्रति ही नहीं, बल्कि कर्तव्यों के प्रति भी गंभीरता दिखानी चाहिए। हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति सामने आई है, इसमें आंखों से पट्टी को और उनके एक हाथ से तलवार हटाकर संविधान की किताब थमा दी है। इसका मतलब शायद यह है कि कानून सबको एक बराबर देखता है और न्यायालय में फैसले संविधान के अनुसार होते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि न्यायालय की देवी की नई मूर्ति के स्थापित करने से देश के कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार होगा? जब तक देश का हर नागरिक, चाहे वो कोई राजनेता हो या आमजन अपने दिल-दिमाग से अनैतिकता, अमानवीय व्यवहार की पट्टी नहीं हटाते तब तक न्यायालय भी देश की न्याय व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते।

इस जनादेश के मायने

विधानसभा चुनाव

अवधेश कुमार

हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव परिणामों ने निश्चय ही कुछ अलग संकेत और संदेश दिए हैं। महाराष्ट्र परिणाम का निहितार्थ भाजपा गठबंधन द्वारा लोक सभा चुनाव परिणाम को पीछे छोड़कर अपने मुद्दों के आधार पर जनादेश पाना है। महाविकास अघाड़ी लोक सभा चुनाव का परिणाम का विश्लेषण करने में चूकी और मान लिया कि यह भाजपा और संघ की विचारधारा तथा प्रदेश सरकार और केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के विरुद्ध जनादेश है जो जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव परिणामों ने इस मान्यता को ध्वस्त किया है। भाजपा के नेतृत्व में महयुती की एकपक्षीय विजय है और लोक सभा के अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें पाईं। तो ऐसा परिणाम क्यों आया तथा झारखंड एवं महाराष्ट्र में अंतर क्यों है?

महाराष्ट्र के मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया तथी लग गया था यह लोक सभा चुनाव की पुनरावृत्ति के लिए नहीं है। महिलाओं का भारी मतदान इसका बड़ा कारण था। पुरुषों की तुलना में केवल 28 लाख कम महिला मतदाताओं ने मतदान किया जबकि मतदाता संख्या में दोनों के बीच अंतर करीब 53 लाख था। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा धन स्थानांतरित करना बड़ा कारण था। इससे हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि झारखंड में भी 'मइया सम्मान योजना' ने भूमिका निभाई, लेकिन महाराष्ट्र में दोनों पक्षों के बीच लगभग 15 फीसद मतों का अंतर केवल महिला मतदाताओं के कारण नहीं आ सकता।

लोक सभा चुनाव से तुलना करें तो साफ है कि दोनों पक्षों के बीच का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। भाजपा ने लोक सभा चुनाव में बहुमत से वंचित रहने के बाद तुरंत अपना पुराना तेवर हासिल करने की दिशा में तत्परता दिखाई। संघ नेतृत्व ने अपनी बातें उन तक पहुंचाईं तथा लोक सभा चुनाव में अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के 'भाजपा को संघ की पहले की तरह आवश्यकता नहीं' जैसे बयानों से पैदा हुआ असमंजस समाप्त हुआ। लोक सभा में वक्फ कानून संशोधन विधेयक लाए और पूरे देश के साथ महाराष्ट्र में भी विचारधारा के आधार पर स्पष्ट विभाजन पैदा हुआ। महत्त्वपूर्ण मुद्दे हिन्दुत्व, हिन्दुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीयता तथा इस्लामिक कट्टरवाद-इन पर सभी भाजपा शिवसेना नेता वैचारिक प्रखर और आक्रामक होकर बोलते रहे, इनसे जुड़े मुद्दे उठाते रहे, विपक्ष को हिन्दुत्व विरोधी, देश के हित के विरोध काम करने वाला घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शैली, देवेंद्र फडणवीस आदि सभी प्रमुख नेताओं ने मजहबी कट्टरता, हिंदुत्व तथा विपक्ष के कट्टर मजहबवाद को प्रोत्साहित करने की नीति को मुख्य मुद्दा बनाया और पूरा वातावरण ऐसा था

जिसमें मतदाताओं ने स्वीकार किया। टीवी चैनल पर ऐसे मतदाता सामने आए जो बोल रहे थे कि जिस तरह एक समुदाय किसी पार्टी को हराने के लिए काम कर रहा है उसे देखकर हम मतदान करने बाहर निकले।

महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों और नेताओं के बीच महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की होड़ लगी हुई थी। ऐसी बैठकों के वीडियो सामने आए जिनमें मजहबी नेता, इमाम, मौलवी कह रहे हैं कि हमने लोक सभा चुनाव में अघाड़ी के पक्ष में फतवा जारी किया और विजय मिली, हम इस बार भी जारी कर रहे हैं। मुस्लिम नेता भाजपा, शिवसेना या महयुती को वोट देने वालों का हुक्का पानी बंद करने की सरेआम बात कर रहे थे। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे तथा राकांपा -शरद पवार तीनों ने मुस्लिम वोट पाने के लिए इनको रोकने की जगह प्रोत्साहित किया। भाजपा शिवसेना समर्थकों में से जिनने कई कारणों से लोक सभा चुनाव में मतदान नहीं किया या विरोध में चले गए या महा विकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान करने वाले गैर प्रतिबद्ध मतदाताओं को भी लगा कि हिन्दू, बौद्ध, सिख और जैन के लिए भाजपा और शिवसेना ही है। हरियाणा से यह प्रवृत्ति हमने देखी। योगी आदित्यनाथ का 'बटेंगे तो कटेंगे', प्रधानमंत्री का 'बटेंगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे' और 'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे' नारे स्वाभाविक में लोगों के दिलों तक पहुंचे। जब फडणवीस ने कहा कि हमारे विरुद्ध 'वोट जिहाद' है और इसे 'वोट के धर्मयुद्ध' से हराएंगे तो भले इसकी आलोचना हुई, लेकिन लोगों के अंतर्मन में यह भाव था।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के विरुद्ध सरकार को लेकर जनता में ऐसा संतोष नहीं था जिसे उभारा जा सके। झारखंड में भाजपा की घुसपैठ, लव जिहाद और जनांकिकी बदलने को मुद्दा इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि उसने प्रदेश के अनुकूल रणनीति नहीं बनाई। भाजपा की विचारधारा और उनसे जुड़े मुद्दों के अनुरूप उम्मीदवार भी चाहिए था। 25 विधायकों में से तीन का टिकट कटा। लोगों के अंदर घुसपैठ, लव जिहाद मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ भाव था, लेकिन सोरेन के सामने ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसे देखकर आदिवासी मतदाता भाजपा की ओर आते। धत्यचार के आरोप में गिरफ्तारी को हेमंत ने आदिवासी सम्मान से जोड़ा और उसका भी प्रभाव हुआ। भाजपा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर व्यापक असंतोष और विद्रोह था जिनसे ठीक प्रकार से निपटा नहीं जा सका। कई सीटों पर भाजपा नेताओं ने निर्दलीय या विरोधी खेमे का उम्मीदवार बनकर हराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की लेकिन काफी देर हो चुकी थी।

कुल मिलाकर मतदाताओं ने जनादेश से बता दिया है कि आईएनडीआईए और उनके घटकों की लोक सभा चुनाव में बढ़त अस्थाई थी जो समाप्त हो चुकी है। यह विचारधाराओं की लड़ाई में भाजपा-शिवसेना की विजय का जनादेश है। भाजपा को लेकर उनके समर्थकों या मतदाताओं में स्थानीय स्तरों पर असंतोष या नाराजगी होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार तथा मुद्दों के प्रति आकर्षण है

कुल मिलाकर मतदाताओं ने जनादेश से बता दिया है कि आईएनडीआईए और उनके घटकों की लोक सभा चुनाव में बढ़त अस्थाई थी जो समाप्त हो चुकी है। यह विचारधाराओं की लड़ाई में भाजपा-शिवसेना की विजय का जनादेश है। भाजपा को लेकर उनके समर्थकों या मतदाताओं में स्थानीय स्तरों पर असंतोष या नाराजगी होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार तथा मुद्दों के प्रति आकर्षण है। अगर भाजपा उम्मीदवारों के चयन में विचारधारा को प्राथमिकता दे, अपने प्रतिबद्ध लोगों का भी जमीनी स्तर पर ध्यान रखे और गलत लोगों को किसी स्तर पर महत्त्व नहीं दे तो देश में लंबे समय तक अपनी नीतियों के अनुरूप शासन कर बदलाव में ऐतिहासिक भूमिका निभाती रहेगी।

(लेख में विचार निजी हैं)

कोकिंग कोल को महत्त्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल करना जरूरी

(स्रोत : मीडिया हथ्पुट्स)

- सरकार को कोकिंग कोल को महत्त्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल करना चाहिए।
- कोकिंग कोल का इस्तेमाल इस्पात बनाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
- नीति आयोग की रिपोर्ट 'कोकिंग कोल का आयात कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना' में कहा गया है कि कोकिंग कोल इस्पात उत्पादन की लागत का 42 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारत कोकिंग कोल के लिए 85 प्रतिशत आयात पर निर्भर है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता की परंपरा कम-से-कम अशोक के समय से चली आ रही है, लगभग 300 ईसा पूर्व से- अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और असहिष्णुता का प्रचार करके, दक्षिणपंथी समूह इस परंपरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं-जिसके लिए भारत जाना जाता था।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

कैसे रुके राजमार्गों पर हादसे

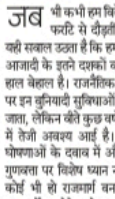

मुद्दा

रजनीश कपूर

जब भी कभी हम विदेशों की सड़कें और राजमार्गों पर फर्राटे से दौड़तीं गाड़ियों को देखते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि हमारे देश में ऐसे दृश्य कब दिखेंगे। आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे देश की सड़कों के हाल बेहाल है। राजनैतिक दल सत्ता में आते-जाते रहते हैं पर इन बुनियादी सुविधाओं पर किसी भी दल का ध्यान नहीं जाता, लेकिन बीते कुछ वर्षों में सड़कों व राजमार्गों के बनने में तेजी अवश्य आई है। वो अलग बात है कि चुनावी घोषणाओं के दबाव में और जल्दबाजी में इन सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। राजनैतिक दल कोई भी हो राजमार्ग बनाने की जल्दी में किसी ने भी राजमार्गों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि विदेशों में राजमार्गों पर होने वाले हादसों के प्रति वहां की सरकारी और नागरिक काफी संवेदनशील हैं।

दो वर्ष पहले जब मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में मृत्यु हुई थी तो सड़क नियमों को लेकर काफी चर्चा हुई। इस हादसे के पीछे कई कारण बताए गए, जैसे की तेज गति, हादसे की जगह सड़क का कम चौड़ा होना, आदि। परंतु बुनियादी सवाल यह है कि किसी अमीर व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली महंगी लग्जरी कार हो या किसी मामूली ट्रक या बस ड्राइवर द्वारा चलाए जाने वाला साधारण वाहन, क्या वाहन चलाने वाले और परिवहन नियम लागू करने वाले अपने-अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं? क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में सड़क सुरक्षा और परिवहन के नियम और कानून दोनों ही काफी लचर हैं। यही कारण है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं और देशों की तुलना में काफी ज्यादा होती हैं? यदि कानून की बात करें तो हमारे देश के कानून इतने लचर हैं कि सड़क दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वाहन चालक को बड़ी आसानी से जमानत भी मिल जाती है। ज्यादातर ट्रक व बस ड्राइवरों को भी इस बात का पता है कि उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। सड़क नियम और कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी केवल ट्रैफिक पुलिस की नहीं होनी चाहिए। इनको लागू करने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए। होता यह है कि देश भर में सड़क व यातायात नियमों के लिए केवल साल में एक ही

बार ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। यदि ऐसे जागरूकता अभियान महीने में एक बार चलाए जाएं तो ड्राइवरों और आम जनता के बीच जानकारी सही से पहुंचेगी। वे जागरूक होंगे और नियम तोड़ने से पहले कई बार सोचेंगे। इसके साथ ही कानून में भी कड़ी सजा के प्रावधान होने चाहिए जिससे कि सभी के बीच एक संदेश जाए कि यदि सड़क और यातायात नियमों को अनदेखा किया या उन्हें तोड़ा तो उसका परिणाम महंगा पड़ेगा। कड़े कानून लागू होने की बात करें तो होता यह है कि कई सड़कों पर और राजमार्गों पर कुछ निर्धारित स्थानों पर स्पीड चेक करने वाले कैमरे लगे होते हैं। इनकी जानकारी वहां से नियमित रूप से निकालने वाले ड्राइवरों को पहले से ही होती है। इसलिए वे उस जगह पर अपनी गाड़ी को नियंत्रित गति से चलाते हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं टल तो जाती हैं परंतु जैसे ही वो कैमरे की दृष्टि से दूर होते हैं, वैसे ही गाड़ी के एक्सलेरेटर को जोर से दबा देते हैं। मतलब यह हुआ कि केवल चालान से बचने की नीयत से ही वे गाड़ी को निर्धारित गति से चलाते हैं, जबकि यह तथ्य जगजाहिर है कि यदि आप अपनी गाड़ी को नियंत्रित गति से चलाते हैं तो न सिर्फ दुर्घटना टलती है बल्कि ईंधन भी कम खर्च होता है।

सरकार और ट्रैफिक पुलिस को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो कैमरे तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों का चालान करते हैं, उनसे अधिक काम भी लिया जा सकता है। स्पीड कैमरे की तकनीक की बात करें तो उसमें लगे रेडार से एक सिग्नल जाता है जो केवल तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी की ही फोटो खींचते हैं। यदि इसी तकनीक में थोड़ा सा सुधार किया जाए तो वही कैमरा कई ट्रैफिक उल्लंघनों की फोटो भी खींच सकता है।

ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आज से कुछ वर्ष पहले मैं लंदन की यात्रा पर था तो वहां मेरे स्थानीय मित्र ने गाड़ी को राजमार्ग पर लाने से पहले चश्मा लगा लिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि, 'मेरी गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस पर जो फोटो लगी है उसमें मैंने मामूली नंबर का नजर का चश्मा पहना हुआ है। यदि मैं बिना चश्मे के गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा चालान हो जाएगा।' उनका मतलब यह था कि जगह-जगह लगे कैमरे हर पहलू को पकड़ लेते है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में एक से बढ़कर एक गुणवत्ता वाले कैमरे उपलब्ध हैं जो इन सभी पहलुओं को पकड़ सकते हैं। जरूरत केवल सही सोच और पहल करने की इच्छा की है। देखना यह है कि हमारे देश में ऐसे बदलाव कब होंगे? केवल चुनावी घोषणाओं के चलते नये-नये राजमार्ग खोलने से कुछ नहीं होगा। सड़क और यातायात नियमों को सख्ती से लागू भी किया जाए। शायद तभी हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए।

उपनिषद का अर्थ

ओशो

गौतम बुद्ध के जीवन में यह घटना है। मौलुंकपुत्त, एक बहुत बड़ा दार्शनिक उन दिनों का, जिसके खुद हजारों शिष्य थे, अपने पांच सौ प्रतिष्ठित शिष्यों को लेकर गौतम बुद्ध से विवाद करने गया। उसने न मालूम

कितने पंडितों को और कितने बड़े आचार्यों को पराजित किया था। उसने बुद्ध से निवेदन किया संवाद का। बुद्ध ने कहा, संवाद जरूर होगा, लेकिन ठीक समय पर। संवाद तो तुम जीवन भर करते रहे। तुमने पाया क्या है? क्योंकि तुम गैर-स्थान पर, गैर-समय में संवाद का आमंत्रण करते हो। तुम्हें कोई अंदाज नहीं है जीवन की गहरी प्रक्रियाओं का। मैं राजी हूं, लेकिन शर्त है। दो साल मेरे चरणों में चुपचाप बैठे रहो। और जो होता है, देखते रहो। हजारों लोग आएंगे, और जाएंगे, दीक्षित होंगे, संन्यासी होंगे, रूपांतरित होंगे। एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से मैं सुनना नहीं चाहता हूं। और दो साल बाद ठीक समय पर मैं तुमसे पूछूंगा कि अब विवाद का समय आ गया है, अब तुम पूछ सकते हो। यह जब बात हो रही थी तो बुद्ध का एक पुराना शिष्य महाकाश्यप वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हंसने लगा। महाकाश्यप के संबंध में कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है। बौद्ध-ग्रंथ में यह पहला उल्लेख है महाकाश्यप का, कि वह हंसने लगा। मौलुंकपुत्त ने कहा मैं समझ नहीं पाता कि आपका यह शिष्य हंस क्यों रहा है। मौलुंकपुत्त ने कहा, कि इसके पहले कि मैं चुप हो जाऊं कम से कम इतनी तो आज्ञा दें कि मैं जान लूं, अन्यथा दो साल तक कोई की तरह यह मेरे मस्तिष्क को खाता रहेगा कि क्यों यह आदमी हंस रहा था। और जब भी मैं देखूंगा और यह यहीं बैठा रहता है। बुद्ध ने महाकाश्यप को आज्ञा दी कि तुम अपने हंसने का कारण कह दो, ताकि वह निश्चित हो जाए। महाकाश्यप ने कहा, मौलुंकपुत्त, अगर पूछना हो तो अभी पूछ लो। ऐसे ही एक दिन मैं भी आया था और दो साल इन चरणों में बैठकर खो गया। और दो साल बाद जब मुझसे बुद्ध ने कहा कि महाकाश्यप, कुछ पूछना है? तो भीतर कुछ, कोई प्रश्न, कोई शब्द, कोई जिज्ञासा, कुछ भी न था। यह आदमी बड़ा धोखेबाज है। यह मेरा गुरु है, लेकिन सच बात सच है। तुम्हें पूछना हो तो पूछ लो और न पूछना हो तो दो साल बैठे रहो। सद्गुरु के चरणों में बैठने के लिए हमने एक शब्द का उपयोग किया है: उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के चरणों में बैठना। न तो पूछना, न जिज्ञासा करना। लेकिन बैठे-बैठे पिघलते जाना, शून्य होते जाना।

रीडर्स मेल

थोथे दावे

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू सच में बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसका नतीजा ये होता है कई दफा उनकी कथनी उनके गले की फांस बन जाती है। इस समय ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर सिद्धू का वो वीडियो क्लिप खूब देखा एवं सुना जा रहा है जिसमें वे दावा करते देखे जा रहे हैं कि उनकी पत्नी का चौथे चरण का क्रेसर कैंसर सिर्फ खान-पान में बदलाव करके उन्होंने ठीक कर दिया। भारत के शीर्ष ऑन्कोलॉजिस्ट ने शनिवार को नोट जारी कर लोगों से अप्रमाणित उपचारों पर भरोसा न करने का आग्रह किया, क्योंकि सिद्धू ने दावा किया था कि नीम, नींबू का रस, हल्दी, दालचीनी और अन्य आहार हस्तक्षेपों ने उनकी पत्नी के स्तन कैंसर को ठीक करने में मदद की है। देश के प्रमुख कैंसर अस्पताल, मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर और 262 से अधिक वर्तमान और पूर्व ऑन्कोलॉजिस्ट ने अलग-अलग नोटों में चेतावनी दी कि सिद्धू के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जो खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं और पंजाब सरकार में स्वास्थ्यमंत्री भी रह चुकी हैं, कम-से-कम उन्हें तो इस तरह के प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। इस तरह का दावा करने से तो देश और दुनिया भर के कैंसर मरीज भ्रमित होंगे उनके लिए 'नीम हकीम खतरा-ऐ-जान' वाली बात होगी। इस तरह का दावा ठीक उसी तरह का है जब बाबा रामदेव ने कोरोना का दवा बना लेने के दावा वाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके किया था।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

सपा के लिए चिंता की बात

उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम इस बात के स्पष्ट संकेत हैं इस बार संविधान और आरक्षण का मुद्दा नहीं चला। यही कारण है कि सपा केवल दो सीटों पर सिमट गई और भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट पर जीत मिली है। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई हैं। सपा की पीडीए की भी पोल खुल गई है। सपा के लिए यह चिंता होना जरूरी है। इन चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और मजबूत हुए हैं और भाजपा में अब योगी आदित्यनाथ को बदलने का संकट खत्म हो गया है। संविधान आरक्षण और सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाली वाली सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी को अपनी रणनीति को पूरी तरह बदलना होगा, वरना 2027 में भाजपा को चुनौती देना लगभग असंभव दिखाई देता है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

घर से बेहतर ऑफिस का माहौल

वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कोरोना के बाद प्रचलन में आया है, लेकिन कार्य करने का जो माहौल ऑफिस में होता है वह कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। घर का वातावरण ऑफिस से भिन्न होता है। घर पर कार्य करने से जॉब करने वाला कार्य स्थल पर आने जाने की परेशानी से तो जरूर बच जाता है पर उसको कई प्रकार की परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ कार्यालयीन कार्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर खुलकर संवाद होता है जिसका अनुकूल प्रभाव कार्यशैली पर पड़ता है।

ललित महालकरी, इंदौर
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा महा ब्रिज पब्लिकेशन प्रेस, बी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा से मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, स्वर्ण हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश सिंह* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-14, अंक-101 अ.प.ज.आई.डी. 63469/91 पंजीकृत संख्या DL(DE)/CTD. 38/2024-2026 *इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के प्रकाशन एवं संपादन तथा काफी सामग्री के लिए उत्तरदायी

स्पष्ट जनादेश

भाजपा, झामुमो का शानदार प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण चुनावी जीत हासिल की, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने झारखंड में कई बाधाओं के बावजूद जीत हासिल की, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि मतदाताओं के मन को पढ़ना मुश्किल है। महाराष्ट्र में, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गुटों सहित भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने ओबीसी वोटों के प्रभावी एकीकरण और महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसी रणनीतिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए निर्णायक बहुमत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जमीनी स्तर पर आउटरीच कार्यक्रमों ने उनकी अपील को और मजबूत किया। इस बीच, झारखंड में, भाजपा झामुमो के सत्तारूढ़ गठबंधन से सत्ता छीनने में विफल रही। यह शासन के मुद्दों पर जोर नहीं दे सका और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ असंतोष का लाभ नहीं उठा सका। आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत मतदाता लामबंदी और विकास-केंद्रित संदेश ने झामुमो की सफलता को और बढ़ा दिया। महाराष्ट्र में, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और मूल एनसीपी शामिल हैं, आंतरिक विभाजन और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता की कमी से जूझ रहा था। झारखंड में, भाजपा की सीमित पहुंच और ग्रामीण संकट को दूर करने में विफलता ने प्रभावी रूप से इसकी अपील को कम कर दिया। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे भाजपा की राज्य की राजनीति को बदलने और हावी होने की क्षमता को रेखांकित करते हैं। इस दौरान विपक्ष मतदाताओं का विश्वास हासिल करने के लिए संघर्ष करता रहा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने रणनीतिक गठबंधनों, प्रभावी मतदाता पहुंच और लक्षित कल्याणकारी पहलों के संयोजन के कारण महाराष्ट्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। महाराष्ट्र में, भाजपा ने खुद को एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) समूह के साथ एक समेकित ताकत के रूप में पेश किया, जिससे एक समेकित मतदाता आधार सुनिश्चित हुआ। ओबीसी एकीकरण पर पार्टी का ध्यान, महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसी कल्याणकारी योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का प्रभाव मतदाताओं के साथ मजबूती से जुड़ा। लेकिन झारखंड में कहानी अलग थी, जहां भाजपा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन के शासन से असंतोष का फायदा नहीं उठा सकी और बेरोजगारी और आदिवासी कल्याण जैसे स्थानीय मुद्दों को उजागर करने में विफल रही और अपने राष्ट्रीय एजेंडे पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। झामुमो को जमीनी स्तर पर अभियान से भी लाभ हुआ, जिसने आदिवासी और ग्रामीण मतदाताओं की चिंताओं को संबोधित किया, जिससे इसकी स्थिति और मजबूत हुई। इसी तरह, महाराष्ट्र में विपक्ष आर्थिक चुनौतियों और शासन में चूक के आरोपों जैसी भाजपा की कथित कमियों का प्रभावी ढंग से फायदा उठाने में विफल रहा। महाराष्ट्र में, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) और शरद पवार की राकांपा शामिल हैं, आंतरिक विभाजन और असंगत संदेशों से जूझते रहे, खासकर मराठा आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर। झारखंड में, झामुमो और कांग्रेस भाजपा के कथानक का मुकाबला करने और बदलाव के लिए एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सक्षम थे। ये परिणाम वास्तव में मतदाताओं की उन मुद्दों पर वोट करने की सहज समझ को रेखांकित करते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं।

संविधान निर्माण में डॉ. अंबेडकर की भूमिका

डॉ. अंबेडकर भारत के विभाजन एवं कांग्रेस के मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति सदैव विरोधी रहे। उनका मानना था कि कांग्रेस मुसलमानों की नाजायज मांगों के सामने भी नतमस्तक हो जाती है जबकि अछूतों के मामले में कांग्रेस का रवैया भिन्न रहता है।

डॉ. विकास नौटियाल
(लेखक, इतिहास के प्रोफेसर हैं)

आज 26 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन स्वतंत्र भारत में 284 सदस्यों वाली संविधान सभा के द्वारा तैयार नवीन संविधान को अंगीकार कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर 2015 को संविधान के मुख्य शिल्पी एवं संविधान निर्माता की प्रारूप समिति के प्रमुख बाबासाहब डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के योगदान की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य भारत के नागरिकों को संविधान के प्रति सचेत करना एवं समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना है। स्वतंत्रता के उपरांत 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. अंबेडकर को सात सदस्यीय समिति की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ जॉन जेरिग को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना चाहते थे किंतु अनेक संविधान विशेषज्ञों के परामर्श पर महात्मा ज्ञांधी ने डॉ अंबेडकर का पक्ष लिया। उनका कहना था कि जब हमारे पास डॉ. अंबेडकर जैसा योग्य व्यक्ति है तो हमें किसी विदेशी संविधान विशेषज्ञ की आवश्यकता क्या है?

प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर अपने खराब स्वास्थ्य के कारण इस काम के लिए सहमत नहीं थे किंतु अपने समाज को गौरव दिलाने के लिए उन्होंने अंतत यह पद स्वीकार कर लिया। प्रारूप समिति की बैठकों के दौरा मृत्यु, बीमारी एवं अन्य व्यस्तताओं के कारण इसके अधिकांश सदस्य अपनी सक्रिय भागीदारी का निर्वाह न कर सके। इस कारण प्रारूप तैयार करने का का दायित्व डॉ. अंबेडकर के कंधों पर ही आ गया। डॉ. अंबेडकर ने लगभग 100 दिनों तक संविधान सभा में मसौदे के सभी पक्षों को सदस्यों को समझाया एवं हर एक सुझाव पर विमर्श किया। इस प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर का संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। 2015 से पूर्व यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर के दिन ही भारत के नवीन संविधान ने सभी भारतवासियों को समानता का अधिकार दिया। दुनिया के सबसे विस्तृत भारत के इस संविधान को बनाने में कुल 13 समितियां का अपना योगदान रहा।

बाबा साहब ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक अनुभवी दृष्ट के रूप में अपना योगदान दिया। डॉ. भीमराव राम जी अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता, दलित उत्थान के अग्रणी नेता होने के साथ-साथ पाकिस्तान निर्माण के संबंध में एक दूरदृष्टि रखने वाले भारतीय नेता थे। 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किए जाने के उपरांत उन्होंने अपनी पुस्तक-'पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ' में जिस प्रकार इस्लाम एवं पाकिस्तान संबंधी अपने विचारों, संकल्पनाओं एवं प्रश्नों को रखा वह उनकी इस्लाम की समझ, पाकिस्तान संबंधी प्रश्न एवं दूरदृष्टिपरक दृष्टिकोण को इंगित करता है। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मूल रूप से कबीरपंथ को मानने वाले रामजी मालोजी सकपाल एवं भीमाबाई के घर एक महार परिवार में मध्यप्रदेश के म्हो नामक स्थान पर हुआ था। उनके व्यक्तित्व पर कबीर के आतिरिक्त ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध, गुरु कृष्णाजी केशव अंबिडकर, दादा कृष्णाजी अर्जुन केलुसकर का गंभीर प्रभाव पड़ा था। केलुसकर की सहायता से ही बड़ौदा के सयाजी झपकवाड तृतीय के संपर्क में आकर उनके द्वारा प्रदत स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका अध्ययन के लिए चले गए। इसके उपरांत उनके द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 'द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपि: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन विषय पर पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन किया गया। भारत लौटने के उपरांत महाड सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, पूना पैक्ट जैसी घटनाओं के उपरांत वे समाज के वंचित वर्ग के एक चर्चित नेता के रूप में भारतीय राजनीति में उभरे। धीरे-धीरे अपने जीवन काल में वे एक संविधानविद, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक नेता के रूप में भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठित हो गए। इसी क्रम में उनके व्यक्तित्व में राजनीतिक बुद्धि कौशल एवं दूरदृष्टि का इस प्रकार विकास हुआ कि उन्होंने 1940 के उपरांत पाकिस्तान के प्रश्न पर अपने गंभीर विचार पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफइंडिया में प्रकाशित किए।

पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन (1940) के बाद, आम्बेडकर ने 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाली एक पुस्तक लिखी, जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। साथ ही उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर-मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी साम्प्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक थे पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिये क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए, जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने चेताया कि दो देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा। विशाल जनसंख्या के स्थानान्तरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रख कर की गयी यह भविष्यवाणी सही थी।

डॉ. अंबेडकर भारत के विभाजन एवं कांग्रेस के मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति सदैव विरोधी रहे। उनका मानना था कि कांग्रेस मुसलमानों की नाजायज मांगों के सामने भी नतमस्तक हो जाती है। जबकि अछूतों के मामले में कांग्रेस का रवैया भिन्न रहता है। कांग्रेस चाहती है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध होने वाले संघर्ष में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे एवं उसे हिंदू तथा मुसलमान दोनों समुदायों की पार्टी माना जाए। कांग्रेस ने हिंदुओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने कि पहले से ही तैयारी कर ली है। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरांत अंबेडकर ने अलग पाकिस्तान बनाए जाने का समर्थन किया। किंतु वे अकस्मात बंटवारे के पक्ष में नहीं थे उनका मानना था कि एक संघ के अंतर्गत हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान बनाया जाए किंतु अगले 10 वर्ष तक इन्हें आत्मनिर्भर होने का अवसर भी मिलना चाहिए। वह मुस्लिम लीग के इरादों से भली भांति परिचित हो चुके थे। अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज अनेक रूप से विभाजित समाज है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि दुनिया की कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती यद्यपि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं अपितु एक दिन अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा।

इस्लाम एवं पाकिस्तान के संबंध में डॉ अंबेडकर के स्पष्ट एवं परिभाषित विचार थे। भारत विभाजन के विरोध के बजाय अखंड भारत के पक्ष में थे किंतु पाकिस्तान आंदोलन एवं पाकिस्तान बनाने को लेकर वे कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के बजाय जिन्ना का खुला विरोध करते रहे। वर्तमान में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग धर्मांतरित लोगों का है जिनमें अजलफ एवं अरजाल मुसलमान 80 प्रतिशत से अधिक है। ये वो मुस्लिम समुदाय है जिनकी जड़ें भारत भूमि में ही विद्यमान हैं। अंबेडकर प्रारंभ से ही अखंड भारत के पक्ष में रहे। वे भारत का विभाजन नहीं चाहते थे लेकिन जब यह लगने लग्न कि अब विभाजन होना अपरिहार्य हो गया है तो उन्होंने इस समस्या के संवैधानिक एवं व्यावहारिक पक्षों पर अपने विचारों का प्रतिपादन किया। जिसका आधार ग्रीस एवं टर्की के बीच होने वाला अल्पसंख्यक संबंधी समझौता था। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के संबंध में जिन वक्तव्यों को प्रकाशित करवाया उनमें से अनेक वक्तव्य आज भी भारत की भू राजनीति में प्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं।

डॉ. अंबेडकर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के पक्षधर नहीं थे। वे समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। 2019 में मोदी सरकार द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर अंबेडकर के सपने को साकार किया है। भारत सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास कर रही हैं। डॉ. अंबिडकर का कहना था कि उन्होंने लोकतंत्र की अवधारणा को प्राचीन भारतीय गणराज्यों से लिया है उन्होंने महात्मा बुद्ध को लोकतांत्रिक गणराज्य का आद्य प्रवर्तक कहा। वे लोकतंत्र में हीरो वरशिप के पक्षधर नहीं थे। संविधान निर्मित करने में भारत की सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी , विजयलक्ष्मी पंडित जैसी कुल 15 महिलाएं भी सम्मिलित थीं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर समाज के सभी वर्गों भारतीय रियासतों का भारत के नवीन संविधान को बनाने में योगदान रहा। इस प्रक्रिया में हम भारत के संविधान को बनाने वाले डॉ. अंबेडकर सहित सभी सदस्यों को नमन करते हैं।

ईश्वर ही स्रोत है

> यदि धन से शांति खरीदी जा सकती, तो किसी भी अमीर व्यक्ति को मानसिक समस्याएँ नहीं होतीं, क्योंकि शांति की कमी ही उनके लिए मुख्य कारण है।

अजित कुमार विश्नोई
(लेखिका, संपादकार हैं)

भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद गीता के श्लोक 10.41 में इस बात पर प्रकाश डाला है कि भगवान सृष्टिकर्ता हैं। तार्किक रूप से उन्हें ही हर चीज का स्रोत होना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। धन सबसे पहले होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से, यह हमारे कर्मों के लिए हमें दिया गया कर्मफल है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक अमीर आदमी के बेटे को उसके यहाँ जन्म लेने मात्र से ही बहुत सारा धन मिल जाता है? क्या बेटे ने इसके लायक कुछ किया है? उसने अपने पिछले जन्म/जन्मों में अवश्य किया होगा। क्योंकि भगवान ही स्रोत हैं। वे तय करते हैं कि किसे क्या मिलेगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी यही बात लागू होती है।

सारा अप्रयुक्त धन पीछे छूट जाता है क्योंकि सारा धन केवल भगवान का है; हम अपने जीवनकाल में इसका केवल कुछ ही उपयोग कर पाते हैं। हमें अगले जन्म में क्या मिलेगा, यह भगवान तय करेंगे – जो इस सब का स्रोत है। केवल धन ही नहीं बल्कि सारा ऐश्वर्य भी भगवान द्वारा योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। चलिए सुंदरता को ही लेते हैं। क्या कोई व्यक्ति सुंदरता के साथ पैदा नहीं होता? अन्यथा आप यह कैसे समझा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे चेहरे और अन्य विशेषताओं के साथ पैदा होता है और कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता? हाँ, सुंदरता हमारे कर्मफल हैं। ईश्वर के अधीन दिव्य प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि किसे क्या मिलता है। (9.10) राजा के बेटे को शक्ति स्वाभाविक रूप से मिलती है। क्यों? उसके पिछले जन्म/जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण। यही बात प्रसिद्धि के बारे में भी सच है, जो एक और ऐश्वर्य है। क्या हमें कभी-कभी आश्चर्य नहीं होता कि केवल कुछ अभिनेता या गायक ही सबसे

अधिक ध्यान क्यों पाते हैं, जबकि अन्य भी इसके हकदार हैं? क्योंकि यह निर्धारित करने की प्रक्रिया कि किसे क्या मिलता है, काफी जटिल है और जाहिर है, समझना मुश्किल है। (4.17) हमें विश्वास होना चाहिए कि यह सब वैज्ञानिक है, अन्यथा सृष्टि लाखों वर्षों तक नहीं टिक सकती। ईश्वर सदैव धर्म के पक्ष में हैं, और किसी को पुरस्कार या दंड में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होता है। उसी श्लोक का संदर्भ देते हुए, शक्ति (ताकत) केवल ईश्वर से ही आती है। आत्मबल (आंतरिक शक्ति) से शुरू होकर, ईश्वर इसका प्रत्यक्ष स्रोत है। भगवान के भक्त ही इसके लाभार्थी हैं।

बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक जैसी अन्य शक्तियां अन्य स्रोतों से आती हुई प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन, अंततः, भगवान ही स्रोत हैं। एक और शक्ति है, जो सहन करने की क्षमता है। हमें इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हममें से अधिकांश लोगों में इसका अभाव है और जब दुख आते हैं तो वे विलाप करते हैं क्योंकि वे हमारे पिछले बुरे कर्मों का परिणाम हैं। अब हम शांति में आ गए हैं। इसका स्रोत भगवान हैं – एक और केवल एक। भगवान कृष्ण ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। (2.66) यदि धन से शांति खरीदी जा सकती, तो, किसी भी अमीर व्यक्ति को मानसिक समस्याएँ नहीं होतीं, क्योंकि शांति की कमी ही उनके लिए मुख्य कारण है। जैसा कि उद्धृत श्लोक में बताया गया है, खुशी के बारे में भी यही सच है। अब हम यह समझने के मुख्य लाभों पर आते हैं कि भगवान ही स्रोत हैं और सर्वशक्तिमान की शरण लेने की आवश्यकता है। जो पहले कहा गया है, उससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि बुरे कर्म निश्चित रूप से दंड लाते हैं; यहां तक कि मृत्यु भी इसे रोक नहीं सकती; हमारे द्वारा दिए गए दंड अगले जीवन में चले जाते हैं। क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है? हाँ, भगवान बहुत दयालु हैं। समाधान है उससे सहायता प्राप्त करना, जो केवल सहायता कर सकता है। ईश्वर जो करता है वह हमें हमारे दण्डों से बिना किसी चोट के बाहर निकलने की अनुमति देता है; हमारे कष्ट काफी सहनीय हो जाएँगे। ईश्वर के भक्त बैठे-बैठे शिकार नहीं बन जाते। इसलिए, हमें यह जानने का लाभ उठाना चाहिए कि ईश्वर ही स्रोत है। ईश्वर के बिना समाधान की अंतहीन खोज करके अपने जीवन को छोटा क्यों करें? स्रोत के पास क्यों न जाएँ, जिसके पास सभी समाधान हैं? मानव जीवन हमें यह अवसर देता है।

आप की बात

संविधान रक्षकों का चरित्र

मैनपुरी के करहल में एक दलित युवती के साथ दिल दहलाने वाली घटना ने संविधान और लोकतन्त्र के रक्षकों का चरित्र उजागर कर दिया है। सपाइयों के इस चरित्र के पोषक उन्हीं के दिवंगत वो नेता हैं जो बलात्कारियों को नादान लड़के कहा करते थे। मुलायम सिंह यादव ने बलात्कारी को कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। इसके अलावा संविधान और लोकतन्त्र को बचाने की रात- दिन दुहाई देने वालों के गुर्गों ने मैनपुरी में संविधान और लोकतन्त्र दोनों की धज्जियां उड़ाई हैं। एक दलित युवती के इतना कहने भर से कि वह भाजपा को वोट करेगी,उसका अपहरण किया और सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर दी। ये नर पिशाच उसी गठबंधन के थे जो रात-दिन नारी सुरक्षा, संविधान और लोकतन्त्र के लिए मगरमच्छी आंसू बहाते हुए सड़कों पर उतरते हैं। इतनी बड़ी घटना होने पर भी संविधान के महान रक्षक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस घटना से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जब सत्ता से बाहर रहने पर इन लोगों का यह हाल है तो सत्ता में आने पर क्या हाल होगा? दरअसल कांग्रेस और सपा के नेता संविधान और लोकतंत्र के रक्षक होने की दुहाई तो देते हैं लेकिन आचरण उसके ठीक विपरीत करते हैं। जनता सब जानती है।

-डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

कठोर कानून बने

कुछ लोग गैरकानूनी या नियम के विरुद्ध कार्य के लिए पैसा खर्च करते हैं। जैसे कर्मचारी को रिश्वत देना या अनधिकृत दलाल को अनधिकृत कार्य के लिए पैसा देना। इच्छित परिणाम नहीं मिलने पर पुलिस के पास जाकर ठगी की शिकायत करते हैं। ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर अपराधी से ठगे गए धन की वसूली और सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन उससे वसूले गए धन को वापस शिकायतकर्ता को नहीं दिलवा कर सरकार को देने का प्रावधान कानून में होना चाहिए क्योंकि पैसा देने का कार्य भी गैर कानूनी था। हां, शिकायतकर्ता को सजा नहीं देने का कानून में प्रावधान होना चाहिए अन्यथा शिकायत भी नहीं होगी और रिश्वत लेने वाले व्यक्ति या गिरोह पकड़े नहीं जाएंगे। कुछ लोग धन को कम समय में कई गुना करने की स्कीम या लोहे को सोना बनाने जैसी बातों का लालच देकर ठगे जाते हैं, ऐसी कई बातें शायद गैरकानूनी न हो। लेकिन इनके लालच के कारण पुलिस, अदालत आदि सरकारी संस्थाओं का समय नष्ट होता है। इसलिए ठग से धन वसूल कर पूरी धनराशि ठगे गए व्यक्ति को न दिलवाते हुए आधी राशि उसे दिलवाकर शेष आधी राशि सरकार को देने का कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए। गैरकानूनी कार्य या लालच जैसे कारणों से ठगे जाने पर पूरी धनराशि दिलवा देने पर तो शिकायतकर्ता हतोत्साहित नहीं होंगे।

- ललित दुबे, रतलाम

शादी, तलाक और फिर शादी

जाने-माने संगीतकार एआर रहमान ने 29 साल तक चली अरेंज मैरिज के बाद अपनी पत्नी सायरा बानो से तलाक ले लिया और अफवाह है कि वे गिटारिस्ट मोहिनी से शादी रचा सकते हैं। आमिर खान भी करीब 16 साल बाद अपनी पत्नी किरण राव को तलाक दे चुके हैं। एआर रेहमान का विवाह के 29 साल बाद वो भी बेटी की शादी के पश्चात सम्बन्ध विच्छेद करना आखिर कितना व्यवहारिक है? लम्बे वैवाहिक जीवन बिता लेने और बच्चों के भी विवाह हो जाने के बाद (50-60 की उम्र में) पत्नी को तलाक देना सामाजिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं जान पड़ता। विवाह की प्रारंभिक अवस्था (नासमझी) में तलाक बहुत हो रहे हैं जिसमें भी कोई समझदारी की बात नहीं है जबकि कोर्ट उसमे भी कोशिश करती है कि किसी तरह तलाक की नौबत ना आये। लेकिन परिपक्व उम्र में तलाक आश्चर्जनक ही माना जाएगा। यहाँ कोर्ट द्वारा समझदारों को समझाना एक प्रकार से तो टेढ़ी खीर ही है। सामान्य रूप से तलाक तो ठीक नहीं है किन्तु कोई विशेष स्थिति बनती है तो बात अलग है। खैर जो भी हो और जो भी उनकी परिस्थिति स्थिति या मानसिकता परिस्थिति हो इस पर तो परिपक्व पति-पत्नी जरूर सोच समझकर निर्णय लेते होंगे। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि ऐसे लम्बी उम्र के तलाक का समाज पर गलत सन्देश जाता है।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

आप्रासंगिक संगठन

ना तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ या इस तरह के जितने भी संगठन बने हैं खासकर के द्वितीय विश्व के पश्चात, ये सबके सब एक तरह से आप्रासंगिक हो गए हैं। या कहें कि बस औपचारिकता भर निभाते हैं। इससे आगे इनका इस निष्ठुर दुनिया में कोई औकात ही नहीं है। जब इन संगठनों का कोई भी फैसला आता है उससे मानने की बाध्यता अगर न हो तो फिर इनका क्या फायदा। पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए, जिसमें उन पर क्रमशः गाजा में 13 महीने के युद्ध और अक्टूबर 2023 में इज़रायल पर हमले को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया गया। सभी आरोप सौ फीसदी सही है। आज भी नेतन्याहू और उनकी फ़ौज क्षेत्र में नरसंहार को बलात अंजाम दे रहा है। मगर क्या इस गिरफ्तारी आदेश से उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकेगा? आईसीसी के पास न तो अपना कोई पुलिस है ना ही जेल।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

संवाद
जनसत्ता | 26 नवंबर, 2024

आराम

कोलकाता के अलीपुर प्राणी उद्यान में सोमवार को आराम करते हाथी।

बोल

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने पर मुझे 'दुख' हुआ। मुझे याद है कि उनके साथ हर भेंट एक प्रतियोगिता की तरह होती थी। ट्रंप दुनिया में बहुपक्षवाद के लिए एक बड़ी चुनौती हैं।

-एंजेला मर्केल, जर्मनी की पूर्व चांसलर

बोल

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि कड़ी सजा का वारंट जारी होना चाहिए। इजराइली शासन ने गाजा और लेबनान में लोगों पर बमबारी कर भयंकर अपराध किया है। -अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता

सम-सामयिक

यूक्रेन संघर्ष : अमेरिका के फैसले से सहमत नहीं जर्मनी

जनसत्ता संवाद

रूस और यूक्रेन की जंग अब और तेज हो सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली अपनी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। यूक्रेन इन मिसाइलों के जरिए रूस के भीतर हमले कर सकता है। अमेरिका यूरोपीय देशों पर भी दबाव बना रहा है कि वे यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत दें। मगर, अमेरिका के इस फैसले से जर्मनी सहमत नहीं है। उसका तर्क है कि लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने से युद्ध के हालात और बिगड़ने का खतरा है।

यूक्रेन और रूस की जंग में पश्चिम के देश खुलकर यूक्रेन के साथ हैं। मगर, निकट भविष्य में इस युद्ध का कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है और यूक्रेन को मिलने वाली मदद पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हालांकि, युद्ध कैसे खत्म होगा, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है।

यूक्रेन पिछले लंबे समय से अमेरिका और यूरोपीय देशों से मांग कर रहा था कि उसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। अमेरिका इस मांग को टालता रहा है, मगर पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी नीति में बदलाव किया है। हाल ही में अमेरिका ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की यूक्रेन को अनुमति दे दी। इससे यूक्रेन के लिए रूस पर प्रभावी पलटवार करने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका के इस रुख पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई है। रूस ने कहा है कि अमेरिकी मिसाइलें रूस के भीतर आएंगी तो यह रूस पर उसका सीधा हमला माना जाएगा। इसी के मद्देनजर रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव की घोषणा की है। रूस ने कहा है कि अगर किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के समर्थन से यूक्रेन हमला करता है तो इसे साझे हमले के रूप में देखा जाएगा और रूस प्रतिक्रिया में परमाणु हमले पर भी विचार कर सकता है।

जर्मनी के बौद्धिक संस्थान किएल इंस्टिट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक, यूक्रेन को अमेरिका अब तक 61 अरब डालर की मदद कर चुका है। वहीं, जर्मनी भी यूक्रेन को 11 अरब डालर की युद्ध सामग्री दे चुका है। इनमें सैनिकों के लिए प्रशिक्षण, टैंक, मिसाइल, तोप और गोला-बारूद शामिल हैं।

इस बीच, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि वह यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने के पक्ष में नहीं हैं, जिनसे रूस के भीतर हमला किया जा सके। जर्मन चांसलर का मानना है कि इससे समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या और बढ़ेगी। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और जर्मनी में इस तरह के मतभेद डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद सामने आए हैं।

समस्या और बढ़ेगी

जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि वह यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने के पक्ष में नहीं हैं, जिनसे वह रूस के भीतर हमला कर सके। उनका मानना है कि इससे समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि समस्या और बढ़ेगी। जर्मन चांसलर के इस रुख को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और जर्मनी में इस तरह के मतभेद डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद सामने आए हैं।

शोध

प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों से मौसम पर असर

जनसत्ता संवाद

पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए नए अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण बादलों के निर्माण से लेकर बारिश और यहां तक की जलवायु व मौसम प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। पहली बार जापानी वैज्ञानिकों को बादलों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों की मौजूदगी के सबूत मिले थे। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलाजी: एयर में प्रकाशित हुए हैं।

प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों (माइक्रोप्लास्टिक) से दुनिया भर में एक नया खतरा पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों से लेकर माउंट एवरेस्ट पर भी इनकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। ये सूक्ष्म कण भोजन, पानी और हवा में भी घुल चुके हैं। अब एक नए शोध में सामने आया है कि इन सूक्ष्म कणों के कारण मौसम प्रणाली में भी बाधा पैदा हो रही है। इनकी वजह से बादल बनने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। इसके प्रभाव को जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में भी देखा जा रहा है।

पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए इस नए अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक के ये कण बादलों के निर्माण से लेकर बारिश और यहां तक की जलवायु व मौसम प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। पहली बार जापानी वैज्ञानिकों को बादलों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों की मौजूदगी के सबूत मिले थे। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलाजी: एयर में प्रकाशित हुए हैं। शोध से पता चला है कि प्लास्टिक के यह महीन कण बर्फ के नाभिकीय कणों के रूप में व्यवहार करते देखे गए हैं। बर्फ के ये नाभिकीय कण बेहद महीन एरोसोल होते हैं, जो बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण में सहायता करते हैं।

अध्ययन से जुड़ी प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर मिरियम फ्रीडमैन ने इस बात को रेखांकित किया है कि वातावरण में मौजूद बर्फ के जो क्रिस्टल बादलों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्लास्टिक के सूक्ष्म के कण कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये सूक्ष्म कण बादलों के निर्माण ही नहीं, बल्कि बारिश के क्रम, मौसम पूर्वानुमान और यहां तक कि विमानों की सुरक्षा पर भी असर डाल सकते हैं। फ्रीडमैन के मुताबिक, पिछले दो दशकों के दौरान किए शोधों से पता चला है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हर जगह मौजूद हैं। वहीं, नए अध्ययन में यह साबित हो चुका है कि ये कण बादलों के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं।

ऐसे में अब यह समझने की आवश्यकता है कि ये कण हमारी जलवायु प्रणाली के साथ कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने चार प्रकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कणों की जांच की, ताकि यह समझा जा सके कि वे बर्फ के जमने को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इनमें कम घनत्व वाली पालीइथिलीन, पालीप्रोपाइलीन, पालीविनाइल क्लोराइड और पालीइथिलीन टेरेफ्थेलेट शामिल हैं। प्रयोग के दौरान शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को पानी की बूंदों में लटकाया और बर्फ बनने का अध्ययन करने के लिए उन्हें धीरे-धीरे ठंडा किया। नतीजे से पता चला कि जिस औसत तापमान पर बूंदें जमीं, वह प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों से रहित बूंदों की तुलना में पांच से दस डिग्री ज्यादा गर्म था।

विश्व परिक्रमा

जलवायु परिवर्तन : वित्तीय मदद पर तकरार बढ़ी

जनसत्ता संवाद

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर तैयार की गई योजना पर अमल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तय लक्ष्य के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में आर्थिक संकट सबसे बड़ी बाधा बन रही है। विकसित देशों ने पेरिस जलवायु समझौते के दौरान विकासशील देशों को वित्तीय मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके अनुरूप आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है।

इसको लेकर विकसित व विकासशील देशों के बीच तकरार बढ़ने लगी है। बाकू में हाल में हुए जलवायु परिवर्तन पर काप-29 सम्मेलन में इसकी तस्वीर साफ नजर आई। भारत समेत कई देशों ने सम्मेलन में पेश किए गए जलवायु

कोष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस सम्मेलन के समापन अवसर पर विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक 100 अरब अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 250 अरब अमेरिकी डालर प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा, जो बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए जरूरी खरबों डालर से काफी कम है। विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पैकेज पर इस नए मसविदे में पहली बार विकसित देशों की ओर से कुछ आंकड़े भी पेश किए गए। मसविदे में कहा गया है कि सभी विकासशील देशों द्वारा मांगे जा रहे 1.3 हजार अरब अमेरिकी डालर प्रति वर्ष सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से जुटाए जाएंगे। मगर, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विकसित देशों पर नहीं डाली जाएगी।

मसविदे के मुताबिक, वर्ष 2035 तक प्रति वर्ष 250 अरब अमेरिकी डालर की धनराशि विकसित देशों द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाई जाएगी, जिनमें सार्वजनिक और निजी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, साथ ही वैकल्पिक स्रोत भी शामिल हैं।

जानें-समझें

भारत-चीन

संबंधों में सुधार के लिए एक और अहम कदम

जनसत्ता संवाद

भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन में उनके समकक्ष वांग यी की ब्राजील में हाल में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत से नई उम्मीद जगी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान बातचीत में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने, दोनों देशों से गुजरने वाली नदियों से जुड़े आंकड़े साझा करने और भारत-चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू करने को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देश अपने रिश्तों में पुरानी कड़वाहट को भुलाकर रिश्तों को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बैठक कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता का सिलसिला निकट भविष्य में सही दिशा में आगे बढ़ेगा।

आपसी सहमति से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता

ब्राजील में चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, हमने सीमा पर विवाद वाले क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की है। हमने द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदमों पर विचार साझा किए और कई मसलों पर आपसी सहमति से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई है। बैठक के दौरान वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन ने सैन्य तनाव कम करने की एक जटिल प्रक्रिया में केवल पहला कदम उठाया है, लेकिन चीन पहले से ही अपनी राजनीतिक और व्यापारिक मांगों को लेकर दबाव डाल रहा है। वर्ष 2017 में बाढ़ से आंकड़े इकट्ठा करने वाले केंद्रों को हुए नुकसान का कारण बताकर चीन ने हाइड्रोलाजिकल (जल विज्ञान संबंधी) आंकड़े साझा करने की प्रक्रिया रोक दी थी। हालांकि, बीच-बीच में कुछ समय के लिए इससे संबंधित जानकारियां दी गईं, लेकिन सीमा पर तनाव होने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ व येल यूनिवर्सिटी के व्याख्याता सुशांत सिंह का कहना है कि चीन पर सौ फीसद विश्वास करना मुश्किल है। ब्राजील में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के एक दिन बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह भारत के लिए बहुत दोस्ताना नहीं है। चीन ने वार्ता के दौरान जो प्रतिबद्ध जताई है, उसे वह व्यावहारिक रूप देगा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

चीन के विदेश मंत्री के साथ सीमा पर विवाद वाले क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया को लेकर बातचीत की गई है। हमने द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदमों पर विचार साझा किए और कई मसलों पर आपसी सहमति से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई है। बैठक के दौरान वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। चीन के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हों, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। सबसे पहले दोनों देशों की सीमा पर शांति कायम होना जरूरी है।

- एस जयशंकर, विदेश मंत्री

ब्राजील में भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान हमने एक-दूसरे के मूल हितों का सम्मान करने, बातचीत व संवाद के माध्यम से आपसी विश्वास बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द पटरी पर लाने पर जोर दिया है। दोनों पक्षों को अधिक सकारात्मक संकेत भेजने चाहिए और सीधी उड़ानें फिर शुरू करने व वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे मुद्दों पर व्यावहारिक रूप से काम करने की जरूरत है।

- वांग यी, चीन के विदेश मंत्री

भारत एकतरफा दृष्टिकोण के खिलाफ

चीन ने अपने बयान में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को महत्व दिया है, जबकि भारत का ध्यान पहले रिश्ते सामान्य करने पर ज्यादा है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि भारत प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एकतरफा दृष्टिकोण के खिलाफ है और अपने संबंधों को अन्य देशों के नजरिए से नहीं देखता है। शिव नादर यूनिवर्सिटी में से जुड़े चीनी मामलों के विशेषज्ञ जबिन टी जैकब जयशंकर के इस बयान को चीनी प्रभुत्व को कमतर करने का प्रयास मानते हैं। उनके मुताबिक, चीन का मानना है कि भारत को अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते कम कर देने चाहिए। चीन चाहता है कि अमेरिका के खिलाफ उसकी लड़ाई में भारत साथ दे, पर भारत को यह किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा।

दोनों पक्षों के बयानों में अंतर क्यों

भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से जो बयान जारी किए गए, उनमें कुछ अंतर भी नजर आया। हालांकि, रक्षा विशेषज्ञ बयानों के इस अंतर के पक्ष में एक तर्क यह भी दे रहे हैं कि ऐसे बयान अक्सर संयुक्त नहीं होते हैं। कूटनीतिक मामलों में संयुक्त बयान में सब कुछ शब्दशः एक जैसा होता है। भारत ने अपने बयान की शुरुआत सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता बताकर की है, जबकि चीन की तरफ से जारी बयान में सीमा और सैनिकों की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में सहमति पर जोर दिया गया है। साथ ही बातचीत के दौरान कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने, दोनों देशों से गुजरने वाली नदियों से जुड़े आंकड़े साझा करने और भारत-चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू करने को लेकर सार्थक चर्चा होने की बात कही गई है। वहीं, चीन ने कोरोना महामारी के दौरान स्थगित कर दी गईं दोनों देशों के बीच उड़ानों को फिर शुरू करने की बात तो कही है, लेकिन नदियों से जुड़े आंकड़े साझा करने व कैलाश मानसरोवर यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया है। चीन ने अपने बयान में जल्द से जल्द वीजा की सुविधा देने में व्यावहारिक प्रगति करने की बात कही है।

व्यक्तित्व

हर्षित राणा : भारतीय गेंदबाजी में रफ्तार का नया चेहरा

जनसत्ता संवाद

भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर्थ में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में पदार्पण कर रहे हैं। पहले ही मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने आस्ट्रेलिया की तीन विकेट लेकर सबको चौंका दिया है। भारतीय गेंदबाजी में वह रफ्तार का नया चेहरा हैं।

दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने अप्रैल, 2022 में आइपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ट्वेंटी20 मुकाबले में पदार्पण किया था। हर्षित ने अब तक कुल 10 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 43 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक रणजी ट्राफी मैच में असम के खिलाफ खेलते हुए पांच विकेट लिए थे और बल्लेबाजी में अर्धशतक भी बनाया था।

हर्षित राणा को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी और वह दोस्तों के साथ गलियों में क्रिकेट खेला करते थे। वर्ष 2012 में जब हर्षित सातवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपने स्कूल में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। वह सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करते थे, दिन में स्कूल जाते थे और शाम को अपने पिता के साथ फिर से अभ्यास करते थे। हालांकि, अभ्यास के दौरान उनकी पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट के कारण वह दिल्ली अंडर-14 और दिल्ली अंडर-16 टीमों के लिए खेलने से चूक गए। चोटों से उबरने के बाद वह दिल्ली अंडर-19 टीम के लिए खेले। हर्षित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह कई बार अभ्यास करते वक्त बहुत थक जाते थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक दिन भारतीय टीम में शामिल होने का था।

हर्षित राणा ने जून 2023 में दलीप ट्राफी में हैदराबाद के खिलाफ 75 गेंदों में अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया था। जुलाई 2023 में उन्हें इंडिया ए टीम के लिए चुना गया और एशिया कप टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला। उन्होंने अब तक सात प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28 विकेट लिए हैं।

केकेआर ने हर्षित राणा को 2024 आइपीएल सीजन के लिए 20 लाख रुपए में दोबारा चुना था। वह तब चर्चा में आए, जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के पहले मैच में हेनरिक क्लासेन को आउट किया और आखिरी ओवर में 13 रन बचाकर अपनी टीम को जीत दिलाई।

www.readwhere.com

दैनिक जागरण

अधिकारों के साथ कर्तव्य भी संलग्न होते हैं

पहली प्राथमिकता हंगामा

संसद का कोई भी सत्र हो, उसकी शुरुआत हंगामे से होना एक परंपरा का रूप ले चुका है। यह एक खराब परंपरा है, लेकिन यह इसके बाद भी जारी है कि इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता-उस विपक्ष को भी नहीं, जो हंगामा करता है। विडंबना यह है कि वह हंगामे को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत करता है। संसद में इस या उस मुद्दे के बहाने हंगामा करना एक राजनीतिक स्वभाव बन गया है। जब जो दल विपक्ष में होता है, वह हंगामा करना पसंद करता है और वह भी तब, जब वह सत्ता में रहते समय हंगामे से त्रस्त हो चुका होता है। इस पर हैरानी नहीं कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष को हंगामा मचाने की इतनी जल्दी थी कि दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद ही हंगामा किया जाने लगा। क्या इसलिए कि उसकी पहली प्राथमिकता हंगामा करना ही था? संसद के आने वाले दिन भी हंगामे भरे हों तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह इन-इन मुद्दों को संसद में उठाएगा। विपक्ष यदा-कदा अपने हिसाब से ज्वलंत मुद्दों को उठाता है, लेकिन उन पर सार्थक बहस करने और सरकार से जवाब मांगने के बजाय उसकी दिलचस्पी इसमें अधिक होती है कि संसद चलने न पाए।

आम तौर पर विपक्ष संसद में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों का चयन खुद नहीं करता। वह उन मुद्दों को लेकर आगे आ जाता है, जो संसद सत्र के पहले से ही चर्चा में आ गए होते हैं। यह पहले से तय था कि मणिपुर और अडाणी प्रकरण के साथ संभल का मामला भी विपक्ष की कार्यसूची में आ जाएगा। ऐसे मामले उसकी कार्यसूची में होने ही चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह अपने स्तर पर जनता से जुड़े कुछ मुद्दों का चयन करे और इसके लिए प्रयत्न करे कि सरकार उन पर जवाब दे? शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण समेत न जाने कितने ऐसे विषय हैं, जिन पर संसद में व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। पता नहीं क्यों विपक्ष इन विषयों पर संसद में चर्चा के लिए गंभीर नहीं दिखता? विपक्ष हंगामा कर संसद को बाधित करते रह सकता है, लेकिन वह ऐसा करके जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। जनता हंगामा नहीं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहती है। संसद में हंगामा करते रहने की अपनी आदत पर विपक्ष को तो विचार करना ही चाहिए, सत्तापक्ष को भी यह देखना चाहिए कि संसद सही ढंग से कैसे चले? इसके लिए उसे विपक्ष को भरोसे में लेने के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर विचार-विमर्श के लिए माहौल बनाने के लिए आगे आना चाहिए। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कटुता दूर होनी चाहिए। यह तभी संभव है, जब दोनों पक्ष एक-दूसरे को आदर देंगे।

जिम्मेदार कौन?

उत्तर प्रदेश के बरेली में गूगल मैप के सहारे कार से यात्रा कर रहे तीन युवकों की अधूरे पुल से गिरकर मौत न सिर्फ हृदयविदारक घटना है, बल्कि सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग की उदासीनता और लापरवाही को भी उजागर करती है। कोई पुल यदि जर्जर है या फिर बीच से टूटा हुआ है या फिर उस पर से गुजरना अत्यंत खतरनाक है तो उसके निर्माण या अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार विभागों को यह जिम्मेदारी है कि उस पर से यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित करें। इसके लिए अवरोध बनाया जाए और संकेतक भी लगाए जाएं ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि ऐसा नहीं किया गया है और कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? दातागंज (बदायूं) से फरीदपुर (बरेली) को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल पर पचास मीटर के आगे सड़क नहीं बनी थी और जो अवरोधक बनाया गया था वह भी दरक चुका था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने उसे दोबारा नहीं बनवाया। इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, यह घटना इसका उदाहरण है जिसमें तीन युवक अपनी जान से हाथ धो बैठे। लोक निर्माण विभाग के 748 पुल ऐसे हैं, जो पचास साल से अधिक पुराने हैं। सरकार के निर्देश पर कुछ माह पहले ही इनकी जांच की गई थी जिसमें 83 पुलों को यातायात के लिए असुरक्षित पाया गया था। सर्वाधिक असुरक्षित 10 पुल कानपुर क्षेत्र में हैं। इनमें कई पुलों को गिराकर फिर से निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार जरूर कर लिया गया है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, वहां निरीक्षण कर जरूरी प्रतिबंध लगाए जाएं। हर व्यक्ति की जान कीमती है इसलिए यह घटना उन युवकों के लिए भी सबक है तो तकनीकी पर पूरी तरह आश्रित हैं।

> उत्तर प्रदेश के जर्जर हो चुके पुलों को चिह्नित किया जा चुका है। वहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए

जन-जन के मन का दस्तावेज है संविधान

भूपेंद्र यादव

भारत का संविधान कोई न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज मात्र नहीं है। वह भारत की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि है

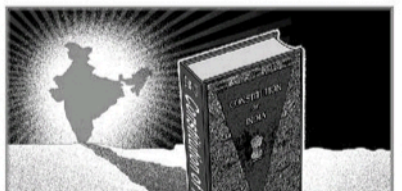

अवधेश राजपूत

भारतीय संविधान भारत के लोकतंत्र का मूल आधार है। आज भारत का आधुनिक लोकतंत्र 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इस 75 वर्षीय यात्रा के केंद्र में हमारा संविधान प्रतिष्ठित रहा है। ध्यतव्य है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना में भारतीय जीवन मूल्यों की मान्यताओं, आधुनिक शासन और भविष्य की आशाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति को केंद्र में रखा था। इन लक्ष्यों की सिद्धि करने वाले दस्तावेज के रूप में हमारा संविधान 26 नवंबर, 1949 को देश की जनता को समर्पित किया गया था। इस दृष्टि से 26 नवंबर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात दशकों तक केंद्रीय सत्ता में रही कांग्रेस के विचार में 26 नवंबर का ऐतिहासिक महत्व कभी नहीं आया। वास्तव में, कांग्रेस नेतृत्व सत्ता पर प्रभुत्व एवं नियंत्रण स्थापित रखने को ही लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य मानता था। वे स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) तो मनाते रहे, पर 'संविधान दिवस' जैसे महत्वपूर्ण अवसर, जब देश ने संविधान को अंगीकार किया था, को मात्र न्यायपालिका तक संमेत कर दिया। संविधान केवल न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह भारत की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस अर्थ में यह देश के जन-जन के मन का दस्तावेज है।

'संविधान दिवस' की उपेक्षा तो एक विषय है। अन्यथा कांग्रेस का रवैया हर प्रकार से संविधान विरोधी ही रहा है। संविधान को कमजोर करने वाले अनेक प्रयास कांग्रेस समय-समय पर करती आई है। कांग्रेस द्वारा अपने शासनकाल में इस पर संशोधन लाने का प्रयास किया गया कि सरकार संविधान में क्य-क्या परिवर्तन कर सकती है? उल्लेखनीय होगा कि इसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती मामले की ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधानिक पीठ ने माना था कि 'संशोधन करने की शक्ति में संविधान की मूल संरचना या रूपरेखा को बदलने की शक्ति शामिल नहीं है, जिससे कि इसका मूल ही बदल जाए।' तब जस्टिस सीकरी ने सुनवाई में कहा था कि, 'संविधान में संशोधन' शब्द संसद को मौलिक अधिकारों को निरस्त करने, छीनने या संविधान की मौलिक विशेषताओं को पूरी तरह से बदलने में सक्षम नहीं बनाता है, जिससे इसकी पहचान ही नष्ट हो जाए। बल्कि, इन सीमाओं के भीतर ही संसद हर अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है।' स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा संशोधन की लक्ष्मण निर्धारित की गई है। अन्यथा अतीत की कांग्रेस सरकारों की मंशा तो संविधान में मनमाने परिवर्तन की ही थी। आपातकाल के काले दौर में कांग्रेस द्वारा ऐसा किया भी गया, जब इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना ही बदल डाली। स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए हमारा संविधान केवल सत्ता को साधने का एक उपकरण मात्र रहा है, संविधान के प्रति सम्मान की भावना कांग्रेस के चरित्र में नहीं है।

वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की मंशा से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सत्ता में आने के अगले ही वर्ष यानी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों से उपेक्षित 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत कर दी। यह दर्शाता है कि उनमें भारतीय संविधान के प्रति कितनी गहरी सम्मान भावना है।

केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए एक बेहतर तालमेल और संवाद से युक्त व्यवस्था का निर्माण कर संविधान में निहित संघीय ढांचे को मजबूती देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में उनसे संबंधित स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा किया गया है। यह सभी कार्य भारतीय संविधान के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्मान और प्रतिबद्धता को ही प्रकट करते हैं।

गणतंत्र, पंथनिरपेक्षता, सशक्त निर्वाचन पद्धति, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, मूलभूत कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय संविधान के ऐसे कीर्तिमान हैं, जिसे पूरा करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। ये कोई शासन का आदेश नहीं, बल्कि भारत की संप्रभु जनता का किसी भी चुनी हुई सरकार को दिया गया जनादेश है। इसलिए, प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान इतना स्पष्ट है तो क्या संविधान की मूल भावना पर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहस खड़ी करना स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है? संविधान भारत में सभी नागरिकों के लिए दिव्यतांक तत्व है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पवित्र ग्रंथ पर भी विपक्ष द्वारा अत्यंत निकृष्ट राजनीति की जा रही है। जो कांग्रेस शासन में रहते हुए कभी संविधान का सम्मान नहीं कर सकी, वह आज विपक्ष में बैठकर यह भ्रम फैलाने में लगी है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देगी। ऐसा असत्य और भ्रम फैलाना क्या लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है?

सच तो यह है कि कांग्रेस जैसे दल आज अपने मूल राजनीतिक विचार को खो बैठे हैं और उनके पास यह कहने की क्षमता नहीं बची है कि 'संविधान के अंतर्गत आखिर वो कैसे भारत का शासन चलाएंगे?' कांग्रेस अपने गांधीवादी विचार और समाजवादी पार्टी जैसे दल समाजवाद और राम मनोहर लोहिया जी के मूलभूत विचारों को भूल चुके हैं। अब इनका लक्ष्य केवल किसी भी तरह सत्ता हथियाना ही रह गया है, लेकिन भारत की जनता बहुत विवेकवान है। वह विपक्ष के इन राजनीतिक प्रपंचों को बखूबी समझ भी रही है और समय-समय पर अपने मत की शक्ति से इनके प्रपंचों का समुचित उत्तर भी देती रहती है।

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं)

response@jagran.com

मेडिकल टूरिज्म का गढ़ बनता भारत

आरके सिन्हा

आधुनिक चिकित्सा के साथ ही आयुर्वेद एवं अन्य परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का और अधिक प्रचार किया जाना चाहिए

भरोसेमंद वनस्ती देशकी मेडिकल सुविधाएं। फाइल

हाल में यूजीसी नेट में आयुर्वेद बायोलाजी को एक विषय के तौर पर शामिल करने का फैसला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पीएम जन आरोग्य योजना में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी शामिल करने की मांग, इससे यही पता चलता है कि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की महत्ता बढ़ रही है। इसका प्रमाण तब भी मिला था, जब यह खबर आई थी कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स बेंगलुरु के पास एक आधुनिक आरोग्यशाला में पत्नी कैमिला समेत स्वास्थ्य लाभ के लिए आए। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से सस्ते और सफल इलाज के साथ ही विदेशियों में भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों जैसे-आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार विज्ञान जैसे उपचार लोकप्रिय हो रहे हैं। योग तो पहले से ही दुनिया भर में लोकप्रिय है। इस संदर्भ में यह भी स्मरण किया जाना चाहिए कि केरल के एर्नाकुलम स्थित श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा के चलते केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा की पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। यह किसी चमत्कार से कम न था। इसके बाद अफ्रीकी देशों से बड़ी तादाद में रोगी आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए भारत आने लगे।

मैं अक्सर देहरादून जाता रहता हूं। हर बार मुझे वहां अनेक विदेशी मिल जाते हैं। उनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि अधिकांश हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या आसपास की आरोग्यशालाओं में आए होते हैं। कुछ तो महीनों के लिए आते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना काल में दुनिया का आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ा। इसके चलते विश्व के कई देशों में आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ी है। आज करीब सौ देशों में भारत के हर्बल उत्पाद पहुंच रहे हैं। आयुर्वेद की महत्ता को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है। यह सही समय है कि आयुर्वेद के साथ अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शोध को बढ़ावा दिया जाए। अब यह सिद्ध होता जा रहा है कि खानपान के जरिये भी सेहत का ध्यान रखा जा सकता है। इनमें मोटे और छोटे अनाज की महती भूमिका है। मिलेट्समैन कहे जाने वाले पद्मश्री डा. खादरवली का दावा है कि मिलेट्स से अनेक रोगों का इलाज संभव है। उनका कहना है कि छह हफ्ते से लेकर छह महीने तक सिर्फ मिलेट्स के प्रयोग से कई बीमारियों के निदान में सफलता मिलती है।

भारत में बीते कुछ वर्षों से हृदय रोग, अस्थि रोग, किडनी एवं लिवर ट्रांसप्लांट और दिल की तमाम बीमारियों के सफल इलाज के लिए दक्षिण पूर्वाश्वी देशों के अलावा अफ्रीका, मध्य एशिया और खाड़ी के देशों से लेकर पश्चिमी देशों से भी हर साल लाखों रोगी आ रहे हैं। कुछ वर्षों से दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़ आदि के आधुनिक अस्पतालों में इलाज कराने के लिए भारी संख्या में विदेशी आने लगे हैं। दुनिया भर में बसे भारतवंशी भी स्वदेश में अपना इलाज कराना पसंद कर रहे हैं। इससे भारत मेडिकल टूरिज्म का गढ़ बन रहा है। देश के नामी प्लास्टिक सर्जन बताते हैं कि उनके पास हर महीने विदेशी बर्न इंजरी के इलाज से लेकर हेयर ट्रांसप्लांट और अपनी ढीली पड़ती त्वचा को ठीक कराने के लिए आते हैं। हमें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक विदेशी रोगी इलाज के लिए भारत आएं। उनके भारत आने से देश को अमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। जब भी एक रोगी भारत आता है तो उसके साथ दो-तीन तीमारदार भी आते हैं। वे महीनों यहां रहते हैं। भारत में विदेश से रोगी इसलिए भी आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मरीजों की सर्वश्रेष्ठ प्री और पोस्ट-सर्जरी सुविधाएं यूरोप या अमेरिका की तुलना में बहुत कम कीमत पर मिल जाती हैं।

भारत के पास योग्य चिकित्सा पेशेवर और अत्याधुनिक उपकरण हैं। इसके अलावा भारत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में कम खर्चीला उपचार विकल्प प्रदान करता है। भारत में इलाज का खर्च अमेरिका के मुकाबले करीब एक चौथाई है। यदि हम इस मोर्चे पर सँभल कर चले तो फिर विदेशी इलाज के लिए थाइलैंड, सिंगापुर और जापान जैसे देशों के बजाय भारत का ही रुख करने लगेंगे।

मेडिकल टूरिज्म अरबों डालर का सालाना कारोबार है। इस पर भारत को अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। इस क्षेत्र में भारत के सामने तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि सारी दुनिया के लोग बेहतर इलाज के लिए अपने देशों की सरहद लांघने लगे हैं। गोवा में आयोजित जी-20 से जुड़े एक कार्यक्रम में बताया गया था कि 2022 में 14 लाख विदेशी इलाज के लिए भारत आए। यह आंकड़ा ही साबित करता है कि भारत की मेडिकल सुविधाओं को लेकर दुनिया में भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन हमें 2030 तक अपने यहां हर साल एक करोड़ तक विदेशी रोगियों को इलाज के लिए बुलाने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अस्पतालों और क्लीनिकों का निर्माण करके गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, जिसमें उचित नियम-विनियमन और प्रोत्साहन शामिल हो। भारत को अपने मेडिकल टूरिज्म का प्रचार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग अभियान भी चलाना चाहिए। टेलीमेडिसिन, ई-परामर्श और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की अपनाकर भी भारत मेडिकल टूरिज्म को गति दे सकता है। भारत को आधुनिक चिकित्सा के साथ ही आयुर्वेद एवं अपनी अन्य परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार-प्रसार पर और ध्यान देना होगा। इसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगी।

(लेखक पूर्व सांसद और पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुख और आनंद

प्रायः लोग सुख को ही आनंद समझने की भ्रांतिपूर्ण मान्यता रखकर बहुत भारी भूल कर बैठते हैं। सुख और आनंद दो अलग-अलग चीजें हैं। दोनों का शब्दार्थ अलग-अलग है। सुख भौतिक होता है और आनंद आध्यात्मिक होता है। सुख संसार में मिलता है। आनंद प्रभु के चरणों में मिलता है। सांसारिक वस्तुओं से सुख मिल सकता है, किंतु आनंद नहीं। जो भौतिक वस्तुएं हैं, वे व्यक्ति को सुख दे सकती हैं, किंतु आनंद नहीं। सुख तो क्षणिक होता है, पर आनंद क्षणिक नहीं, बल्कि स्थायी है। आनंद जब जीवन में आता है तो जीवन परमानंद हो जाता है। सुख बाहर ढूंढ़ने का विषय है। आनंद भीतर का विषय है, क्योंकि जब अपने आप में खो जाएंगे, तब आनंद की अनुभूति होगी। सुख का तो दुख हो सकता है, किंतु आनंद का विलोम है ही नहीं। आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता। आनंद का कुछ होगा तो परमानंद हो होगा। व्यक्ति एसी रूम में रहते हैं। डनलप के गद्दों पर सोते हैं। बढ़िया-बढ़िया काजू-बादाम खाते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे सभी व्यक्ति आनंद में भी होंगे। डनलप के गद्दों पर सोना और बढ़िया एसी कमरे में रहने का सुख क्षणिक है। आज है कल नहीं।

आनंद तब होगा जब ईश्वर से प्रीति हो जाएगी। जब ईश्वर के नाम की मस्ती में डूब जाएंगे। असली आनंद तो एक सेठ को, एक फकीर को है। जो दो जोड़ी बस्त्र पहनकर कहता है बाह-बाह रे मौज फकीरा की। पैसों से सुख तो खरीदा जा सकता है, लेकिन आनंद नहीं। एक व्यक्ति है, जिसके पास भौतिक सुख नहीं है। केवल दो जोड़ी बस्त्र हैं। उसे दो वक्त की रोटी भगवान दे देते हैं। फिर भी वह बिना किसी लोभ, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिंता के जीवन व्यतीत करता है। यह है असली आनंद। जो भगवान के चरणों में जुड़ गए, उनके जीवन में आनंद है। जो संसार में पड़े हैं, उनके जीवन में सुख है, लेकिन आनंद नहीं।

मुकेश ऋषि

पर्यावरण संरक्षण की पहल

डा. मोनिका शर्मा

हाल में चुनाव आयोग ने मुंबई के दो विधानसभा क्षेत्रों में ग्रीन इलेक्शन की संकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया

दमघोंटू हवा और चरम मौसमी हालात से जूझने के दौर में चुनाव प्रक्रिया में पर्यावरण को पहुंचने वाली हानि को रोकना भी आवश्यक है। हाल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की पर्यावरण सहेजने से जुड़ी एक पहल चर्चा का विषय बनी, जिसमें मुंबई के दो विधानसभा क्षेत्रों में ग्रीन इलेक्शन की संकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया। आमजन और प्रत्याशियों से पर्यावरण सहेजनेवाली इस मुहिम से जुड़ने को कहा गया था। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए दो तरह की कोशिशें की गईं। एक ओर प्रत्याशियों से पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्रचार सामग्री से दूरी बनाने को कहा गया तो दूसरी ओर मतदाताओं से एक वोट के साथ एक पौधा लगाने की अपील की गई। चुनाव प्रचार की सामग्री का प्लास्टिक फ्री और इको फ्रेंडली होना प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए अहम कदम है। वहीं मतदाताओं को अपने फ्लैट या घर में एक पौधा लगाने की अपील हरियाली को पोसने का प्रयास।

वस्तुतः भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को काफी समय से बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले भी चुनावों में राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनमें ई-बुक्स एवं ई-डायमुलेटर्स का इस्तेमाल करने और डबल-साइड प्रिंटिंग को बढ़ावा देने जैसे निर्देश शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद ग्रीन इलेक्शन की अवधारणा को पंजाब में हुए चुनावों में भी आजमाया जा चुका है। शुरुआती तौर पर रोपड़ में इस साझी मुहिम से 50 हजार से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी हालिया उपचुनावों में ग्रीन इलेक्शन की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। वहां इको फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन बनाए गए। पोलिंग स्टेशनों पर कागज और बांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही पौधे लगाने और इको फ्रेंडली सेल्फी प्वाइंट बनाने जैसी कोशिशें भी की गईं।

आज दूषित होते हवा-पानी और खत्म होती हरियाली से पर्यावरण असंतुलन की गंभीर स्थितियां हमारे सामने हैं। दुखद है कि राजधानी दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची का हिस्सा हैं। नतीजतन बीमारियों का बढ़ता घेरा जीवन को मुश्किल में डाल रहा है। देश का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। पर्यावरण सहेजने हेतु देश का आंगन हो या घर-परिवार का परिवेश, हर स्तर पर प्रयास जरूरी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विचार का शामिल होना भी एक सार्थक मुहिम है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

ग्रामीण सशक्तीकरण का नया युग

'सहकार से समृद्धि का भारतीय दर्शन' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अमित शाह ने सहकारिता को भारतीय समृद्धि का आधार बताते हुए इसे ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और समूहिक उत्तरदायित्व का प्रभावी साधन बनाने की दिशा में सरकार के नए प्रयासों का अवलोकन और मूल्यांकन किया है। सहकारिता भारतीय समाज के मूल में रची-बसी अवधारणा है, जो समूहिक प्रयासों से समृद्धि की नींव रखती है। वर्तमान सरकार द्वारा सहकारी समितियों को संगठित और प्रभावी ढांचे में लाने का प्रयास न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। सहकारी संस्थाएं स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके समाज के हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने का साधन बन सकती हैं। गुजरात का 'अमूल माडल' इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन और विपणन में क्रांति लाने में सफल रहा। अमूल ने न केवल किसानों को सशक्त बनाया, बल्कि भारत को दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी बनाया। यह इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा में किया गया सहकारी प्रयास आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। हालांकि सहकारिता के क्षेत्र में असफलताएं भी मिली हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में कई सहकारी समितियां भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर प्रबंधन का शिकार हुईं। इन समितियों में पारदर्शिता की कमी और धन का दुरुपयोग उनके पतन का मुख्य कारण बना। इन विफलताओं ने स्पष्ट किया कि सहकारी संस्थाएं तभी सफल हो सकती हैं, जब वे भ्रष्टाचार से मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह हों। वर्तमान सरकार का सहकारी समितियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने का निर्णय इस दिशा में सही कदम है। यह न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि धन और संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी करेगा। साथ ही सहकारी समितियों के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करने से उनकी विश्वसनीयता और स्थिरता बढ़ेगी।

amarjeet360conscience@gmail.com

विकास में सहकार का योगदान

'सहकार से समृद्धि का भारतीय दर्शन' शीर्षक से लिखे आलेख में अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र के विस्तार में मौजूदा सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया है। वास्तव में सहकार का मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में अहम योगदान है। बिना सहकार के परिवार और कृषि व्यवस्था का विकास असंभव था। हां, यह अलग बात है कि सहकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विभिन्न नाम से जाना गया। श्रेणी और गिल्ड जैसे संगठन सहकार पर ही आधारित होते थे और भी अन्य अनेक उदाहरण हैं। आधुनिक भारत में सहकारिता का बेहतरीन उदाहरण आणंद है। बकायदा सहकारिता के महत्व को दर्शाने वाली फिल्म (श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म 'मंथन' 1976) भी बनी थी जिससे पता चलता है कि सहकार से समृद्धि के द्वार तो खुलेंगे ही, ग्रामीण समाज में जात-पात के नाम पर जो भेदभाव नजर आते हैं, उसे भी पाटने में मदद मिल सकती है। इन दिनों बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है। इसके चलते गांव में गहमा-गहमी का माहौल है। यहां पैक्स ने अच्छा काम किया है। मगर इधर कुछ सालों में गंवई राजनीति पैक्स पर हावी होती जा रही है। जिसका मूल कारण भ्रष्टाचार है। लिहाजा सहकारी समितियों को भ्रष्टाचार से दूर रखना आवश्यक है। गांव की वर्चस्ववादी मानसिकता से सहकारी समितियां दूर रहेंगी तब ये अपने मूल उद्देश्य को पाने में सफल होंगे। गांव से गरीबी दूर होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, पलायन और अशिक्षा जैसी समस्याएं मिटेंगी। फिर यही प्रयास देश को समृद्ध करने में मददगार साबित होंगे। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने सहकारिता आंदोलन के महत्व को समझा। सहकारिता को स्वायत्त मंत्रालय बनाने का निर्णय किया।

mukeshkr.m7542@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

हिन्दुस्तान 1936

पर्थ विजय का अर्थ

पर्थ के ऐसे मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को धूल चटा दिया, जहां मेजबान टीम अब तक अजेय थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला तीन शून्य से हारकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय टीम के हौसले पस्त ही लगते थे। पर्थ में न नियमित कप्तान रोहित शर्मा खेल रहे थे और न ही शुभमन गिल उपलब्ध थे। जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में जब टीम मैदान में उतरी, तो उसमें रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों को बाहर बिठा दिया गया। बुमराह ने न सिर्फ साहसिक फैसला लिया, बल्कि अपनी घातक गेंदों के दम पर जीत का रास्ता भी तैयार किया। पांच दिन के टेस्ट में दूसरे दिन ही लग गया कि भारतीय वीरों ने कंगारुओं को घेर लिया है और तीसरे दिन स्पष्ट हो गया कि बाजी भारत के हाथ लग गई है। न्यूजीलैंड ने मेजबान भारतीय टीम की साख पर जो बट्टा लगाया था, उसे भारतीय टीम ने 295 रनों की बरसात से धो दिया। यह भारतीय टीम के लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है, अब उसे रोकना कंगारुओं के लिए आसान नहीं होगा।

पूरे मैच में बुमराह के आठ विकेट और लगभग चमत्कारी कप्तानी को लंबे समय तक याद किया जाएगा। कप्तानी में उन्हें विराट कोहली से मिली मदद तब और यादगार हो उठी, जब लगभग डेढ़ साल बाद विराट के बल्ले से नाबाद शतक निकला। विराट के लिए यह शतक एक नई शुरुआत होनी चाहिए, पिछले पांच वर्ष में उनके बल्ले से महज तीन शतक निकले हैं। उन्हें युवाओं को भी पिच पर जमने का ज्ञान देना होगा और ठीक यही बात नियमित कप्तान रोहित शर्मा पर लागू होती है। टीम के इन दिग्गजों के लिए भी यह उत्साह की बात है कि युवा यशस्वी जायसवाल ने अपनी 161 रन की पारी को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। छाती, कंधे और चेहरे तक उछलकर आती गेंदों के साथ जायसवाल ने जैसा सुलूक किया, वह टीम के बाकी बल्लेबाजों के लिए नजीर है। आगे बढ़कर तेज गेंद का जोखिम लेने के बजाय गेंद का बल्ले पर स्वागत की उनकी शैली जलवा दिखा गई। के एल राहुल (77 रन) के साथ जायसवाल की सलामी पारी रिकॉर्ड 201 रन पर पहुंचकर टूटी और यही वह साझेदारी थी, जिसने जीत की नींव को पुख्ता कर दिया। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में यह रन के मामले में ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे बड़ी जीत है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (कुल पांच विकेट), ऑल राउंडर नीतीश कुमार रेड्डी (कुल रन 79 व एक विकेट) और हर्षित राणा (कुल चार विकेट) के प्रदर्शन को याद किया जाएगा।

न्यूजीलैंड ने मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम की साख पर जो बट्टा लगाया था, उसे भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के कठिन मैदान पर 295 रनों से धो दिया है।

याद रहे, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को अभी लंबा सफर तय करना है। अभी और चार टेस्ट मैच होंगे। नए साल में पता चलेगा कि दुनिया की दो बेहतरीन टीमों में कौन सवा सेर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम में दिखी ताजा गंभीरता गौरतलब है, जबकि यह गंभीरता न्यूजीलैंड के खिलाफ नदारद थी। पर्थ की पहली जीत महज सांत्वना है, टीम को बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। टेस्ट में चौंपियन होने का लक्ष्य सामने है। भारत में धुरंधर खिलाड़ियों की बढ़ी हुई तादाद खुशखबरी की तरह है, किंतु स्वयं खिलाड़ियों के लिए यह बड़ी चुनौती है। जैसे, यह सवाल दागा जा रहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी आईपीएल में कामयाब हैं, पर सीधे टेस्ट और वह भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना चल सकेंगे? मगर नीतीश ने मिले मौके का जिस तरह से फायदा उठाया है, यह सीखने वाली बात है। देश के लिए खेलने का मौका भला कितनों को मिलता है?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 26 नवंबर, 1949

हैदराबाद निजाम का फैसला

हैदराबाद के निजाम ने रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के दस्तावेज पर आखिर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने एक वर्ष से कुछ पूर्व जब हैदराबाद की रजाकारी हुकूमत के खिलाफ सफल पुलिस कार्रवाई की थी, तब से हैदराबाद की समस्या कोई समस्या नहीं रह गई थी। हैदराबाद रियासत का शासन भारत सरकार की सीधी देख-रेख में चलने लगा और इस अर्से में निजाम की ओर से कोई बाधा नहीं आई, बल्कि उन्होंने हर प्रकार से सहयोग ही दिया। भारत सरकार ने हैदराबाद को विधिपूर्वक भारत के साथ शामिल करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। निजाम को सोच-विचार का पूरा मौका दिया गया। निजाम ने रजाकारी प्रभाव और आतंक से मुक्त होते ही यह अनुभव कर लिया होगा कि भारत से अलग हैदराबाद का कोई भविष्य नहीं हो सकता। इस अनुभव के आधार पर अब उन्होंने कार्रवाई की है। इस अवसर पर उस लम्बी चर्चा की याद ताजा हो जाती है, जो निजाम और भारत के बीच चली थी और जो अन्त में निष्फल रही। उस समय यदि निजाम भारत की न्यूनतम मांगों को स्वीकार कर लेते तो उनकी वैधानिक स्थिति आज से कहीं भिन्न होती। किन्तु बीता अवसर फिर हाथ नहीं आता। जहां तक भारत का और हैदराबाद की जनता का सम्बन्ध है, तो अब जो परिणाम आया है, वह कहीं अधिक सन्तोषजनक है।

निजाम ने अपने फरमान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर्थिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में भारत और हैदराबाद के हितों में समानता है और दोनों के बीच वैधानिक सम्बन्ध कायम होना चाहिए। इस वैधानिक सम्बन्ध का आधार क्या हो, यह प्रश्न हो सकता है और निजाम ने अपना यह विचार प्रकट किया है कि भारत की विधान परिषद ने जो विधान बनाया है, वही उस वैधानिक सम्बन्ध का आधार हो सकता है। यही नहीं, उस विधान के आधार पर ही रियासत के आन्तरिक शासन विधान में हेर-फेर होना चाहिए। अतः निजाम ने अपने फरमान में घोषित किया है कि भारत की विधान परिषद द्वारा मंजूर होने वाला विधान जिस प्रकार भारत के अन्य भागों पर लागू होगा, उसी प्रकार हैदराबाद रियासत पर भी लागू होगा। वह स्वयं और उनके उत्तराधिकारी उस विधान को कार्यान्वित करवायेंगे और उससे भिन्न जो भी विधि-विधान रियासत में प्रचलित होंगे, वे इस विधान के लागू होते ही रद्द समझे जायेंगे।

वैधानिक नैतिकता का विस्तार जरूरी

यहां स्कैन करें

भीम राव आंबेडकर | संविधान निर्माता

वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक, प्रकृति जन्य नहीं होती। इसे अभ्यास द्वारा अपनाना होगा। देशवासियों को अभी भी इसे सीखना है। 75वें संविधान दिवस पर विशेष...

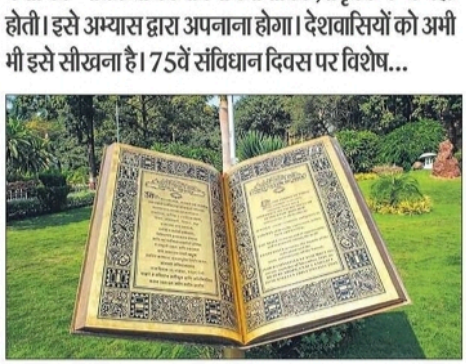

ग्रीस के प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता श्री ग्रोट ने कहा है : किसी भी स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सरकार के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि वैधानिक नैतिकता का प्रसार न केवल वहां के बहुसंख्यक लोगों में हो, बल्कि देश के समस्त नागरिकों में किया जाए, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली और दुःसाध्य, हठी अल्पमत वाला वर्ग, चाहे वह स्वयं इतना शक्ति संपन्न न हो कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सके, पर स्वतंत्र शासन का कार्य संचालन दुरूह या कठिन तो बना ही सकता है।

वैधानिक नैतिकता से ग्रोट का अभिप्राय यह है : 'विधान के स्वरूपों के प्रति ऐसी परम श्रद्धा हो, जो उन स्वरूपों के अधीन रहकर और उनके अंतर्गत कार्य करने वाले प्राधिकारियों की आज्ञाओं को मनवाती हो, किंतु साथ ही, निश्चित विधि-प्रतिबंधों के अधीन भाषण तथा कार्य स्वतंत्रता की वृत्ति पैदा करती हो और साथ-साथ उन्हीं प्राधिकारियों के लोक-कार्यों के बारे में अबाधित आलोचना की सुविधा देती हो और इसके साथ ही, प्रत्येक नागरिक के मन में यह विश्वास भी पैदा करती हो कि दल-संघर्ष-जनित-कटुता के होते हुए भी संविधान के स्वरूपों के प्रति उसके विरोधियों के हृदय में वही आदर होगा, जो उसके हृदय में है।'

इस बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि प्रजातंत्रात्मक विधान को शक्तिपूर्वक चलाने के लिए नैतिकता का प्रसार आवश्यक है, किंतु इससे परस्पर जुड़ी दो बातें हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से लोग नहीं जानते। उनमें एक तो यह है कि शासन पद्धति का विधान पद्धति से बड़ा सन्निकट सम्बंध है। शासन पद्धति भाव और स्वरूप, दोनों की ही दृष्टि से विधान पद्धति के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि विधान के स्वरूप को बदले बिना ही, केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके विधान को पूर्णतः उलट देना तथा शासन को विधान की भावना के अनुरूप और प्रतिकूल बना देना बिल्कुल संभव है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि केवल वहीं पर, जहां लोगों में वैधानिक नैतिकता का प्रसार है, जैसा उपरोक्त इतिहास-वेत्ता ने बताया है, इस बात का जोखिम उठाया जा सकता है कि शासन के विस्तार की बातों को विधान में न रखकर उन्हें विधान मंडल पर छोड़ दिया जाए। अब प्रश्न है, क्या वैधानिक नैतिकता का प्रसार हम संभव मानते हैं? वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक, प्रकृति जन्य नहीं होती। इसे अभ्यास द्वारा अपनाना होगा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देशवासियों को अभी भी इसे सीखना है। भारतीय भूमि स्वभावतः ही अप्रजातांत्रिक है और यहां प्रजातंत्र सिर्फ ऊपरी आवरण है। ऐसी परिस्थिति में शासन संबंधी नियम तय करने का काम विधान मंडल पर न छोड़ना ही श्रेयस्कर है।

इस मसविदे के विरुद्ध दूसरी आलोचना यह की गई है कि इसमें कहीं भी भारत की प्राचीन राजनीति को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह कहा जाता है कि इस नवीन विधान का निर्माण प्राचीन हिंदू राज्य परंपरा के आधार पर होना चाहिए था और इसमें पांचसाल राजनीतिक सिद्धांतों का समावेश न कर, ग्राम और जिला पंचायतों की भित्ति पर इसे खड़ा करना चाहिए था। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी विचारधारा बहुत आगे अति की ओर चली गई है। वे कोई भी केंद्रीय या प्रांतीय शासन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि भारत में केवल ग्राम सरकारें हों। बुद्धि संपन्न भारतीयों का ग्राम समाज के प्रति जो प्रेम है, वह यदि कारणिक नहीं, तो असीम तो अवश्य ही है। ...जो लोग इन ग्रामों पर गर्व करते हैं, वे इस बात का विचार ही नहीं करते कि आखिरदेश के भाग्य निर्माण में तथा उसके कार्यकलाप में इन ग्रामों ने कितना कम हाथ बंटाया है और क्यों? ...मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग प्रांतीयता की, सांप्रदायिकता की निंदा करते हैं, वही ग्रामों की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे ग्राम हैं क्या? ये कूप मंडूकता के परनाले हैं, अज्ञान, संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता की काली कोठरियां हैं। मुझे तो प्रसन्नता है कि विधान के मसविदे में ग्राम को अलग फेंक दिया गया है और व्यक्ति को राष्ट्र का अंग माना गया है।

विधान के मसविदे की इसलिए भी आलोचना की गई है कि इसमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। ...इस देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, दोनों ही वर्ग एक गलत रास्ते पर चले हैं। बहुसंख्यक वर्ग की यह गलती है कि उसने अल्पसंख्यक वर्ग का अस्तित्व नहीं स्वीकार किया और इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग की यह गलती है कि उसने अपने को सदा के लिए अल्पसंख्यक बनाए रखा। अब एक ऐसा मार्ग निकालना ही होगा, जिससे ये दोनों गलतियां दूर हों। मार्ग ऐसा होना चाहिए, जो अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मान कर आगे बढ़े। साथ ही, मार्ग ऐसा भी हो, जिससे एक दिन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, दोनों वर्ग मिलकर एक हो जाएं।...

विधान के इस मसविदे में मौलिक सिद्धांतों के बाद ही निर्देशात्मक सिद्धांत रखे गए हैं, वे सिद्धांत परिपदात्मक प्रजातंत्र के लिए निर्मित विधान की एक उल्लेखनीय विशेषता है। ...यह कहा गया है कि ये सिद्धांत केवल पवित्र घोषणा के ही रूप में हैं। इनमें दायित्व आरोपित करने की शक्ति नहीं है। निश्चय ही यह आलोचना व्यर्थ और अनावश्यक है। स्वयं विधान में यह बात कई शब्दों में कही गई है। ...अगर यह कहा जाए कि इन निर्देशात्मक सिद्धांतों के पीछे कानून का कोई बल नहीं है, तो मैं इसे मानने को तैयार हूं, किंतु यह मानने को मैं कदापि तैयार नहीं हूं कि दायित्व आरोपित करने की इनमें कोई शक्ति है ही नहीं।...

कोई भी विधान सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता और इसके अलावा स्वयं मसविदा समिति ने उसे और अच्छा बनाने के लिए कई संशोधनों का सुझाव रखा है, पर प्रांतीय विधान मंडलों में इसके संबंध में जो बहस हुई है, उसके आधार पर मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि प्रस्तुत विधान, जैसा कि मसविदा समिति ने इसे स्थिर किया है, इस देश के कार्यारम्भ के लिए काफी अच्छा है : मैं ऐसा समझता हूं कि प्रस्तुत विधान व्यवहार योग्य है। यह लचीला है और इतना सबल है कि युद्ध एवं शांति, दोनों ही समय में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। मैं यह कहूंगा कि यदि नवीन विधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा विधान खराब था, बल्कि यह कहना चाहिए कि अधिकारारूढ़ व्यक्ति ही अधम था। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाए।

(संविधान सभा में 4 नवंबर, 1948 को दिए गए विस्तृत उद्बोधन के संपादित अंश)

बाकू जलवायु सम्मेलन में वही ढाक के तीन पात

यहां स्कैन करें

अनिल प्रकाश जोशी | पर्यावरणविद्

दो हफ्ते के लंबे विचार-विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-29 में समझौता तो हुआ, लेकिन वह बहुत ज्यादा भरोसा इसलिए पैदा नहीं करता, क्योंकि यह समझौता न ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगा सकता है और न ही कमजोर देशों की मदद कर सकता है। यहां तक कि 'क्लाइमेट फाइनेंस' के रूप में अमीर देशों ने 300 अरब डॉलर देने का जो वायदा किया है, वह भी नाकाफी है। यही कारण है कि भारत की अगुवाई में कई देशों ने इसका विरोध किया है। भारत का कहना बिल्कुल उचित है कि इसमें ग्लोबल साउथ की समस्याओं को पर्याप्त तवज्जो नहीं दी गई है। वाकई, यह राशि उस 1.3 लाख करोड़ डॉलर से बहुत कम है, जिसकी मांग ग्लोबल साउथ के देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पिछले तीन साल से करते रहे हैं।

सम्मेलन के इसी हश्र का अंदेशा था। ऐसे सम्मेलनों के पिछले अनुभव यही बताते हैं कि कहीं न कहीं हमारी समझ सिर्फ अपने देश व घर तक सीमित है और वैश्विक पारिस्थितिकी व पर्यावरण से जुड़ी विषमताओं को हम इसमें शामिल नहीं करते। अगर ऐसा होता, तो हम अब तक ऐसे निर्णय पर जरूर पहुंच चुके होते, जो सभी को स्वीकार्य होता। हम यह मानकर जलवायु परिवर्तन पर चिंतित जरूर हैं कि किस देश ने कैसे हालात पैदा किए, लेकिन उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। हम अब भी केवल विज्ञान के उस तथ्य के प्रति चिंतित हैं, जो बताता है कि जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर क्या बड़े बदलाव होंगे, लेकिन हम इसे उस रूप में आंकने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं, जहां हम यह समझ सकें कि किस देश ने कितना कार्बन डाई-ऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है और उनके कुप्रभावों का क्या असर प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार या देश पर पड़ेगा।

यह बहुत जरूरी था कि पेरिस जलवायु समझौता जैसा कोई कदम बाकू में उठाया जाता, लेकिन ऐसा करने में हम चूक गए।

दक्षिण एशिया, जिसमें हम भी आते हैं, प्रति व्यक्ति 1.5 टन कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जित करता है, वहीं अफ्रीका एक टन, यूरोप नौ टन और अमेरिका 17 टन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जित करता है। आलम यह है कि जो देश 1980 के दशक में पर्यावरण और प्रकृति के लिए चिंतित थे, आज कहीं न कहीं वे 'बैकफुट' पर हैं। क्लाइमेट फाइनेंस जैसे उपाय जरूर किए गए हैं, लेकिन इसकी रकम को लेकर तमाम देशों की आपत्तियां हैं। कितनी अजीब बात है न, हम अब भी पूरी तरह से गंभीर नहीं हैं, जबकि यह तय है कि हम हर साल 40 गीगाटन कार्बन डाई-ऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ाते जा रहे हैं। मिथेन का योगदान भी कम नहीं है, जबकि हमारी आबोहवा के लिए यह कार्बन डाई-ऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक खतरनाक है। ऐसे में, यह बहुत जरूरी था कि पेरिस जलवायु समझौता जैसा कोई बड़ा कदम बाकू में उठाया जाता, लेकिन ऐसा करने से हम चूक गए।

बहरहाल, हमें कार्बन-उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम तो उठाने ही चाहिए, आबोहवा को स्वच्छ करने को लेकर भी प्रयास करने चाहिए। ऐसा एक प्रयोग स्विस कंपनी 'क्लाइमवर्क्सएजी' ने किया है, जो तकनीक द्वारा हवा से कार्बन डाई-ऑक्साइड अवशोषित करके उसे गहरे जमीन में दफना देती है। अभी इस मशीन की कीमत बहुत अधिक है, मगर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत घटेगी। वैसे, हमें अन्य रास्ते भी तलाशने होंगे और छोटे-छोटे उन प्रयोगों पर भी ध्यान देना होगा, जिनसे कार्बन डाई-ऑक्साइड को आर्थिकी का हिस्सा बनाया जा सके। इससे कार्बन डाई-ऑक्साइड जैसी गैसें हवा से कम हो सकेंगी और हमें आर्थिक लाभ भी होगा। मिसाल के लिए, कार्बन डाई-ऑक्साइड से ग्रेफीन बनता है, जिसकी कीमत आज की तारीख में 2,000 डॉलर प्रति किलो है। ऐसे प्रयोग भविष्य के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। चूंकि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हर देश को अपने तईं प्रयास करने ही होंगे।

प्रदूषण वहीं परेशानी बढ़ाता है, जहां पर इसका घनत्व अधिक है, इसलिए हमें स्थानीय स्तर पर ही काम करना होगा। हमें समझना होगा कि जलवायु सम्मेलनों की नियति भले बदल न रही हो, पर जलवायु में बदलाव हो रहे हैं, जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए पहले अपनी जान की सुरक्षा की जाए, फिर बहस पर ध्यान दिया जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अंतर्विरोधों से बाहर निकलें

कभी आपने सोचा है कि हम में अंतर्विरोध क्यों है? मैंने कुछ किया है और मैं नहीं चाहता कि दूसरे उसे जानें; मैंने कुछ सोचा है, पर वह उस स्तर का नहीं है, जैसा उसे होना चाहिए, वह मुझे अंतर्विरोध की हालत में ले आता है और मुझे यह पसंद नहीं है। जहां अनुरूपता की कोशिश है, वहां भय होगा ही और यह भय ही है, जो अंतर्विरोध पैदा करता है।

जहां कुछ बनना नहीं है, कुछ और हो जाने की चेष्टा नहीं है, वहां भय का कोई एहसास नहीं है, कोई अंतर्विरोध नहीं है, चेतन या अचेतन के स्तर पर कहीं कोई झूठ नहीं है। चूंकि हमारी पूरी जिंदगी दिखावे की कहानी है; हम अपने मिजाज, अपनी मनोदशा के मुताबिक दिखावा किया करते हैं, यही अंतर्विरोध है। जब वह मिजाज गायब हो जाता है, तब हम जैसे थे, वैसे हो जाते हैं। जब तक यह अंतर्विरोध है, तब तक एक सतही जीवन, सतही भय आवश्यक बने रहते हैं, जिनको छिपाए रखना जरूरी हो जाता है और तब सफेद झूठ का सहारा लिया जाता है। इसलिए झूठ-सच की विपरीतता में उलझे बिना स्वयं में अंतर्विरोध की जो समस्या है, उसकी गहराई में जाएं। यह बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम संवेदनों, उत्तेजनाओं पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, इसीलिए हमारा अधिकांश जीवन अंतर्विरोध से भरा है। हम स्मृतियों पर, सम्मतियों पर निर्भर हैं। हमारे अनेक भय हैं, जिनको हम छिपाए रखना चाहते हैं। इन सबसे हमारे भीतर अंतर्विरोध निर्मित होता है; जब यह अंतर्विरोध बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं।

इसलिए सबसे पहली बात, क्या हमें इसका एहसास है कि हम एक अंतर्विरोधी जीवन जी रहे हैं? हम शांति चाहते हैं, पर हम राष्ट्रवादी हैं; हम सामाजिक दुर्दशा को दूर करना चाहते हैं, फिर भी हममें से हर कोई व्यक्तिवादी है और अपने में घिरा हुआ है। हम निरंतर अंतर्विरोध में जी रहे हैं। क्यों? क्या इसलिए नहीं कि हम संवेदन के, उत्तेजना के दास हैं? इस बात को स्वीकारने या नकारने की जरूरत नहीं है। इसके लिए संवेदन के निहितार्थों को, जो कि इच्छाएं ही हैं, भली-भांति समझने की जरूरत है। निष्क्रिय होकर इस अंतर्विरोध को देख पाने के लिए हमें इसे सही ठहराने या इसे बुरा बताने की सभी प्रक्रियाओं को समझना होगा। निष्क्रियता के साथ देख पाना इतना आसान नहीं है; पर इस बात को समझ लेने पर हमें अपनी भावनाओं और सोच के तौर-तरीकों की समस्त प्रक्रिया समझ में आने लगती है। अपने अंतर्विरोध के पूरे अभिप्राय के प्रति जब हम सजग होते हैं, तो यह सजगता एक असाधारण बदलाव लाती है। तब आप बस आप होते हैं, न कि वह, जो बनने की आपकी कोशिश रही है और यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। तब अंतर्विरोध की कोई आशंका नहीं होती।

हम शांति चाहते हैं, पर हम राष्ट्रवादी हैं; हम सामाजिक दुर्दशा को दूर करना चाहते हैं, फिर भी हम में से हर कोई व्यक्तिवादी है और अपने में घिरा हुआ है। हम निरंतर अंतर्विरोध में जी रहे हैं।

जे कृष्णमूर्ति

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

इन 75 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा में हमारा संविधान कानूनी दस्तावेज ही नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक बदलाव का मार्गदर्शक भी रहा है। संविधान ने हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ किया और लोकतंत्र हमारी जीवन-शैली का अभिन्न अंग बन चुका है।

आयुर्वेदिक उपचार भी एक प्रभावशाली माध्यम

आयुर्वेद कोई आज की चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से हमारे जीवन का यह हिस्सा है। माना तो यह भी जाता है कि अगर आयुर्वेद के हिसाब से जीवनशैली अपना लें, तो शायद ही हम बीमार पड़ेंगे, बड़ी बीमारियों तो लगभग असंभव हैं। मगर आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में लोग हर चीज का उपभोग करना चाहते हैं। फिर, समय कम होने का रोना भी रोते हैं, जिसके कारण वे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि उनको पता होता है कि हर एलोपैथी दवा का कुछ न कुछ 'साइड इफेक्ट' होता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता, इसलिए वह ज्यादा प्रभावी पद्धति है। आयुर्वेद उपचार रोग के मूल कारण को खत्म करता है, न कि एलोपैथी की तरह रोग के लक्षणों को। जाने-माने क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू इससे वाकिफ हैं, इसलिए जब उनकी पत्नी को लेकर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो वह आयुर्वेद की शरण में आ गए। इसका उनको फायदा भी मिला है और आज उनकी पत्नी कैंसर को पूरी तरह से मात देने में सफल साबित हुई हैं। मैं यह नहीं कहता कि एलोपैथी पद्धति को बिल्कुल किनारे कर देना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी पर विश्वास करना भी उचित नहीं, जबकि हम दवा-निर्माता कंपनियों के मकड़जाल को जानते हैं। अगर आयुर्वेद को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएं, तो कैंसर ही क्या, तमाम गंभीर रोगों का निदान हमें मिल सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को इसी रूप में हमें लेना चाहिए।

रवींद्रनाथ झा, टिप्पणीकार

स्थापित होगा आयुर्वेद

आयुर्वेद को स्थापित करने की लड़ाई बड़ी लंबी है। अब भी हजारों जड़ी-बूटियों को हमें खोजना होगा। इसमें सभी रोगों का निदान है, अंतर सिर्फ इतना है कि पहले लोगों को जड़ी-बूटियों का ज्ञान था, लेकिन बाद में जंगलों के कटने और उनको संरक्षित न कर पाने के कारण पहले जड़ी-बूटियों का लोप हुआ और फिर आयुर्वेद से लोगों की दूरी बढ़ी। आज तो फार्मा कंपनियों की ताकत अथाह है, इसलिए आयुर्वेदाचार्यों के लिए इन कंपनियों से लड़ पाना काफी मुश्किल है। मगर सवाल है कि जब लड़ना है, उसे गलत तो कहना ही होगा, इसलिए आम लोगों को साथ आना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक राह दिखाई है। अब आयुर्वेद का अध्ययन प्राथमिक स्कूलों से कराया जाए। जिस दिन देश में विद्यालयों में योग व बुनियादी आयुर्वेद की शिक्षा शुरू हो जाएगी, जड़ी-बूटियों पर शोध-अनुसंधान शुरू हो जाएंगे, कई रोगों पर विजय प्राप्त करना संभव हो जाएगा। एलोपैथी में तो एक रोग की दवा लें, तो दो अन्य रोग लग सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता।

अवधेश सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
आयुर्वेद

कैंसर ठीक होने का सिद्धू का दावा हवा हवाई

पूर्व क्रिकेटर और विभिन्न टेलीविजन शो में जज के रूप में ख्यात नवजोत सिंह सिद्धू सच में कभी-कभी ज्यादा ही बोल देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अपनी कथनी ही उनके गले में फांस बन जाती है। इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने बाकायदा एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दावा किया कि उनकी पत्नी का चौथे चरण का कैंसर सिर्फ खान-पान में बदलाव करके व आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाकर ठीक किया गया है और अब वह कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं। मुमकिन है कि उन्होंने आयुर्वेद पर भरोसा किया होगा, लेकिन यह दावा कर देना कि सिर्फ इसी राह पर चलकर उन्होंने अपनी पत्नी को मौत के मुंह से वापस खींच लिया, कुछ अतिशयोक्ति जान पड़ती है।

यही वजह है कि भारत के शीर्ष कैंसर विशेषज्ञों ने एक पत्र जारी करके लोगों से आग्रह किया है कि वे अप्रमाणित उपचारों पर भरोसा न करें, क्योंकि इससे उनकी जान पर बन आ सकती है। ऐसा इसीलिए कहा गया है, क्योंकि सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नीम, नींबू का रस, हल्दी, दालचीनी और अन्य आहार से उन्होंने अपनी पत्नी को ठीक किया है। डॉक्टर यही मानते हैं कि सिद्धू के दावों का समर्थन करने का कोई ठोस सुबूत नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी नवजोत कौर खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। कम से कम उन्हें तो इस तरह के दुष्प्रचार में शामिल नहीं होना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका अफसोसनाक पहलू यह है कि ऐसे दावों से कैंसर मरीज भ्रमित होंगे और अस्पताल का इलाज छोड़कर वे आयुर्वेदाचार्यों की शरण में जा सकते हैं और नीम-हकीम खतरे जान वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है। यह दावा ठीक उसी तरह का है, जब भारत के एक जाने-माने योगगुरु ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया और उसकी लॉन्चिंग में दो-दो केंद्रीय मंत्रियों को भी बुला लिया। मगर जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर सवाल उठाए, तो उचित जवाब न होने के कारण उन्होंने चुप्पी साध ली। बाद में हम सब जानते ही हैं कि उस दवा का क्या हश्र हुआ?

यह पूरा प्रकरण समाज के प्रति हमारे दायित्वों की भी याद दिलाता है। सिद्धू अपना दावा करते हुए शायद भूल गए कि उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा है और उनके इस हल्के बयान पर यदि लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया, तो कैंसर मरीजों पर खतरा बढ़ सकता है। उन्हें तत्काल सभी को सच्चाई बतानी चाहिए।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार